

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 11.11.2011 की कार्य सूची।

मद सं०-1 सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 09-03-11 की कार्यवाही का पुष्टिकरण।

मद सं०-2 सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा परिचालन पद्धति से पारित निम्नलिखित आदेशों का अनुमोदन:-

प- श्रीमती चम्पा देवी, 1/177 चक्खुवाला देहरादून की बस सं०-यूए11-0708 को देहरादून-डोईवाला-जौलीग्रान्ट एवम् सम्बन्धित मार्ग का अस्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में परिचालन पद्धति से पारित प्राधिकरण के आदेश दिनांक 13.04.11 का अनुमोदन।

पप - श्रीमती सरला देवी, पत्नी श्री देवी लाल गोयल ग्राम धमण्डपुर, पो० रानीपोखरी देहरादून द्वारा दायर अपील सं०-05/2010 में मा० राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 08.03.11 के अनुपालन में उनके विक्रम टैम्पो परमिट सं०-1029 को नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में परिचालन पद्धति से पारित प्राधिकरण के आदेश दिनांक 16.05.11 का अनुमोदन।

पपप - देहरादून-रायपुर-थानो-मालदेवता मार्ग पर श्री जगबीर सिंह मान, पुत्र स्व० श्री लाल सिंह, राजपुर रोड देहरादून की वाहन सं०-यूके०७टीए-2708 तथा श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री रेषम सिंह, भण्डारी बाग देहरादून की वाहन सं०-यूके०७टीए-3128 को अस्थाई स्टैज कैरेज परमिट प्रदान करने के सम्बन्ध में परिचालन पद्धति से पारित प्राधिकरण के आदेश दिनांक 15.06.11 का अनुमोदन।

पअ- "सैनिक कालोनी-नीलकंठ विहार-कालीदास रोड-दिलाराम चौक-यूकेलिप्टिस रोड- सर्वे चौक-परेड ग्राउन्ड-दर्शनलाल चौक-प्रिन्सचौक-सहारनपुर चौक-मातावालाबाग-गुरुरामराय डिग्री कालेज-कारगी चौक-आई०एस०बी०टी० मार्ग" पर निम्नलिखित आवेदकों की 7/8 सीटर हल्के वाहनों को ठेका वाहन के रूप में संचालित करने हेतु स्थाई परमिट जारी करने के सम्बन्ध में परिचालन पद्धति से पारित प्राधिकरण के आदेश दिनांक 07.06.11 का अनुमोदन।

1. श्री कमल पाल पुत्र श्री पूरन सिंह पाल
2. श्री संदीप कोठारी पुत्र श्री षषी कुमार कोठारी

3. श्री प्रदीप रावत पुत्र श्री सी0एस0 रावत
4. श्री कुलदीप नेगी पुत्र श्री के0एस0नेगी
5. श्री मंसूर खान पुत्र श्री मसकूर अहमद खान
6. श्री अब्दुल हमीद पुत्र श्री अब्दुल वहीद
7. श्री कृपाल सिंह नेगी पुत्र श्री डी0एस0 नेगी
8. श्री सोवन सिंह पुत्र स्व0 श्री चेत सिंह

अ—

“मियांवाला चौक—गुजरोवाली चौक—तुनवाला—किददूवाला—नत्थनपुर—नेहरुग्राम— राजीव नगर—बलबीर रोड—ईसी रोड होते हुए सर्वचौक—परेडग्राउन्ड मार्ग” पर निम्नलिखित आवेदकों की 7/8 सीटर हल्के वाहनों को टेका वाहन के रूप में संचालित करने हेतु स्थाई परमिट स्वीकृत करने तथा विकलांग श्री मुस्तफा हुसैन पुत्र श्री लियाकत हुसैन को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.03.11 में स्वीकृत परमिट से लाइसेन्स की अनिवार्यता से छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में परिचालन पद्धति से पारित प्राधिकरण के आदेश दिनांक 07.06.11 का अनुमोदन।

1. श्री व्यास चन्द्र षर्मा पुत्र श्री नानक चन्द
2. श्री भगवान सिंह पंवार पुत्र श्री रतन सिंह
3. श्री अजीज पुत्र श्री बसीर
4. श्री षमषाद अली पुत्र श्री षब्बीर अली
5. श्री मुस्तफा हुसैन पुत्र श्री लियाकत हुसैन

अप.

आई0एस0बी0टी0 से मेहुवाला—हरभजवाला—तुन्तोवाला—चौयला—वाईल्ड लाइफ इन्स्टीट्यूट —चन्द्रबनी —सुभाश नगर चौक—ट्रॉन्सपोर्ट नगर—सेवलाकलां—गौतम कुंड होते हुए आई0एस0बी0टी0 मार्ग पर 7/8 सीटर हल्के वाहन को टेका वाहन के रूप में संचालित करने हेतु श्री गोविन्द राम राजौरिया (अनुसूचित जाति) पुत्र श्री रामू रजौरिया को स्थाई परमिट जारी करने के सम्बन्ध में परिचालन पद्धति से पारित प्राधिकरण के आदेश दिनांक 15.06.11 का अनुमोदन।

vii-

श्री नवीन कुमार पुत्र श्री बाबूराम, ज्वालापुर, हरिद्वार द्वारा दायर अपील सं०-06/2010 में मा० राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 08.03.11 के अनुपालन में उनके विक्रम टैम्पो परमिट सं०-2558 को नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में परिचालन पद्धति से पारित प्राधिकरण के आदेश दिनांक 15.06.11 का अनुमोदन।

viii-

डोईवाला केन्द्र के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये निम्न आवेदकों को विक्रम टैम्पो परमिट स्वीकृत करने तथा तथा श्री सुभाश चन्द्र पुत्र श्री होरी लाल व श्रीमती गंगादेवी पत्नी श्री मनीराम को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.03.11 में स्वीकृत परमिट से लाइसेन्स की अनिवार्यता से छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में परिचालन पद्धति से पारित प्राधिकरण के आदेश दिनांक 15.06.11 का अनुमोदन।

1. श्री मुन्तजीर पुत्र श्री हानीफ
2. श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री आनन्द सिंह
3. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री मलिक राम
4. श्री राजेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री जयंती सिंह
5. श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री पदम सिंह
6. श्री राकेश गोयल पुत्र श्री देवीलाल
7. श्री राजेश धीमान पुत्र श्री जय प्रकाश
8. श्री सुषील कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण दास
9. श्री राजेश सिंह मनवाल पुत्र श्री पदम सिंह
10. श्री पीयूश तोमर पुत्र श्री प्रेम सिंह
11. श्री धमेन्द्र सिंह पुत्र श्री जोध सिंह
12. श्री अच्छे लाल पुत्र श्री गुलजार प्रसाद
13. श्री मनोज कुमार पुत्र श्री राम अवतार
14. श्री इन्द्रजीत पुत्र स्व० श्री अतर सिंह
15. श्री सर्वजीत सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह
16. श्री महफूज पुत्र श्री महमूद हसन

ix-

17. श्री राहुल पाल पुत्र श्री हस्ता पाल
हरिद्वार केन्द्र के निम्नलिखित आवेदकों को उनके सम्मुख प्रदर्शित वाहन के लिये आटोरिक्सा परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में परिचालन पद्धति से प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.06.11 का अनुमोदन
1. श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री शिव लाल निवासी, 51 मिश्रा गार्डन, कनखल, हरिद्वार— यूके08-टीए-2157
 2. श्री नरेश पाठक पुत्र श्री शिव कुमार निवास, 85 न्यू विकास कालोनी, हरिद्वार — यूके08-टीए-1780
 3. श्री सत्य प्रकाश पुत्र श्री राम बाबू निवासी, दत्त मंडी, ज्वालापुर, हरिद्वार — यूके08-टीए-2064
 4. श्री पंकज पुत्र श्री आयोध्या प्रसाद निवास, खन्ना नगर, ज्वालापुर, हरिद्वार — यूके08-टीए-1813
 5. श्री महेश पासवान पुत्र श्री शीतल पासवान निवास 586 बी0एच0ई0एल0, हरिद्वार— यूके08-टीए-2125
 6. श्री नीरज कुमार पुत्र श्री भूवन सिंह निवासी सप्त सरोवर, हरिद्वार — यूके08-टीए-2071
 7. श्री बिट्टू पुत्र श्री तेजपाल निवासी भीमगोड़, भूपतवाला, हरिद्वार — यूके08-टीए-1685
 8. श्री सुमित कपूर पुत्र श्री मदन गोपाल निवासी 16 विवेक विहार रानीपुर मोड़ हरिद्वार— यूके08-टीए-2193
 9. श्री श्रीकान्त पुत्र श्री सुभाष चन्द्र निवासी काशीपुरा जिला हरिद्वार — यूके08-टीए-2307
 10. श्री संदीप पुत्र श्री महेन्द्र सिंह निवासी फायर स्टेशन मायापुर हरिद्वार। यूके08-टीए-2234
 11. श्री उसमान अली पुत्र श्री सुलेमान अली निवासी रामेश्वरमपुरम हरिद्वार। यूके08-टीए-2248
 12. श्री सुन्दर सिंह पुत्र श्री गोपाल निवासी 65 राजीव नगर हरिद्वार। यूके08-टीए-2261
 13. श्री अमित कुमार पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार निवासी 160, ब्रह्मपुरी हरिद्वार। यूके08-टीए-2267
 14. श्री सुरेश चन्द्र पुत्र श्री भागीरथी सिंह निवासी 277/3, काशीपुरा, हरिद्वार। यूके08-टीए-2296

15. श्री यज्ञदत्त षर्मा पुत्र श्री देवेन्द्र नाथ षर्मा निवासी 88 घास मण्डी ज्वालापुर, हरिद्वार।
यूके08-टीए-2305

मद सं०:-3

सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्राधिकरण के प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत निम्नलिखित मामलों में पारित आदेशों का अनुमोदन:-

अ- दिनांक 01.03.11 से दिनांक 31.10.11 तक मो०गा०अ०-1988 की धारा-87 व 88(8) के अन्तर्गत निम्नलिखित परमिट जारी किये गये :-

—सवारी गाडी, ठेका गाडी, मैक्सी कैब, टैक्सी कैब, जनभार वाहन के अस्थाई परमिट क्रमांक
14916 से 16435 तक

— 1519 परमिट

ब- शासन की उदार नीति के अन्तर्गत जारी किये गये स्थाई परमिट: :-

1-जनभार वाहन के स्थाई परमिट 41814 से 42875 तक —

1061 परमिट

2-भारवाहन के राष्ट्रीय परमिट 9598 से 10156 तक —

558 परमिट

3-मैक्सी कैब के स्थाई परमिट 3030 से 4034 तक —

1004 परमिट

4-टैक्सी कैब के स्थाई परमिट 5016 से 5231 तक —

215 परमिट

5-यूटिलिटी के स्थाई परमिट 1308 से 1463 तक —

155 परमिट

128 परमिट	6-सवारी गाडी के स्थाई परमिट पर्वतीय मार्ग -	3811 से	3939 तक	-	
	मैदानी मार्ग-		-----		
परमिट	7-निजी सवारी गाडी के स्थाई परमिट (स्कूल बसों व अन्य संस्थाओं) को जारी परमिट -	1655 से	1819 तक	-	164
परमिट	8-ढेका गाडी के स्थाई परमिट -	731 से	959 तक	-	228

स-

स्थाई सवारी गाडी के नवीनीकरण किये गये परमिट

पीएसटीपी-1576, 1815, 1817, 1827, 1831, 1864, 1826, 1809, 1833, 1830, 1853, 1856, 1825, 1121, 1128, 1120, 1125, 1143, 1139, 1150, 1142, 1865, 1675, 1574, 1790, 1800, 1823, 1810, 1801, 1818, 1807, 1821, 1832, 1803, 1819, 1802, 1822, 1816, 1804, 1849, 1840, 1843, 1805, 1841, 1848, 1845, 1857, 1861, 1858, 1806, 1828, 1834, 1838, 1700, 1814, 1835, 1844, 1850, 1851, 1836, 1138, 1811, 1860 तथा 1131।

द-

1. श्री मोहम्मद हुसैन पुत्र श्री मूसा खान को आईएसबीटी-सहस्त्रधारा मार्ग पर जारी स्थाई सवारी गाडी परमिट सं०-1842 में संचालित वाहन सं.- यूए07एन-7086, माडल-2006, पंजीयन तिथि-19.06.06 के स्थान पर सेम माडल की वाहन सं०-यूए10-4813, माडल-2006 पंजीयन तिथि-31.03.06 लगाने के सम्बन्ध में सचिव के आदेश दिनांक 19.08.11 का अनुमोदन।

2. श्री विवेक कुमार पुत्र श्री रधुनाथ प्रसाद को देहरादून-कालसी मार्ग पर जारी स्थाई सवारी गाडी परमिट सं०-1879 में संचालित वाहन सं.- यूके०७पीए-1125, माडल-2010 के स्थान पर लोअर माडल की वाहन सं०-यूपी०७जी-7391, माडल-1997 लगाने के सम्बन्ध में सचिव के आदेश दिनांक 26.05.11 का अनुमोदन।
3. श्री पंचम सिंह पुत्र श्री भूरा सिंह को मार्ग सूची सं०-एक पर जारी स्थाई सवारी गाडी परमिट सं०-3230 में संचालित वाहन सं.- यूपी०७सी-9234, माडल-2000, पंजीयन तिथि-16.05.2000 के स्थान पर सेम माडल की वाहन सं०-यूपी०७सी-9115, माडल-2000 पंजीयन तिथि-27.04.2000 लगाने के सम्बन्ध में सचिव के आदेश दिनांक 04.05.11 का अनुमोदन।
4. श्री संजय कुमार गोयल पुत्र श्री किषोरी लाल, 378, आवास-विकास, विवेक विहार, ज्वालापुर, हरिद्वार को कुलड़ी-लक्सर-रूडकी मार्ग पर जारी स्थाई सवारी गाडी परमिट सं० 1038 में संचालित वाहन सं० यूपी११एफ-5182 मॉडल 2002 के स्थान पर डाउन मॉडल की वाहन सं० यूपी०७एच-0116 मॉडल-1997 लगाने के सम्बन्ध में सचिव के आदेश दिनांक 10.10.2011 का अनुमोदन।
5. श्री केष्वर दत्त पुत्र श्री ईष्वर दत्त, गांधी आश्रम विश्णु गार्डन गुरुकुल फार्मसी, हरिद्वार के नाम पर जारी ठेका गाडी परमिट सं०-सीसी 583 में संचालित वाहन सं० यूपी०७सी-4838 मॉडल 1997 के स्थान पर लोअर मॉडल की वाहन सं० यूए०७ए-7396 मॉडल-1994 लगाने के सम्बन्ध में सचिव के आदेश दिनांक 21.10.2011 का अनुमोदन।

मद सं०-4 राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा पर्वतीय मार्गों पर संचालित बसों के लिये निर्धारित मापदण्डों में किये गये संशोधन का अवलोकन।

सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड ने अपने पत्र सं०-2530/एसटीए/दस-82/2010-11 दिनांक 25.07.10 द्वारा सूचित किया है कि, राज्य के पर्वतीय मार्गों की दषा एवं चौडाई में सुधार के फलस्वरूप राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 30.07.10 के मद सं०-8 द्वारा विचार

करते हुए पर्वतीय मार्गों पर संचालित बसों के लिये पूर्व में निर्धारित मापदण्डों में संशोधन करते हुए निम्न आदेश पारित किये हैं—

1. देहरादून—मसूरी मार्ग पर संचालित बसों हेतु पूर्व में निर्धारित व्हीलबेस 190 इंच के स्थान पर 195 इंच व्हीलबेस अनुमन्य किया जाता है।
2. उत्तराखण्ड के सभी सम्भागों के पर्वतीय मार्गों पर संचालित बसों की अधिकतम चौड़ाई 234 सेमी० के स्थान पर 250 सेमी० अनुमन्य की जाती है।
3. प्रदेश के सभी सम्भागों के पर्वतीय मार्गों पर संचालित बसों के लिये पूर्व में ओवरहैंग 50 प्रतिषत निर्धारित है। सम्भागीय परिवहन अधिकारी देहरादून एवम सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन ऋशिकेश द्वारा पूर्व में निर्धारित ओवरहैंग को मार्गों की दृष्टिगत 50 के स्थान पर 60 प्रतिषत ओवरहैंग करने हेतु दिये गये सुझावों एवम अतिरिक्त निदेशक परिवहन, प्रबन्ध निदेशालय हिमाचल प्रदेश शिमला के पत्र सं०—12—1(480) डपेबए बवततमेचध२००६.अवस.प.२४५०४ दिनांक 05.07.10 द्वारा प्राप्त आख्या पर गंभीरता से विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त राज्य के सभी सम्भागों के पर्वतीय मार्गों पर पूर्व में निर्धारित ओवरहैंग 50 प्रतिषत के स्थान पर 60 प्रतिषत इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य किया जाता है कि, वाहन स्वामी द्वारा मूल चैसिस में परिवर्तन नहीं किया जायेगा और इसके अतिरिक्त जोड लगाकर चैसिस को बढाकर 60 प्रतिषत नहीं किया जायेगा।

मद सं०—5 राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा टूरिस्ट वाहनों के परमिट में अधिरोपित की जाने वाली षर्तों में किये गये संशोधन का अवलोकन करने के सम्बन्ध में।

सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड ने अपने पत्र सं०—2531/एसटीए/दस—82/2010—11 दिनांक 25.07.10 द्वारा सूचित किया है कि, राज्य परिवहन प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 30.07.10 के मद सं०—6 के अन्तर्गत टूरिस्ट वाहन के परमिट में अधिरोपित की जाने वाली षर्तों में निम्न प्रकार संशोधन किया है—

1. टूरिस्ट वाहनों के सम्बन्ध में मोटर कैब/मैक्सी कैब की स्थिति में वाहन के चालक द्वारा वाहन के गतिमान होने की दशा में तत्समय टेपरिकार्डर/सीडी प्लेयर आदि का संचालन नहीं किया जायेगा।
2. टूरिस्ट बसों के सम्बन्ध में म्यूजिक सिस्टम की व्यवस्था इस शर्त पर अनुमन्य होगी कि, टेपरिकार्डर/सीडी प्लेयर आदि के संचालन की व्यवस्था बस में परिचालक के पास होगी।
3. 05 वर्ष से अधिक पुराने लाइसेन्स धारक ही वाहन का संचालन कर सकता है, सम्बन्धी शर्त को हटाया जाता है, परन्तु यात्री वाहन का संचालन करने वाले चालकों के चालक लाइसेन्सों के नवीनीकरण के समय सम्बन्धित चालक द्वारा राज्य सरकार के चालक प्रशिक्षण संस्थान में दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स में प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा।
4. सभी प्रकार की व्यवसायिक वाहन में लकड़ी का गुटका अनिवार्य रूप से रखा जायेगा, विशयक शर्त यथावत् लागू रहेगी।
5. टूरिस्ट वाहनों यथा टैक्सी/मैक्सी में वाहन के अग्र भाग में चालक एवं यात्री हेतु 02 बैकेट सीट लगायी जाये। अतः पूर्व में चालक केबिन में पार्टिषन रॉड अनिवार्य किया गया था। अब इस शर्त उपरोक्तानुसार संशोधन किया जाता है।

मद सं०-6 रिविजन सं० 5/2009-श्री गुरबक्श सिंह बनाम संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून तथा अन्य में पारित मा० राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के आदेश दिनांक 27-06-09 के अनुपालन में देहरादून-कालसी मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के अन्तर्गत एक बस मार्ग देहरादून-विकासनगर-कालसी है, इस मार्ग की लम्बाई 55 किमी है। इस मार्ग का वर्गीकरण दिनांक 18-05-73 को किया गया था। इस मार्ग पर पूर्व में 06 स्थाई सवारी गाड़ी परमिट वैध थे इसके पश्चात् 03 परमिट मा० एसटीए(टी) द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में जारी किए गए थे। इस मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों को

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27-12-08 में विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण द्वारा इस बैठक में उदार नीति के अन्तर्गत समस्त प्रार्थनापत्रों को इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि स्वीकृत परमिट नई वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत कर दिनांक 31-03-09 तक प्राप्त किए जाएंगे। इन आदेशों के अनुपालन में मार्ग पर 16 परमिट जारी किए गए थे। वर्तमान में इस मार्ग पर 25 स्थाई सवारी गाड़ी परमिट वैध हैं।

प्राधिकरण के उक्त आदेश दिनांक 27-12-08 के विरुद्ध देहरादून-कालसी मार्ग के ऑपरेटर श्री गुरुबक्स सिंह द्वारा मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण उत्तराखण्ड के समक्ष निगरानी संख्या 05/2009 दायर की गयी थी। मा0 न्यायाधिकरण ने इस निगरानी का निस्तारण दिनांक 27-06-09 को किया है। मा0 न्यायाधिकरण के आदेश मुन्सरिम राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के पत्र संख्या 991/आर-5/09 दिनांक 01-07-09 द्वारा प्राप्त हुए थे। इन आदेशों का मुख्य अंश निम्न प्रकार है:-

“निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विपक्षी संख्या 16 लगायत 20 क्रमशः मोहित कुमार पुत्र श्री भूशण कुमार, सुमित पुत्र श्री ओम प्रकाश, अनिल कुमार पुत्र श्री डी.एम. अग्रवाल, रमा अग्रवाल पत्नी श्री अनिल अग्रवाल तथा इन्द्रप्रीत सिंह पुत्र श्री गुरुबक्स सिंह के पक्ष में जो स्वीकृत किये गये परमिट हैं जिन्हें सचिव, स0प0प्रा0 इस आदेश प्राप्ति के दो माह के अन्दर जारी करें, को छोड़कर विपक्षी संख्या 1 लगायत 15 तथा विपक्षी संख्या 21 लगायत 91 के पक्ष में स्वीकृत/जारी किये गये परमिट निरस्त किये जाते हैं। उपरोक्त निर्णय माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में लम्बित रिट याचिका संख्या 96/2009 सुषीला बनाम सरकार आदि तथा याचिका संख्या 103/2009 एस.के. श्रीवास्तव बनाम सरकार आदि तथा याचिका संख्या 1896/2008 अजय कुमार गर्ग बनाम सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के अधीन होगा। निगरानी की परिस्थितियों को देखते हुए पक्षकार अपना अपना वादव्यय स्वयं करेंगे।”

मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के उपरोक्त आदेशों की प्रतिलिपि दिनांक 21-02-11 को प्रस्तुत करते हुए निम्नलिखित प्रार्थियों ने निवेदन किया है कि मा0 न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक

27-06-09 के अनुपालन में देहरादून-कालसी मार्ग पर स्वीकृत परमिट 05 वर्ष पुरानी वाहनों पर जारी करने की की कृपा करें।

- 1-श्री मोहित कुमार पुत्र श्री भूशण कुमार,
- 2-श्री सुमित कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश,
- 3-श्री अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री डी0एम0 अग्रवाल,
- 4-श्रीमती रमा अग्रवाल पत्नी श्री अनिल कुमार अग्रवाल,
- 5-श्री इन्द्र प्रीत सिंह पुत्र श्री गुरुबक्श सिंह।

मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-06-09 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में श्रीमती सीमा गर्ग व अन्य द्वारा याचिका संख्या 1039/09 तथा 1077/09 दायर की गई थी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-07-09 द्वारा मा0 न्यायाधिकरण के आदेशों को स्थगित किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का मुख्य अंश निम्न प्रकार है:-

शुद्ध जीम इवअम बिजे दक बपतबनउजेजंदबमेएँ द पदजमतपउ उमेंनतमए जपसस जीम दमगज कंजम वी सपेजपदहए वचमतंजपवद वी जीम पउचनहदमक वतकमत कंजमक 27.06.2009 चैमक इल जीम जंजम ज्तंदेचवतज ।चचमससंजम ज्तपइनदंस क्मीतंकनद ीसस तमउंपद जंलमकए वदसल पद व ति पज तमसंजमक जव बंदबमससंजपवद वचमतउपज हतंदजमक इल जीम त्ज। इलीपे वतकमत कंजमक 27.12.2008 पद अिवनत वी जीम चमजपजपवदमतेण्

उपरोक्त मामले को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.03.11 में मद सं0-06 के अन्तर्गत विचार व आदेश प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित किये हैं:-

“मद सं0-6 के अन्तर्गत देहरादून-कालसी मार्ग के सम्बन्ध में श्री गुरुबक्श सिंह द्वारा दायर रिवीजन सं0-05/2009 में पारित मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के आदेश दिनांक 27-06-09 के अनुपालन में 05 प्रार्थियों को स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण ने मद में वर्णित प्रार्थियों सर्वश्री मोहित

कुमार, सुमित कुमार, अनिल कुमार अग्रवाल, श्रीमती रमा अग्रवाल तथा श्री इन्द्रप्रीत सिंह को स्वीकृत परमिट मा० उच्च न्यायालय में लम्बित याचिका सं० 96/09, 103/09 तथा 1896/08 में पारित आदेशों के अधीन जारी करने के आदेश पारित किए हैं। प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि मा० उच्च न्यायालय में अभी तक उपरोक्त याचिकाओं में से 02 याचिकाएं 96/09 तथा 103/09 लम्बित हैं।

उपरोक्त मामले में श्री अनिल कुमार अग्रवाल प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए उन्होंने निवेदन किया कि पूर्व में प्राधिकरण द्वारा प्रजनन मार्ग पर स्वीकृत परमिट नई बसों पर जारी करने के आदेश पारित किए गए थे, परन्तु प्रार्थी वर्तमान में परमिटों को नई बसों से प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनको पुरानी बसों पर परमिट जारी करने की आज्ञा इस शर्त के साथ प्रदान की जाए कि 06 माह के पश्चात् परमिटों पर नई वाहनों प्रतिस्थापित की जाएंगी।

प्राधिकरण ने मामले में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि उपरोक्त याचिकाओं की वर्तमान स्थिति ज्ञात की जाए। इसके पश्चात् मामले को विचारोपरान्त आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।”

प्राधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में सर्वश्री मोहित कुमार, सुमित कुमार, अनिल कुमार अग्रवाल, श्रीमती रमा अग्रवाल तथा श्री इन्द्रप्रीत सिंह ने दिनांक 05.04.11 को पृथक पृथक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये गये हैं। प्रार्थियों ने सूचित किया है कि श्री अजय कुमार गर्ग द्वारा दायर याचिका सं०—1896/08 का निर्णय दिनांक 22.10.08 को हो चुका है। प्रार्थियों ने मा० उच्च न्यायालय के आदेश की छायाप्रति प्रस्तुत की है। इन आदेशों द्वारा सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून को निर्देश दिए गए थे कि तीन माह के अन्दर याचिकाकर्ता के प्रार्थनापत्र का निस्तारण किया जाए। मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित इन आदेशों के अनुपालन में याचिकाकर्ता के प्रार्थनापत्र पर प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27-12-08 में मद सं०—04(11) द्वारा विचार किया गया था। याचिका सं० 1896/08 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.10.08 का मुख्य अंश निम्नप्रकार है:—

शुभपदही मंतक समंतदमक बवनदेमस वित जीम चमजतपजपवदमत दक समंतदमक ककपजपवदंस कअवबंजम ळमदमतंस वित जीम तमेचवदकमदजे दक जिमत हवपदह जीतवनही जीम वतकमत कंजमक 24.09.2007 चेंमक इल जीम जंजम ज्तंदेचवतज चचमससंजम ज्तपइनदंसए क्मीतंकनदए जीपे तपज चमजपजपवद पे नउउंतपसल कपेचवेमक विकपतमबजपदह जीम त्महपवदंस ज्तंदेचवतज नजीवतपजल जव कमबपकम जीम चचसपबंजपवद वी जीम चमजपजपवदमत मगचमकपजपवनेसल चवेपइसमए चतममितंइसल पूजीपद चमतपवक वी जीतमम उवदजीण प्दजमतपउ त्मसपमि चचसपबंजपवद छवण 7043 वि 2008 सेवेजके कपेचवेमक वद्विण

श्रीमती सुषीला देवी द्वारा दायर याचिका सं०-96/09 एवं श्री एस०के० श्रीवास्तव द्वारा दायर याचिका संख्या 103/09 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा क्रमशः दिनांक 19.01.09 तथा 21.01.09 को अंतरिम आदेश पारित किये गये थे जो निम्न प्रकार हैं:-

याचिका संख्या 96/2009 में पारित आदेश:-

शुभ जीम उमंदजपउम चचसपबंजपवद वी जीम चमजपजपवदमत ीसस इम बवदेपकमतमक इल जीम तमेचवदकमदजे वित हतंदज विचमतउपज पद बबवतकंदबम पूजी सूण प्दजमतपउ वतकमत 15६०1६2009 पे उवकपिमक जव जीम मगजमदज जीज पेनंदबम विचमतउपज पद चनतेनंदबम वी जीम हमदकं वि उममजपदह कंजमक 27६12६2008 ीसस इम नेइरमबज जव जीम कमबपेपवद वी जीम तपज चमजपजपवदण

याचिका संख्या 103/2009 में पारित आदेश:-

शु जिमत कनम बवदेपकमतंजपवद वी जीम नेइउपेपवदे वी जीम समंतदमक बवनदेमस वित जीम चंतजपमेए पज पे कपतमबजमक जीज पेनंदबम विचमतउपज पद चनतेनंदबम वी जीम हमदकं पजमउ दव 13 वी जीम उममजपदह कंजमक 27.12.2008 ीसस इम नेइरमबज जव जीम कमबपेपवद वी जीम तपज चमजपजपवदण

समंतदमक बवनदेमस वित जीम चमजपजपवदमत ी तममिततमक जीम रनकहउमदज तमचवजमक पद प् 1995 र्सस भाठ व 385 ीउपउ भ्यकमत दक दवजीमत अण त्महपवदंस ज्तंदेचवतज नजीवतपजल उममतनज दक दवजीमत दक चतंलमक जीज तमेचवदकमदजे उंल इम कपतमबजमक जव विससवू जीम बपजमक रनकहउमदज बबवतकपदह जव उतण ळवचंस छंतंपदए कअवबंजम जीपे रनकहउमदज जपसस विसके हववकण जीमतमवितमए जीम तमेचवदकमदजे उंल सेव बवदेपकमत जीम बंम सू तममिततमक इवअमण

प्रार्थियों ने सूचित किया है कि इसके पश्चात कोई आदेश मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित नहीं किए गए हैं और याचिकायें अभी तक मा० उच्च न्यायालय में लम्बित हैं। प्रार्थियों ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के सन्दर्भ में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा पूर्व में कानूनी राय लेने के पश्चात परमिट इस प्रतिबन्ध के साथ जारी किये गये हैं कि मार्ग पर जारी किये गये परमिट मा० उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त याचिकाओं में पारित आदेशानुसार प्रभावित होंगे।

प्रार्थियों ने यह भी निवेदन किया है कि वर्तमान में नई वाहन उपलब्ध नहीं हो पा रही है इसलिए उनको छह माह की अवधि के लिये प्रष्णगत मार्ग पर 05 वर्ष पुरानी वाहन पर परमिट जारी करने की स्वीकृति प्रदान करें तथा प्रार्थी छह माह के भीतर नई गाडी अर्थात् जो प्राधिकरण के बैठक की तिथि 27.12.08 (परमिट स्वीकृति की तिथि) के बाद पंजीकृत वाहन को परमिट पर पृश्टांकित करा देंगे।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि मा0 उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या-117/09/एमएस तथा 140/09/एमएस श्री विजय गोयल तथा अन्य में दिनांक 22-05-09 को अपने निर्णय में परमितों पर नई वाहन लगाने की षर्त को सही ठहराया है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं-7

मण्डलीय प्रबंधक संचालन उत्तराखण्ड परिवहन निगम, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा देहरादून-विकास नगर-कालसी मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमितों हेतु दिए गए प्रार्थनापत्रों पर विचार व आदेश।

मंडलीय प्रबन्धक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून द्वारा जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत प्राप्त बसों के लिए देहरादून-विकासनगर-कालसी मार्ग पर 10 स्थाई सवारी गाडी परमित जारी करने हेतु दिए गए प्रार्थनापत्रों को विचार व आदेश हेतु सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 09-03-11 में मद सं0-7(अ) द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड परिवहन निगम के प्रतिनिधियों ने निवेदन किया था कि उनको उपरोक्त मार्ग पर परमित जारी कर दिये जायं। परिवहन निगम को परमित जारी करने के विरुद्ध श्री एस0के0 श्रीवास्तव ने आपत्ति करते हुए कहा कि जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत प्राप्त बसों विभिन्न षहरों में नगर बस सेवा चलाने हेतु दी गयी हैं। इन बसों को नगर क्षेत्र से बाहर संचालन हेतु परमित जारी करना उचित नहीं है।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09-03-11 में अपत्तिकर्ताओं ने मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में श्री षैलेन्द्र कुमार षर्मा द्वारा दायर याचिका संख्या 383/11 में पारित आदेश दिनांक 05-03-11 प्रस्तुत किए गए थे। मा0 न्यायालय के आदेश निम्न प्रकार है:-

श्रीम चमजपजपवदमत पी पिसमक जीम चतमेमदज तूपज चमजपजपवद वित जीम नौपदह विपजमउ छवण 11 विजीम कअमतजपेमउमदज कंजमक 19^{जी} थमइतनंतलए 2011 पेनमक इल जीम मबतमजंतल त्महपवदंस ज्तंदेचवजत नजीवतपजलए क्मीतंकनदण जीम कअमतजपेमउमदज पेनमक पदकपबंजमक जीज अंतपवने उंजजमते वूनसक इम बवदेपकमतमक इल जीम नजीवतपजल वद 9^{जी} डंतबीए 2011 दक जीज वइरमबजपवदेए पदिलए वूनसक इम मदजमतजपदमक तिवउ हहतपमअमक चमतेवदे जपसस 1^{जी} डंतबीए 2011ण प्जमउ छवण 11 पदकपबंजमक जीज चचसपबंजपवदे पद श्रीतसंस छमीतन छंजपवदंस न्तइंद त्मदमूस डपेपवदे बीमउम वित क्मीतंकनद.इंसेप तवनजम वूनसक इम बवदेपकमतमकण

जीम बवदजमदजपवद विजीम चमजपजपवदमत जीज जीम मबतमजंतल त्महपवदंस ज्तंदेचवत नजीवतपजल की दव चवूमत जव पेनम जीम कअमतजपेमउमदज दवत चचसपबंजपवदे वित क्मीतंकनद.इंसेप तवनजम बवनसक इम बवदेपकमतमकए पे इमतमजि विउमतपजण जीपे ब्यनतज पे विजीम वचपदपवद जीज वइरमबजपवदे वे तंपेमक पद जीम तूपज चमजपजपवद बवनसक इम मंपसल वइरमबजमक इल जीम चमजपजपवदमत इमवितम जीम नजीवतपजल बवदबमतदमकण पिनबी वइरमबजपवदे तम तंपेमकए जीम नजीवतपजल बवदबमतदमकूपसस बवदेपकमत दक कमबपकम जीम उंजजमत पीपसम कमबपकपदह पजमउ छवण 11 विजीम कअमतजपेमउमदज कंजमक 19^{जी} थमइतनंतलए 2011ण

जीम तूपज चमजपजपवदे पे कपेउपेमक ज जीपे जंहमण

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09-03-11 में मामले पर विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित किए गये थे:-

“इस मद के अन्तर्गत मंडलीय प्रबंधक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून द्वारा जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत प्राप्त बसों के लिए देहरादून-विकासनगर-कालसी मार्ग 10 स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी हेतु दिए गए प्रार्थनापत्रों को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड परिवहन निगम के प्रतिनिधियों को सुना गया उन्होंने निवेदन किया है कि उनको उपरोक्त मार्ग पर परमिट जारी किए जाएं। परिवहन निगम को परमिट जारी करने विरुद्ध श्री एस0के0 श्रीवास्तव ने आपत्ति करते हुए कहा कि जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत प्राप्त बसें विभिन्न षहरों में नगर बस सेवा चलाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी हैं। इन बसों को नगर क्षेत्र से बाहर संचालन के परमिट जारी करना उचित नहीं हैं।

प्राधिकरण के समक्ष श्री एस0के0 श्रीवास्तव, श्री राकेष मिततल, सचिव, देहरादून-कालसी-कुल्हाल (पांवटा) डाकपत्थर मोटर ऑनर्स एसोसिएशन तथा सचिव/अध्यक्ष, देहरादून-विकासनगर-डाकपत्थर मोटर ऑनर्स वेल्फेयर एसोसिएशन ने देहरादून-कालसी मार्ग पर निजी वाहन स्वामियों को तथा जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत परिवहन निगम को स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करने के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत की है तथा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में श्री पैलेन्द्र कुमार षर्मा द्वारा दायर याचिका सं0-383/11 में पारित आदेश दिनांक 05-03-11 की छायाप्रति संलग्न की है। इन आदेशों में कहा गया है कि याचिकाकर्ता प्राधिकरण के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई आपत्ति दी जाती है तो जेएनएनयूआरएम योजना की बसों को परमिट स्वीकृत करने से पूर्व याचिकाकर्ता द्वारा दी गयी आपत्ति का निस्तारण प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

अपनी आपत्तियों में आपत्तिकर्ताओं ने निम्न बिन्दु उठायें हैं:-

1. जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्राप्त बसें नगर बस सेवा चलाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी हैं। देहरादून-कालसी नगर बस सेवा मार्ग नहीं है इसलिए इस मार्ग पर इन बसों को परमिट जारी नहीं किए जा सकते हैं।
2. उन्होंने अपनी आपत्ति में यह भी कहा है कि जेएनएनयूआरएम बसों के संचालन हेतु सरकार द्वारा बनाई गयी समिति में सम्भागीय परिवहन अधिकारी को भी सदस्य सचिव, नामित किया गया है, जो सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के भी सचिव हैं। इसलिए यह धारा 68(2) में दिए गए प्राविधानों के विरुद्ध है। जैसा कि मा0 कर्नाटका राज्य उच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं0-13980/88 तथा अन्य याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 25-08-89 में निर्णित है। (ए0आई0आर0 1990 कर्नाटका, 1982)
3. आपत्तिकर्ता ने यह भी कहा है कि षासन द्वारा सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के गठन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 18-04-2001 भी नियमानुसार नहीं है। इस अधिसूचना में आयुक्त गढ़वाल मण्डल को प्राधिकरण का अध्यक्ष तथा उप परिवहन आयुक्त को सदस्य एवं एक गैर

सरकारी सदस्य नामित करने का प्राविधान है, परन्तु वर्तमान में विभाग में कोई भी उप परिवहन आयुक्त नहीं है।

अध्यक्ष, देहरादून-विकासनगर-डाकपत्थर मोटर ऑनर्स वेल्फेयर एसोसिएशन ने परमिट जारी करने के विरुद्ध आपत्ति की है। अपनी आपत्ति में उन्होंने यह कहा है कि उनके मार्ग को प्रष्णगत मार्ग द्वारा ओवरलेप किया जाता है। मार्ग पर बहुत अधिक संख्या में वाहनों का संचालन हो रहा है। निजी वाहनों के अतिरिक्त मार्ग पर हरियाणा रोडवेज, पंजाब रोडवेज, हिमाचलप्रदेश रोडवेज, चंडीगढ़ रोडवेज तथा मार्ग सूची सं०-5 की बसें भी चलती हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड परिवहन निगम की 15 बसें देहरादून से कालसी होते हुए साहिया, आराकोट, चकराता, त्यूनी आदि स्थानों को संचालित हो रही हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि देहरादून-कालसी मार्ग पर और परमिट जारी नहीं किए जाएं।

उपरोक्त आपत्तियों के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु उत्तराखण्ड परिवहन निगम के प्रतिनिधियों द्वारा बैठक में प्राधिकरण से समय मांगा गया है। अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि परिवहन निगम को प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया जाए तथा मामले को पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।”

मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्ध की गयी आपत्तियां तथा उप महाप्रबन्धक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय, देहरादून के पत्र संख्या 73/एच.क्यू./संचालन- 11/2011 दिनांक 16-03-11 द्वारा प्रेषित उत्तर निम्न प्रकार है:-

सचिव, देहरादून-कालसी, कुल्हाल (पांवटा) डाकपत्थर मोटर्स ऑनर्स एसोसिएशन तथा श्री एस०के० श्रीवास्तव द्वारा की गयी आपत्ति:-

परिवहन निगम द्वारा प्रेषित उत्तर

<p>1— यह कि राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68 के अंतर्गत राज्य एवं संभागीय परिवहन प्राधिकरणों का गठन अधिसूचना द्वारा किया जाता है। इस सम्बन्ध में वर्तमान प्राधिकरण का गठन दिनांक 18-04-01 को देहरादून संभागीय परिवहन प्राधिकरण का गठन किया गया है जिसमें मण्डलायुक्त, गढ़वाल, अध्यक्ष, उप-परिवहन आयुक्त षासकीय सदस्य एवं एक नामित गैर षासकीय सदस्य को सम्मिलित किया गया था। वर्तमान में उक्त अधिसूचना प्राप्त जानकारी के अनुसार संशोधित नहीं किया गया है। और उप-परिवहन आयुक्त का मद रिक्त चल रहा है, इसलिए प्राधिकरण वैधानिक रूप से सम्यक गठित नहीं है।</p> <p>2— यह कि प्राधिकरण का गठन मोटर यान अधिनियम, 1988 एवं उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली के नियम 56 के उपनियम 7 के अनुसार भी वैधानिक नहीं है क्योंकि प्राधिकरण की सचिव उत्तराखण्ड परिवहन निगम के अन्तर्गत जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के लिए आवंटित बसों के संचालन एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित बोर्ड की मैम्बर भी दिनांक 19-03-10 द्वारा नामित की गयी है, इसलिए उक्त मार्ग के लिए परिवहन निगम के आवेदन पत्र भी स्वीकार नहीं करने थे। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने मुकदमें का स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है, के सिद्धान्त के विरुद्ध है और अवैधानिक है। दिनांक 19-03-10 के आदेश की छायाप्रति संलग्न है।</p> <p>3— यह कि संभागीय परिवहन प्राधिकरण अर्ध न्यायिक संस्था</p>	<p>1— आपत्ति कर्ता का यह कहना गलत है कि आर0टी0ए0 वैधानिक रूप से गठित नहीं है, यदि प्राधिकरण देहरादून-डाकपत्थर-कालसी वाया प्रेमनगर मार्ग हेतु वैधानिक नहीं है, तो उक्त प्राधिकरण इससे पूर्व हुई बैठकों व अन्य मार्गों के लिए अथवा अन्य कार्यालय के लिये भी वैधानिक नहीं है।</p> <p>2— बिन्दु में उठाये गये संदर्भित बोर्ड का कोई षासनादेश होने अथवा अधिसूचना जारी होने की जानकारी उत्तराखण्ड परिवहन निगम के पास नहीं है। संभवत यह षासन की पत्रावली की छायाप्रति है जिसमें जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की बसों के संचालन हेतु प्रस्ताव बनाया गया है।</p> <p>3—</p>
---	---

होती है जो कि न्यायिक कार्य करने के लिए गठित की जाती है, इसलिए अर्ध न्यायिक संस्था का भी एवं सदस्य/सचिव भी पारदर्शी प्रक्रिया के अन्तर्गत पारदर्शी होने चाहिए जो कि वर्तमान में नहीं है, इसलिए उक्त प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं किया जा सकता है।

4—यह कि देहरादून—विकासनगर—डाकपत्थर एवं सहबद्ध मार्ग का ही डाकपत्थर से कालसी 5 किमी विस्तारित मार्ग भाग है तथ सम्पूर्ण रूप से मार्ग ओवरलैप होता है। देहरादून—विकासनगर—डाकपत्थर मार्ग पर मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा श्री जितेन्द्र जोषी की याचिका सं0 15207/एम0डी0/98 पर दिनांक 02-03-1998 को यह आदेश पारित किए थे कि षमीम हैदर के निर्णय के अनुसार मार्ग पर परमिट सर्वेक्षण के पश्चात् ही स्वीकृत किए जाये। इस मार्ग पर अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वेक्षण आख्या प्राप्त नहीं है। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश की छायाप्रति संलग्न है।

5—यह कि पूर्ववर्ती सरकार ने अधिसूचना द्वारा प्राधिकरणों को निर्देशित किया था कि प्रत्येक वाहन कम से कम 220 किमी प्रतिदिन संचालन उपलब्ध कराया जाये। उक्त अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक वाहन को प्रतिदिन मार्ग पर 220 किमी संचालन प्राप्त होने के पश्चात् ही आवश्यकता महसूस होने पर पुनः सर्वेक्षण कराकर ही आवश्यक परमिट स्वीकृत किए जा सकते हैं जो कि प्रणगत मार्ग पर सर्वेक्षण नहीं होने की दशा में अतिरिक्त वाहनों की आवश्यकता प्राप्त होने का कोई प्रमाण

4— उत्तराखण्ड परिवहन निगम के पास प्रतिदिन विभिन्न मार्गों पर जनता एवं जनप्रतिनिधियों के आवेदन/प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं, जिनमें देहरादून—विकासनगर—कालसी मार्ग हेतु भी अनेक पत्र प्राप्त हुये हैं। पूर्व में निगम के पास सीमित बस बेड़ा होने के कारण इस मार्ग पर संचालन नहीं किया जा रहा था, किन्तु वर्तमान में बस उपलब्ध होने पर निगम द्वारा इस मार्ग पर बस संचालन का निर्णय लिया गया तथा परमिट भी आवेदित किये गये हैं।

5— संदर्भित मार्ग पर वर्तमान में सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण विकसित हो रहा है तथा इस मार्ग पर यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। परिवहन निगम द्वारा समय—समय पर विभिन्न मार्गों पर यात्रियों की उपलब्धता का आंकलन कर नये मार्गों पर बसें संचालित की जाती रही हैं। इस मार्ग पर भी यात्रियों की उपलब्धता एवं बस सेवा की मांग पर ही बसों का संचालन किया गया है।

<p>नहीं है, जबकि प्रष्णगत मार्ग पर वाहनों का संचालन प्रतिदिन 114 किमी ही है, इसलिए जब तक कि संचालित वाहनों को प्रतिदिन 220 किमी प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक नये परमिट स्वीकृत नहीं किए जा सकते हैं।</p>	<p>6, 7—आपत्ति पत्र के साथ मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश/निर्णय की प्रति संलग्न नहीं हैं, जिस कारण इस बिन्दु पर टिप्पणी किया जाना संभव नहीं है।</p>
<p>6—यह कि माननीय उच्च न्यायालय—उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा भी याचिका सं0 103/एमएस/09 पर भी षमीम हैदर के निर्णय में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन प्रष्णगत मार्ग पर दिए जाने के आदेश दिए गए हैं जो कि सचिव के कार्यालय में दिनांक 23-01-09 को जमा करा दिये गये थे, पुनः छायाप्रति संलग्न है।</p>	
<p>7—यह कि मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिनांक 14-10-09 को स्पेशल अपील सं0-200/10 एवं 201/10 पर प्रष्णगत मार्ग पर परमिट स्वीकृत नहीं करने के लिए आदेश जारी किए हैं, जिसकी प्रति कार्यालय में जमा है, पुनः छायाप्रति संलग्न है।</p>	<p>8— निगम द्वारा वर्तमान में परमिट आवेदित किये गये हैं, परमिट स्वीकृत होने पर सम्बन्धित मार्ग की समय—सारणी परिवहन विभाग को उपलब्ध करा दी जायेगी।</p>
<p>8—यह कि सचिव द्वारा परिवहन निगम के आवेदन पत्रों के साथ समय सारणी प्राप्त नहीं है और यह भी अवगत कराना है कि निगम द्वारा आज तक किसी भी सेवा के लिए कोई समय सारणी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की है। मार्ग पर संचालित वाहनों के समय पर वर्तमान आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मार्ग पर संचालित वाहनों की अनुमोदित समय सारणी में दिए गये प्रातः एवं सांय के पश्चात् ही समय आवंटित किया जाये। प्रार्थना पत्र अपूर्ण हैं, इसलिए अपूर्ण प्रार्थनापत्र विचार किए जाने योग्य नहीं हैं।</p>	<p>9— जे0एन0एन0यू0आरम0एम0 योजना के अंतर्गत प्राप्त बसों के ँष्ट बनने तक उत्तराखण्ड षासन द्वारा परिवहन निगम को अधिकृत किया गया है तथा निगम द्वारा इन बसों को आर्थित स्थिति को देखते हुए विभिन्न मार्गों पर संचालित किया जा रहा है तथा</p>

9—यह कि परिवहन निगम द्वारा वैध परमिट प्राप्त किए बगैर ही उक्त योजना के अन्तर्गत प्राप्त वाहनों का पिछले एक वर्ष से संचालन किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा बिना परमिट वाहन संचालन पाये जाने पर परिवहन निगम पर 5000/- प्रति परमिट वाहन जुर्माना किया था, इसलिए प्राधिकरण से अनुरोध है कि बिना परमिट वाहन संचालन सिद्ध है जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में उक्त योजना के अन्तर्गत वाहनों का संचालन प्रष्णगत मार्ग पर रोका गया है, इसलिए प्राधिकरण सभी 60 वाहनों के बिना परमिट संचालित किए जाने क अपराध में प्रतिदिन 5000/- प्रति वाहन आरोपित करने के आदेश पारित करने की कृपा करें तथा जुर्माना जमा होने के पश्चात् ही आवेदन पत्रों पर सुनवाई की जाये।

वर्तमान में इन बसों का स्वामित्व उत्तराखण्ड परिवहन निगम का ही है।

निगम के पास देहरादून-कालसी-सहिया मार्ग के 03, देहरादून-चीवा-आराकोट मार्ग के 02, देहरादून-चकराता मार्ग के 02 परमिट देहरादून-विकासनगर-त्यूनी वाया क्यानूमीनस मार्ग के 04 परमिट, देहरादून-विकासनगर-उत्तरकाषी मार्ग के 02, देहरादून-विकासनगर-हनोल मार्ग के 02 परमिट।

निगम द्वारा उपरोक्त के अनुसार अपना संचालन किया जा रहा था, किन्तु उपरोक्त सम्बन्धित मार्गों की बसें खराब होने एवं कार्यषाला में तकनीकी कार्यो हेतु खड़ी होने के कारण बसों को संचालन के लिये बदला गया है। उक्त बसों को बदलने में ही निगम द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत प्राप्त बसों को ही निगम द्वारा बदला गया है। निगम द्वारा देहरादून-विकासनगर मार्ग के अंतर्गत निम्न परमिट आवेदित किये गये हैं।

क्रम सं०	मार्ग का नाम	परमिट की संख्या
1.	देहरादून-विकासनगर-कालसी	10
2.	देहरादून-सेलाकुई	10

<p>10—यह कि दिनांक 20—11—04 को मद सं० 10 पर प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित किए गये कि परमिट स्वीकृत करने से पहले एक पॉलिसी बनायी जायेगी, उसके पश्चात् ही परमिट स्वीकृत किए जायेंगे। प्राधिकरण द्वारा अभी तक पिछले आदेश के अनुपालन में कोई नीति नहीं बनायी गयी है। चूंकि प्राधिकरण द्वारा नीति बनाये जाने के बाद ही परमिट स्वीकृत करने के लिए बाध्य है और प्राधिकरण अपने आदेश को पुर्नरीक्षित नहीं कर सकता है। यह मा० उच्च न्यायालय एवं मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यवस्था दी गयी है कि यदि एकट में पुर्नरीक्षण की व्यवस्था नहीं है तो कोई भी अपने आदेश का पुर्नरीक्षण नहीं कर सकता है, इसलिए परमिट स्वीकृत करने से पहले नीति बनायी जारी आवश्यक है, तत्पश्चात् ही परमिट स्वीकृत करने के आवेदन स्वीकार किए जाये।</p> <p>11—यह कि सचिव द्वारा दिनांक 15—11—10 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1998 जो कि उत्तराखण्ड में प्रभावी है, के नियम 58 (2) के अनुपालन में</p>	<p>3. देहरादून—कुल्हाल</p>	<p>10</p>
<p>10, 11— आपत्तिकर्ताओं का कहना कि उक्त हेतु कोई पॉलिसी नहीं है तथा कोई नीति नहीं बनाई गई है, तो यह नियम फिर समस्त मार्गों पर लागू होना चाहिए, केवल मात्र देहरादून—विकासनगर—कालसी मार्ग के लिये ही नहीं।</p>		

अवगत कराया गया है कि उक्त नियम के अन्तर्गत कोई भी व्यवस्था उल्लिखित नहीं की गयी है, इसलिए जब तक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 20-11-04 को लिए गये निर्णय एवं नियम 58(2) के अंतर्गत नीति नहीं बनायी जाती है तक तक किसी भी मार्ग पर कोई परमिट आवेदन पत्र स्वीकार/परमिट स्वीकृत/जारी करने के आदेश प्राधिकरण द्वारा नहीं दिए जा सकते हैं। चूंकि प्राधिकरण अपने आदेश का पुनरीक्षण नहीं कर सकता है, इसलिए प्रश्नगत मार्ग पर मद सं० 6-7 (अ)(ब) पर कोई निर्णय प्राधिकरण द्वारा लिया जाना वैधानिक नहीं है।

12-यह कि परिवहन निगम द्वारा देहरादून-डोईवाला मार्ग पर स्वीकृत परमिट एवं राजपुर-क्लेमनटाऊन मार्ग पर स्वीकृत परमिट भी उक्त योजना में प्राप्त वाहनों के प्रति जारी नहीं कराये गये है, जिससे जनता को प्राप्त होने वाली यातायात सुविधा भी प्राप्त नहीं हो पा रही है।

13-यह कि परिवहन निगम पर प्राप्त सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2006-07 तक 39,22,20,540/- रु० बकाया था जिसमें अब तक और वृद्धि हो चुकी है, इसलिए अधिनियम के अनुसार बकायेदार को परमिट स्वीकृत/जारी नहीं किया जा सकता है।

12- उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा देहरादून-डोईवाला एवं राजपुर-क्लेमनटाऊन मार्ग के परमिट आर०टी०ए० से प्राप्त करने की कार्यवाही की गई है।

13- उत्तराखण्ड परिवहन निगम सरकारी निगम है तथा उत्तराखण्ड सरकार का ही उपक्रम है, उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा वर्तमान में अलाभकारी मार्गों पर संचालन किया जा रहा है, जिसके संबंध में उत्तराखण्ड शासन को अवगत कराया गया है। निगम द्वारा उत्तराखण्ड शासन के दिशा-निर्देश व अनुमोदन के तहत ही योजनाओं को बनाया व संचालित किया जाता है। इसलिए निगम पर कितना बकाया है या नहीं यह शासन स्तर का एवं नीतिगत मामला है। इस बिन्दु का परमिट से कोई संबंध प्रतीत नहीं होता है।

14- निगम द्वारा बस परिचालकों के द्वारा यात्रियों को अनिवार्य रूप से टिकट दिया जाना सुनिश्चित किया गया है निगम में यातायात अधीक्षक, यातायात निरीक्षक एवं सहायक यातायात निरीक्षक नियुक्त किये गये हैं तथा वर्तमान में कुल 03 यातायात अधीक्षक, 11 यातायात निरीक्षक एवं 37 सहायक यातायात निरीक्षक के द्वारा मार्ग पर बस सेवाओं का नियमित/आकस्मिक

<p>14—यह कि परिवहन निगम की वाहनों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार एवं समाचार पत्रों में छपी खबरों के द्वारा पता चला है कि परिचालकों द्वारा बिना टिकट यात्रा करायी जा रही है, जिससे सरकार को राजस्व की छति हो रही है। प्रमाण स्वरूप समाचार पत्रों की छायाप्रतियां संलग्न है।</p>	<p>मार्ग चौकिंग कार्य किया जा रहा हैं। चौकिंग के दौरान यदि कोई बिना टिकट का प्रकरण पाया जाता है, तो सम्बन्धित परिचालक के विरुद्ध अनुषासनिक कार्यवाही की जाती है अथवा सेवा से पृथक कर दिया जाता है। चौकिंग के दौरान इस प्रकार सामने आने वाले प्रकरणों को लोकल समाचार पत्रों के द्वारा बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाता है। निगम द्वारा यात्रियों को टिकट दिये जाने के कार्य में पारदर्षिता लाने हेतु ई-टिकटिंग प्रणाली लागू की गई है, जोकि निगम द्वारा संचालित सभी बसों में लागू है।</p> <p>जबकि दूसरी तरफ अधिकांश निजी वाहन स्वामियों के द्वारा तो अपनी बसों में यात्रियों को टिकट देने हेतु टिकट तक नहीं छपवाये गये हैं तथा यात्रियों से मात्र किराया वसूल कर यात्रा करवाई जा रही है अर्थात् बिना टिकट ही यात्रा करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन समाचार पत्रों में निजी वाहन स्वामियों के द्वारा यात्रियों से मनमाना किराया वसूल करने, यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार करने तथा राह चलते मुसाफिरों को कुचल देने जैसे समाचार प्रकाषित हो रहे हैं।</p>
<p>देहरादून—विकासनगर—डाकपत्थर मार्ग के ऑपरेटर श्री षमषाद अली की आपत्ति:—</p>	<p>परिवहन निगम द्वारा प्रेशित उत्तर</p>
<p>1प जीम डवजवत टमीपबसम बज 1988 मउचवूमते जीम ेजंजम ळवअजण जव बवदेजपजनजम जीम ेजंजम ज्तंदेचवतज नजीवतपजल दक त्महपवदंस</p>	<p>1 से 5 तक के बिन्दु मोटर व्हील एक्ट से सम्बन्धित हैं।</p>

ज्त्तंदेचवतज नजीवतपजल इल दवजपपिबंजपवद चनइसपीमक पद जीम
वपिबपंस इमजजमण

2ण जेज वद 9.1 1.2000 जीम दमूँजंजम पी इममद बतमंजमक दक दवूदँँसंजम
वन्जजंतंदबीस ;दवू न्जजंतींदकद्ध

3ण जेज जीमँमबजपवद 68 वीजीम डवजवत टमीपबसम ।बज चतवअपकमे वित
बवदेजपजनजपवद वीँज। दक त्ज। इल जीमँजंजम ळवअमतदउमदजण जीम
ँपकेमबजपवद पे तमचतवकनबमकीमतमपद नदकमतण

५8. ज्त्तंदेचवतज नजीवतपजपमे. ;1द्ध जीमँजंजम ळवअमतदउमदजँँससए इल
दवजपपिबंजपवद पद जीम वपिबपंस ळमजजमए बवदेजपजनजम वित जीमँजंजम
ँजंजम ज्त्तंदेचवतज नजीवतपजल जव मगमतबपेम दक कपेबीतहम जीम चवूमते दक
निदबजपवदे चमबपिमक पद नइँमबजपवद ;3द्ध दकँँसस पद सपाम उंददमत
बवदेजपजनजम त्महपवदंस ज्त्तंदेचवतज नजीवतपजपमे जव मगमतबपेम दक कपेबीतहम
जीतवनहीवनजेनबी तमें ;पद जीपे बीचजमत तममिततमक जवँ तमहपवदेद्धँ उंल जीम
चमबपिमक पद जीम दवजपपिबंजपवदए पद तमेचमबज वी मंबी तमहपवदंस
ज्त्तंदेचवतज नजीवतपजलणरू जीम चवूमते दक निदबजपवदे बवदमितत1क इल वत
नदकमत जीपे बीचजमत वदेनबी नजीवतपजपमेण
त्तवअपकमक जीज पद जीम न्दपवद जमततपजवतपमेए जीम ।कउपदपेजतंजवत उंल
इेजंपद तिवउ बवदेजपजनजपदह दल त्महपवदंस ज्त्तंदेचवतज नजीवतपजलण
;2द्ध ।4जजबण ज्त्तंदेचवतज नजीवतपजल वत त्महपवदंस ज्त्तंदेचवतज नजीवतपजल
ँसस बवदेपेज वीँ बिंपतउंदीव पीँक रनकपबपंस मगचमतपमदबम वत मगचमतपमदबमँ
द ।चचमससंजम वत त्मअपेपवदंस नजीवतपजल वतँ द करनकपबंजपदह

नजीवतपजल बवउचमजमदज जव चेंदल वतकमत वत जव जांमदल कमबपेपवद
 नदकमतदल सूंदक पद जीम बेंम वींजंजम श्तंदेचवतज ।नजीवतपजलएनेबी
 वजीमत चमतेवदे र्मीमजीमत वीपिबपंस वत दवजद्ध दवज इमपदह उवतम जींद विनतदक
 पद जीम बेंम वीं त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ; ।नजीवतपजलएनेबी वजीमत चमतेवदे
 र्मीमजीमत वीपिबपंस वत दवजद्ध दवज इमपदह उवतम जींद जूवए जीमैजंजम ळवअजण
 उंल जीपदा पिज जव चचवपदजए इनज दव चमतेवद्वीवींदल पिदंदबपंस पदजमतमेज
 र्मीमजीमत चतवचतपमजवत मउचसवलमम वत वजीमतूपेम पददल जतंदेचवतज
 नदकमतजांपदह र्ीसस इम चचवपदजमकए वत बवदजपदनम जव इमए उमउइमत वीं
 जंजम वत त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजलदक पिंदल चमतेवद इमपदह
 उमउइमत वींदलनेबी नजीवतपजल बुनपतमे पिदंदबपंस पदजमतमेज पददल
 जतंदेचवतज नदकमतजांपदहए र्ीम र्ीसस पूजीपद विनतूममो वीव कवपदह हपअम
 दवजपबम पद तूपजपदह जव जीमैजंजम ळवअजण वी जीम बुनपेपजपवद वींनबी
 पदजमतमेजदक र्ीसस अंबंजम वीपिबमण

त्तवअपकमक जीजण दवजीपदह पद जीपेनेइ मबजपवद र्ीसस चतमअमदजदल वी
 जीम उमउइमते वशि जीमैजंजम ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल वत त्महपवदंस
 ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजलए जीम बेंम उंल इमए जव चतमेपकम वअमत उममजपदह
 वींनबी नजीवतपजल शकनतपदह जीम इेमदबम वी जीम बीपतउंदए दवजूपजीजंदकपदह
 जीजनेबी उमउइमत कवमे दवज चवेमे रनकपबपंस मगचमतपमदबम वत
 मगचमतपमदबम द चचमससंजम वत तमअपेपवदंस नजीवतपजल वतद
 करनकपबंजपदह नजीवतपजल बवउचमजमदज जव चेंदल वतकमत वत जांमदल
 कमबपेपवद नदकमतदल सूंरु

त्तवअपकमक नितजीमत जीज जीमैजंजम ळवअमतदउमदज उंल.

;पद्ध र्मीमतम पज बवदेपकमते दमबमेंतल वत मगचमकपमदजवे जव कवए

बवदेजपजनजम जीमैजंजम ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल वतं त्महपवदंस
 ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल वितंदल तमहपवदेवं व बवदेपेज विदसल
 वदम उमउइमत वीव वीसस इमंद वपिबपंस पूजी रनकपबपंस
 मगचमतपमदबम वत मगचमतपमदबमंद चचमससंजम वतं तमअपेपवदंस
 नजीवतपजल वतंद करनकपबंजपदह नजीवतपजल बवउचमजमदज जव
 चेंदल वतकमत.वत जांमंदल कमबपेपवद नदकमतंदल सूय

;पपद्ध इल तनसमे उंकम पद जीपे इमीसएि चतवअपकम ति जीम जतंदेंबजपवद
 विइनेपदमे वीनबी नजीवतपजपमे पद जीम इेमदबम वि जीम बिंपतउंद
 वतंदल वजीमत उमउइमतंदकचमबपलि जीम बपतबनउेजंदबम नदकमत
 वीपबींदक जीम उंददमत पद वीपबीनबी इनेपदमे बवनसक इमेव
 जतंदेंबजमकरु

क्तवअपकमक सेव जीज दवजीपदह पद जीपे नइ मबजपवद वीसस म
 बवदेजतनमकं कमइंततपदहंद वपिबपंस ;वजीमत जीदंद वपिबपंस बवददमबजमक
 कपतमबजसल पूजी जीम उंदंहमउमदज वत वचमतंजपवद वि जतंदेचवतज
 नदकमतजांपदहद्ध तिवउ इमपदह चचवपदजमक वत बवदजपदनपदह उमउइमत वि
 दल नबी नजीवतपजल उमतमसल इम तमेंवद वि जीम बिज जीज जीम
 ळवअमतदउमदज मउचसवलपदह जीम वपिबपंस वी वत बुनपतमे दल पिदंदबपंस
 पदजमतमेज पदं जतंदेचवतज नदकमतजांपदहण

;उद्ध जीमैजंजम ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल दक मअमतल त्महपवदंस ज्तंदेचवतज
 ।नजीवतपजल वीपसस हपअम मपिबज जव दल कपतमबजपवदे पेनमक नदकमत
 मबजपवद 67 दक जीमैजंजम ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल वीससए नइरमबज जव नबी
 कपतमबजपवदे दकंअम वजीमतूपेम चतवअपकमक इल वत नदकमत जीपे ।बजए

मगमतबपेम ंदक कपेबीतहम जीतवनहीवनज जीमैजंजम जीम विससवूपदह चवूमते ंदक
निदबजपवदे दंउमसलरू

;इद्ध जव बव4वतकरदंजम ंदक तमहनसंजम जीम बजपअपजपमे ंदक चवसपबपमे वि
जीम त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजपमेए प्दिलए विजीमैजंजमय

;इद्ध जव चमतवितउ जीम कनजपमे वि त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल
ीमतम जीमतम पे दवएेनबी ।नजीवतपजल ंदकए पिपज जीपदो पिज वत पि
ेव तमुनपतमक इल त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजलए जव चमतवितउ
जीवेम कनजपमे पद तमेचमबज विदल तवनजम बवउउवद जव जूव वत
उवतम तमहपवदेण

;बद्ध जव ेमजजसम ंसस कपेचनजमे ंदक कमबपकम ंसस उंजजमते वद ीपबी
कर्पामितमदबमे वि वचपदपवदए तपेम इमजूममद त्महपवदंस ज्तंदेचवतज
।नजीवतपजपमेण

खुबंद्ध,बंस ववअमतदउमदज जव वितउनसंजम तवनजमे वित चसलपदह ेजंहम
बंततपंहमे ंदक,

;कद्ध जव कपेबीतहम शेनबी वजीमत निदबजपवदे उंल इम चतमेबतपइमक

;4द्ध थ्वत जीम चनतचवेम वि मगमतबपेपदह ंदक कपेबीतहपदह जीम चवूमते ंदक
निदबजपवदे ेचम4प!मक पद ेनइ ेमबजपवद ;3द्ध ंजंजम ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल
उंलएेनइरमबज जव ेनबी बवदकपजपवदे उंल इम चतमेबतपइमक पेनम कपतमबजपवदे
जव ंदल त्महपवदंस ज्तंदेचवतजए ंदक जीम त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल
ीसस पद जीम कपेबीतहम विपजे निदबजपवदे नदकमत जीपे ।बजए हपअमश् म्मिबज
जव ंदक इम हनपकमक इलेनबी कपतमबजपवदण

;5६ जीम ैजंजम ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल दक दल त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल पिनजीवतप्रमक पद जीपे इमीसि इल तनसमे उंकम नदकमतैमबण 96 उंल कमसमहंजम ेनबी विपजे चवूमते दक निदबजपवदे जव ेनबी नजीवतपजल वत चमतेवद ेनइरमबज जव ेनबी तमेजतपबजपवदेए सपउपजंजपवदे दक बवदकपजपवदे उंल इम चतवेबतपइमक शइल जीम ेपक तनसमेण्ण

4. जीज जीम त्सम 56 विजीम डवजवत टीमीपबसमे त्समे 1998 ूपबी पे चचसपबंइसम जव जीम ैजंजम विन्जजंतींदक चतवअपकमे उमजीवक वित बवदेजपजनजपवदुनवतनउ विल्ज ।ण जीम त्सम 56 पे तमचतवकनबमकीमतमपद इमसवूरु

६महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल. ;६ जीम ुनवतनउ जव बवदेजपजनजम उममजपदह विष्जीम त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल ींसस इम.

;प६ वदमए पद बैम जीम नजीवतपजल बवदेपेजे विजूव वत जीतमम उमउइमते

;पप६ जूवए पद जीम बैम जीम नजीवतपजल बवदेपेजे विजूव वत जीतमम उमउइमते

;2६ 10 ुनवतनउ ींसस इम दमबमैतल वित तमबवदअमदमक उममजपदह करवनतदमक वित जीम ूदज विनवतनउण

;3६ जीम बीपतउंद पिनइंसम जव जजमदक उममजपदह ींसस दवउपदंजम उमप.इमत जव बज े बीपतउंद ज जीम उममजपदहण

;4६ जीम बीपतउंद वत जीम बजपदह बीपतउंद दवउपदंजमक नदकमत ेनइ नसम ;ण3६ ींसस ीअम ेमबवदक वत बैजपदह अवजम

;5६ जीम त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल ींसस उममज ज ेनबी जपउम दक ज ेनबी चसंबमे े जीम बीपतउंद उंल चचवपदजरु चतवअपकम जीज जीम नजीवतपजल ींसस उममज दवज समे जीद वदबम पद जूव उवदजी नदसमे जीम ैजंजम

ज्त्तंदेचवतज ।नजीवतपजल.वजीमतूपेम कपतमबजे

;6द्ध छवज समे जींद जमद कंलेष दवजपबब जव जीम उमउइमते ींसस इम हपअमद वदिल उममजपदहए वजिीम त्महपवदंस ज्त्तंदेचवतज ।नजीवतपजलण

त्तवअपकमक जीज ीमतम पद जीम वचपदपवद वजिीम बीपतउंदए ंद मउमतहमदबल उममजपदह वजिीम त्महपवदंस ज्त्तंदेचवतज ।नजीवतपजल पे दमबमेंतलए ंदवजपबम वदिवज समे जींद जूमदजल विनत ीवनते ींसस इम हपअमद जव जीम उमउइमतेण

;7द्ध जीम त्महपवदंस ज्त्तंदेचवतज वीपिबमत वजिीम तमहपवद बवदबमतदमक ींसस इम मग वीपिबमैमबतमजंतल वजिीम त्महपवदंस ज्त्तंदेचवतज ।नजीवतपजलण

;8द्ध जीमैजंजम ळवअमतदउमदज उंल जं दलजपउम.

;पद्ध कमजमतउपदम पूजीवनज ंपहदपदह ंदल तमेंवद इल दवजपपिबंजपवद पद जीम वीपिबपंस ह्मजजमए जीम जमतउ वदिल दवउपदंजमक उमउइमत वजिीम त्महपवदंस ज्त्तंदेचवतज ।नजीवतपजलण

;पपद्ध ैनइरमबज जव जीम चतवअपेपवदे वीमबजपवद ;68द्ध अंतल जीम बवउचवेपजपवद वजिीम नजीवतपजलए ंदकए बवदेमुनमदजसल तमकनबम वत पदबतमेंम जीम दनउइमत वीपिबपंस वत दवद.वीपिबपंस उमउइमते.

ख९9द्ध ैनइरमबज जव जीम चतवअपेपवदे वीनइ तनसम ;8द्ध ंदवउपदंजमक उमउइमत ;वजीमत जींद मग वीपिबपव उमउइमतद्ध वजिीम त्महपवदंस ज्त्तंदेचवतज ।नजीवतपजल ींसस ीवसक वीपिबमण वित ंचमतपवक वी वदम लमत वत नदजपस ीपे ैच्छैल पे दवउपदंजमक ीपबीमअमत पे संजमतण

5. जीज तिवउ जीम चमतनेंस वीनइ तनसम 7 वीत्नसम 56 पज पे इंदकंदजसल बसमतं जीज जीम त्महपवदंस ज्त्तंदेचवतज वजिीम तमहपवद बवदबमतदमक ींसस इम

मग वापिबपवैमबतमजंतल वजिीम त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजलण

6. जैज जीमैजंजम ळवअमतदउमदज पद मगमतबपेम वचिचवूमत अमेजमक वद पज बवदेजपजनजमक जीम त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल अपकम दवजपपिबंजपवद कंजमक 18५4५2001 वित कर्पामितमदज तमहपवद पद ीपबी त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल क्मीतंकनद पिमसके चसंबम जं मतपंस दवण ष जीम ेपक दवजपपिबंजपवद बवदजमउचसंजमे जीज जीम ब्उउपेपवदमत ळंतूस त्महपवद पे जीम बीपतउंद वशि जीम त्ज। दक कमचनजल ज्तंदेचवतज ब्उउपेपवदमत पे जीम उमउइमत वित्ज। दक वदम उमउइमत ूपसस इम दवउपदंजमक इल जीम हवअमतदउमदज ीव वूनसक इम दवद. हवअमतदउमदजण् बचल वदिवजपपिबंजपवद कंजमक 18५4५01 पे ददमगमक ।ददमगनम.1 जव जीपे वइरमबजपवदण

7. जैज पज पे दव वनज वबिबवदजमगज जव उमदजपवद ीमतम जीज जं चतमेमदज जीमतम पे दव कमचनजल ज्तंदेचवतज ब्उउपेपवदमत े डतण टपदवक ीतउं ीव ीवसकपदह जीम. वशि कमचनजल ज्तंदेचवतज ब्उउपेपवदमत े तमसपमअमक जव जीम ैजंजम वचि न्जजंत च्तंकमौ वद 14५8५10 पद बवउचसपंदबम वशि श्रनकहउमदज तमदकमतमक इल भ्वदशइसम भ्पही ब्यनतज वचि न्जजंततींदक पद ूतपज चमजपजपवद दवण 79६६५08 डण्ण श्रवौप – वजीमते ण्टे ैजंजम वचि न्जजंततींदक – वजीमतेण ब्वदेमुनमदजसलीम रवपदमकीपे मतअपबमे पद न्जजंत च्तंकमौ

8. जैज पद ैमदबम वचि कमचनजल ज्तंदेचवतज ब्उउपेपवदमत ीव पे उमउइमत वचि त्ज।ए जीम उममजपदह बंददवज इमीमसक इल जीम त्ज। े जीम ुनवतनउ वचि जीम त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल पे दवज बवउचसमजमण

9. जैज पज पे दवज वनज वबिबवदजमगज जव उमदजपवद ीमतम जीज तिवउ जीम चमतनेंस वचि न्ज ैमबजपवद 2 वचि ैमबजपवद 68 वचि डवजवत टमीपबसम ।बज पज पे इनदकंदजसल बसमंत जीज दव चमतेवद ीव ीं दल पिदंदबपंस पदजमतमेजीमजीमत े

6, 7, 8 में इन बिन्दुओं में उप परिवहन आयुक्त को आर0टी0ए0 का सदस्य न बनाये जाने के सम्बन्ध में है तथा वर्तमान आर0टी0ए0 को अवैध बताया गया है, यदि वर्तमान आर0टी0ए0 देहरादून-विकासनगर-कालसी मार्ग के लिये अवैध है, तो फिर अन्य मार्गों अथवा आर0टी0ए0 के अन्य कार्यों के लिये भी अवैध होना चाहिए।

चतवचतपमजवतए मउचसवलमम वत वजीमतूपेम पद दल जतंदेचवतज नदकमतजांपदह
 ीसस इम चचवपदजमक चत बवदजपदनम जव इम उमउइमत वीजंजम वत त्महपवदंस
 ज्तंदेचवतज नजीवतपजल तपक पदिल चमतेवद इमपदह उमउइमत वदिलेनबी
 नजीवतपजल बुनपतमे पददंबस पदजमतमेज पद दल जतंदेचवतज नदकमतजांपदहए
 ीम ीससूपजीपद विनतूममो वीव कवपदहए हपअम दवजपबम पदूतपजपदह जव जीम
 ैजंजम ळवअजण वीजीम बुनपेपजपवद वीनबी पदजमतमेज दक ीसस अंबंजम वीपिबमण
 10. ीज जीम 4बमदजतंस ळवअमतदउमदज पदजतवकनबमक ेबीमउम दवूद श्रूतसंस
 छमीतन छंजपवदंस न्तइंद त्मदमूस डपेपवद ;श्रच्छन्त्डद्ध इल ीपबी जीम बमदजतंस
 ळवअमतदउमदज निदकमक जव जीम ैजंजम ळवअजण वित चसलपदह जीम अमीपबसम
 नदकमत जीम ेपकेबीमउम जीतवनही ैजंजम ज्तंदेचवतज नदकमतजांपदह पद अंतपवने
 बपजपमेण पद ैजंजम वशि न्जजंतोदक जीतमम कपेजतपबजे मूतमे मसमबजमक वित जीम
 ेपक ेबीमउम पण्ण क्मीतंकनदए श्तपकूत दक छंपदपजंसण ब्वदेमुनमदजसल जीम इनेमे
 नदकमत जीम ेपक ेबीमउम मूतम चनतबीमक इल जीम ळवअमतदउमदजण जेपे ेबीमउम
 चमतजंपदे जव वदसल बपजल तवनजमेण ज्तनम दक बवततमबज बवचल वीबीमउम
 वरि कमबमउइमत 2005 पेनमक इल ळवअजण वीपिकपं पे ददमगमक ।ददमगनतम.2
 जव जीपे वइरमबजपवदण
 11. ीज ईमक वद ेपकेबीमउम जीम ैजंजम त्वंक ज्तंदेचवतज ब्वतचवतंजपवद
 ेइउपजजमक पे चतवचवेस वित क्मीतंकनद बपजल वित चसलपदह जीम अमीपबसम
 नदकमत जीम ेपकेबीमउम उमदजपवदपदह जीम तवनजम पद जीम सपेज पद ीपबी
 जीम तवनजम पद ुनमेजपवद क्मीतंकनद. जंसेप ी दवज इममद पिहनतमकण जीम
 चतवचवेस हपअमद इल जीम ैजंजम ज्तंदेचवतज ब्वतचवतंजपवद ी बबमचजमक इल
 जीम बवउचमजमदज नजीवतपजल पद जव इल चमतउपजजपदह ीपउ जव वइजंपद
 जीम चमतउपज दक चसल जीम अमीपबसमे नदकमत जीम ेबीमउमे वद जीम तवनजम

9, 10, 11 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अंतर्गत भारत सरकार की गाईड लाईन के अनुसार बसें नगर क्षेत्र में संचालित किया जाना है। भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन में उक्त के अतिरिक्त किसी भी अन्य मार्ग पर संचालन न करने के कोई निर्देश नहीं हैं। जैसा कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों के संचालन हेतु ाच का गठन किया जायेगा, किन्तु उत्तराखण्ड शासन के द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन निगम को उक्त बसों के संचालित करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः निगम द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति एवं यात्रियों की

प्रीपबी मूमतम उमदजपवदमक पद जीम सपेज नइउपजजमक इलीपउण बचल विसपेज नइउपजजमक इलैजंजम त्वंक ज्तंदेचवतज ब्यतचवतंजपवद पे ददमगमक

ददमगनतम.3 जव जीपे वइरमबजपवदण

12. जीज पज पे दवज वनज विबवदजमगज जव उमदजपवद मीमतम जीज जीमैजंजम ज्तंदेचवतज नदकमतजांपदह वदसल चचसपमक वित जीम चमतउपज पद जीम तवनजम ष्टेज.त्रचनत.बसंपउंदजवूद नदकमत जीम श्रछछन्त्डेबीमउमण जीपे तवनजम पे पिहनतमक जंमतपंस दवण - 2 पद पजे चतवचवेंसण जीम त्ज। हतंदजमक जीम चमतउपज जव जीम तवनजम उमदजपवदमक मीमतपद इवअम इनज जीम चमतउपज पी दवज इममद जपसजमक इल जीम ज्तंदेचवतज ब्यतचवतंजपवद लमजण

पज पे दवज वनज विबवदजमगज जव उमदजपवद मीमतम जीज जीमतम पे दव तवनजम पिहनतमक जंमतपंस दवण 2 पणमण ष्टेजैमसांनप.क्वपूं।श्रवससलहतंदज जीम उम पी दवज इममद वितउनसंजमक लमज तमुनपतमक नदकमत मबजपवद 68 ;3द्ध ;द्ध विडवजवत टमीपबसम। बज 1988 जीमतमवितम पदबम जीम तवनजम पी दवज वितउनसंजमक लमज मीदबम जीम त्महपवदंस ज्तंदेचवतज। नजीवतपजल पे पद समहंस वइसपहंजपवद दवज जव मदजमतजंपद जीम चचसपबंजपवद वित जीम तवनजम प्रीपबी पे दवज पद मगपेजमदबमए ठनज जीमैमबतमजंतल त्ज। पदेचपजम वि बिज जीज जीमतम पे दव तवनजम। दवूद सैठजैमसांनप.क्वपूं।श्रवससलहतंदजए बबमचजमक जीम चचसपबंजपवद वि जीम त्मंक ज्तंदेचवतज ब्यतचवतंजपवद प्रीपबी पे पद हतवे अपवसंजपवद वि मबजपवद 68 ;3द्ध ;द्ध मसस मबजपवद 68 ;2द्ध

13. जीज जीमैमबतमजंतल त्ज। सूले जतपमक जव हपअम नदकनम कअंदजंहम जव जीमैजंजम त्वंक ज्तंदेचवतज न्दकमतजांपदह मीम पे पीअपदह चमतेवदंसध मबवदवउपबंसए पदजमतमेज तिवउ जीम ज्तंदेचवतज न्दकमतजांपदह मीम पे सेव जीमैमबतमजंतलरू वि जीम ठवंतक बवदेजपजनजमक इल त्वंक ज्तंदेचवतज ब्यतचवतंजपवद नदकमत

सुविधा को देखते हुये बसों के संचालन हेतु उक्त मार्ग प्रस्तावित किया गया है, जिसके संबंध में शासन को भी अवगत करा दिया गया है।

श्रच्छच्छच्छ

14. जीज जीपे बिज बवततवइवतंजमे तिवउ जीम बिज जीज जीम त्वंक ज्तंदेचवतज ब्वतचवतंजपवद रीक संतमंकल इममद हतंदजमक 12 चमतउपज इल जीम त्। रीपबी री इममद वितउनसंजमक ए तमुनपतमक नदकमत मबजपवद 68;3द्ध ;द्ध पण्मण च्चंकम हतवनदक.क्वपूसं अपकम कमबपेपवद कंजमक 20ण10ण2010 इनज जीम उम री दवज इममद सपजिमक लमज इल जीम त्वंकूले ब्वतचवतंजपवदण जीपे बजपवद वद जीम चंतज वत्त्वंकूले ब्वतचवतंजपवद रीवू जीज जीम पे दवज पूससपदह जव बज चमत जीम हनपकमसपदमे वीश्रच्छच्छच्छ मसस पद जीम पदजमतमेज वीचनइसपब पद संतहमण

15. जीज पज पे चमतजपदमदज जव जंजम रीमतम जीज जीम जंजम ज्तंदेचवतज ब्वतचवतंजपवद पे मसस त्तम इवनज जीम बिज जीज जीम मबतमजंतल वीजीम त्। प पे सेव जीम मबतमजंतलध्दमउइमत वीजीम ठवंतक वीश्रच्छच्छच्छ रीपबी पे नदकमत जीम जंजम ज्तंदेचवतज न्दकमतजांपदह उवअमक द चचसपबंजपवद वित हतंदज वीजंहम बंततपंहम चमतउपज वित जीम तवनजम रीपबी पे दवज पद मगपेजमदबमण जीम मदजपतम मगमतबपेम कवचजमक वित बवदेपकमतपदह जीम पक चचसपबंजपवद वी जीम ज्तंदेचवतज ब्वतचवतंजपवद अपजपंजमे जीम चचसपबंजपवद री इममद उंकम वित जीम तवनजम रीपबी पे दवज पद मगपेजमदबम तमुनपतमक नदकमत मबजपवद 68 ;3द्ध ;द्धण

16. जीज पदबम जीम चतवचवेंस री इममद नइउपजजमक इल जीम जंसम ज्तंदेचवतज ब्वतचवतंजपवद री इममद बबमचजमक पद जव इल जीम बवउचमजमदज नजीवतपजल इल चमतउपजजपदह रीपउ जव चसल जीमपत अमीपबसम उमदजपवदमक पद जीम सपेज पद रीपबी जीम तवनजम पद नमेजपवद री दवज पिहनतमक जीमतमवितम जीम जंजम ज्तंदेचवतज नदकमतजांपदह पद जीम हंतइ वीश्रच्छच्छच्छ रीबीमउमण बंददवज जतंतअमस इमलवदक पजे चतवचवेंस नदसमे दक नदजपस जीम उम री इममद बींदहमक

सम्बन्धित मार्गों पर बस संचालन हेतु प्रस्ताव दिये गये थे तथा परमिट का भी आवेदन किया गया है, जोकि परिवहन विभाग में लम्बित है।

13—

यह कथन गलत है। सचिव, आर0टी0ए0 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 का कोई सदस्य नहीं है तथा न ही ऐसा कोई शासनादेश है।

प्रीपबी पी दवज इममद बीदहमक लमजण

17. जीज जीम इनेमे नदकमत जीम श्रछछन्ड मूतम वदसल वित जीम ब्यजल तवनजमे चमत जीम उंदकंजम विबीमउम पजेमसि जीमतमवितम जीम उम बंद चसल वद जीम बपजल तवनजमे वदसल जिमत वइजंपदपदह जीम अंसपक चमतउपजण जीम ब्यजल तवनजमे ब कमपिदमक नदकमत मबजपवद 68 ;3द्ध ;द्ध प्रीपबी चतवअपकमे जीज जीम जवजंस समदहजी वि ब्यजल तवनजमे पे पूजपद जीम तंकपने वि 20 ज़उे दक पद मगबमचजपवदंस बपतबनउेजंदबमे जीम उम बंद इम मगजमदकमक नच जव 25 ज़उेण डमंदपदह जीमतमइल जीमजवजं1 समदहजी वि बपजल तवनजमे पे जव इम 25 ज़उेण दवज उवतम जीद जीजण भमतम जीम समदहजी वि तवनजम नदकमत बवदेपकमतंजपवद पे 55 ज़उेण जीमतमवितम जीम तवनजम प्रीपबी पे उमदजपवदमक ज पजमउ दव 11 पद कअमतजपेमउमदज कंजमक 19ण2ण20 11 पे दवज बपजल तवनजम दक पदबम जीम तवनजम पे दवज बपजल तवनजम बसेपपिमक पद मबजपवद 68 ;3द्ध ;द्ध जीमतमवितम जीम त्। बंददवज हतंदज जीम चमतउपज जव जी त्वंकूले ब्यतचवतंजपवद नदकमत श्रछछन्ड जीम पक बीमम चमबपिबंससल उंदकंजम जीज जीम इनेमे नदकमत पक बीमउम पे वदसल जव जीम चसपमक वद जीम बपजल तवनजमे प्ज पे दवज वनज वि बवदजमगज जव उमदजपवद मीमतम जीज जीम तवनजम क्मीतंकनद.ज़ंसेप पे दवज बपजल तवनजम जीमतमवितम पद अपमू वि हनपकमसपदमे वि बीमउम पजेमसशि दव चमतउपज बंद मीम हतंदजमक इल जीम त्। नदकमत जीम श्रछछन्ड वित जीम तवनजम प्रीपबी पे दवज बपजल तवनजमण

18. जीज वित चसलपदह जीम इनेमे नदकमत जीम श्रछछन्ड ठवंतकू बवदेजपजनजमक ादवूद क्मीतंकनद ब्यजल ठने मू सीांत ठवंतक इल जीम जंजम ळवअमतदउमदज अपकम वतकमत कंजमक 19ण3ण2010ण जीम पक ठवंतक बवदेपेजेए बीपतउंद छंहंत

14— निगम द्वारा परमिट प्राप्त करने की कार्यवाही की गई, जोकि आर0टी0ए0 में लम्बित है।

15— यह बिन्दु सं0 13 के अनुसार असत्य है।

16, 17— भारत सरकार की जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के डी0पी0आर में दिये गये मार्गों का विवरण केवल प्रस्तावित मार्गों का दिया गया है तथा इन्हीं मार्गों पर बसों का संचालन किया जाना है, ऐसा योजना

छपहंउ क्मीतंकनद वूनसक इम बीपतउंद वऱि ठवंतकए छवउपदमम वऱि क्पेजतपबज
डंहपेजतंजमूीव पे दवज इमसवू जीम तंदा वऱि ।कड वूनसक इम डमउइमतए छवउपदमम
वऱि दवज इमसवू जीम तंदा वऱि ।ककपजपवदंस ेण्च दक त्महपवदंस ज्तंदेचवतज
वऱिपिबमत डमउइमतैमबतमजंतलण ब्वचल वऱि वतकमत कंजमक 19७3७10 पे ददमगमक

।ददमगनतम.4 जव जीपे वइरमबजपवदरू

19. जीज तिवउ जीम चमतनेंस वऱि बवदेजपजनजपवद वऱि ठवंतक पज पे इनदकंदजसल
बसमत जीज जीम त्महपवदंस ज्तंदेचवतज वऱिपिबमत वीव पे जीम मग.णवऱिपिबपव
मबतमजंतल वऱि त्महपवदंस ज्तंदेचवतज । नजीवतपजल दवउपदंजमक जीम
उमउइमतैमबतमजंतल वऱि जीम ठवंतक वऱि जंजम ज्तंदेचवतज न्दकमतजांपदहण

20. जीज तिवउए जीम चमतनेंस वऱि वितमैपक बवदेजपजनजपवद वऱि इवंतक पज पे
इनदकंदजसलरू बसमत जीज जीम मबतमजंतल त्महपवदंस ज्तंदेचवतज । नजीवतपजल
वीव पेनमक जीम कअमतजपेमउमदज कंजमक 19७2७20 पे सेव जीम
उमउइमतैमबतमजंतल वऱि जीम ठवंतक दक सेव वीवसकपदह जीम चवेज वऱि त्महपवदंस
ज्तंदेचवतज वऱिपिबमत क्मीतंकनद जीमतमवितम पद अपमू वऱि नइ मबजपवद.2 वऱि
मबजपवद 68 वीम बंददवज पेनम जीम कअमतजपेमउमदज कंजमक 19७2७2011 दवत वीम
बंद वीवसक जीम चवेज वऱि मबतमजंतल त्ज।ए चमत मजजसमक समहंस
चतमचवेपजपवद वऱि सू दक पदबम वी दव नजीवतपजल बवदजमउचसंजमक पद
मबजपवद 68 जीमतमवितम दल मगमतबपेम वद जीम इमीमेज वऱि मबतमजंतल त्ज। पे
दवजीपदह इनज जीम उम पे पद हतवे अपवसंजपवद वऱि मबजपवद 68 वऱि डवजवत
टमीपबसम ।बज 1988७

21. जीज जीम उम बवदजतवअमतेल मूदज इमवितम भ्वदशइसम ।चमग ब्वनतज पद जीम
बैम वऱि डवत डवकमतद ब्वचमतंजपअम ज्तंदेचवतज वऱि बपमजल स्जकण टेण थपदंदबपंस
ब्वउउपेपवदमत दक मबतमजंतल जव जंजम वऱि भ्तलंदं – वजीमतेण जीम भ्वदशइसम

में बाध्य नहीं किया गया है।

।चमग ब्यनतज िीमसक जीज जीम मउचसवलममीव पेीअपदह जीम पदजमतमेज पूपजी जीम ज्तंदेचवतज न्दकमतजांपदह बंददवज इम चचवपदजमक ेँ बंपतउंद वत ंदल नजीवतपजल पद जीम ैजंजम ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल वत त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल ेँ चतवअपकमक नदकमत ैमबजपवद 68 वडिवजवत टमीपबसम ।बजश्व ब्यचपमे वरिनकहउमदजे तम ददमगमक ेँ ।ददमगनतम.10 जव जीपे वडूरमबजपवदण

22. जीज जीपे नुमेजपवद िी हंपद इममद कमंसज इल भ्वदशइसम ज्तंतदंजं भ्यही ब्यनतज पद जीम बेंम वींतींतंददक टेण ैजंजम वीं ज्तंतदंजं – वजीमते दक िी मसक जीज चमतेवद ीव पेीअपदह ंदल पदजमतमेज तिवउ जीम ैजंजम ज्तंदेचवतज नदकमतजांपदह बंददवज इम चचवपदजमक पद ंदल बंचंबपजलए बंपतउंद वत ैमबतमजंतल वींजंजम ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल वत त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजलण ब्यचल वीं रिनकहउमदज पे शंददमगमक ेँ ।ददमगनतम.6 जव जीपे वडूरमबजपवदण

23. जीज पद जीम पदेजंदज बेंम जीम उमउइमत ैमबतमजंतल वीं जीम ठवंतक ैजंजम ज्तंदेचवतज न्दकमतजांपदहद्व पे जीम ैमबतमजंतल वीं त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल जीमतमवितम जीम कअमतजपेमउमदज पेनमक इल जीम त्ज। पे पद हतवे अपवसंजपवद वीं नइ ैमबजपवद 2 वीं ैमबजपवद 68 वडिवजवत टमीपबसम ।बजण

24. जीज ेपदबम जीम ेनइ ैमबजपवद 2 वीं ैमबजपवद 68 चतवीपइपजे वित चचवपदजउमदज वीं चमतेवद ीव पेीलपदह पिटंदबपंस पदजमतमेज पूपजी जीम ज्तंदेचवतज नदकमतजांपदह जीमतमवितम जीम ैमबतमजंतल त्। बंददवज चमतवितउीपे कनजल ैमबतमजंतल त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल ैमसक इल भ्वदशइसम ।चमग ब्यनतज इमपदह िीअपदह जीम पिटंदबपंस पदजमतमेज पूपजी जीम ैजंजम ज्तंदेचवतज नदकमतजांपदहण

25. जीज पज पे दवज वनज वीं बवदजमगज जव उमदजपवद ीमतम जीज जीम उपदपेजतल वीं न्तिइंद च्संददपदह ळवअजण वीं प्दकपं तमसमेंमक जीम निदक नदकमत

18 से 24— सिटी सेवा सलहाकार बोर्ड या किसी समिति के गठन की जानकारी उत्तराखण्ड परिवहन निगम को नहीं है तथा न ही इस संबंध का कोई षासनादेश प्राप्त हुआ है। आपत्तिकर्ता द्वारा भी अपने कथन के पुष्टि में ऐसे किसी षासनादेश की प्रति नहीं दी गई है, अपने कथन के पुष्टि में इनके द्वारा जो संलग्नक दिये गये हैं, ये षासन की पत्रावली की छायाप्रति है, न कि कोई षासनादेश। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति निरस्त करने योग्य है।

जीम श्रच्छन्ड ेबीमउम वित चनतबीपदह जीम इनेमे ंदक े चमत जीम हनपकमसपदमेध्वइरमबज विजीम ेपकेबीमउम जीम इनेमे नदकमत जीम ेपकेबीमउम बंद वदसल इम चसपमक वद जीम बपजल तवनजम शंतपकेपदबम जीम ेबीमउम पजेमसिपदजतवकनबमक वित जीम बपजल तवनजमे वदसल जीमतमवितम जीम त्। बंददवज हतंदज चमतउपज जव जीम त्वंकूले ब्वतचवतंजपवद वित जीम तवनजम उमदजपवदमक ेज ेमतपंस दवण 11 ूपबी पे दवज े बपजल तवनजम दवत जीम ैजंजम ज्तंदेचवतज नदकमतजांपदह बंददवज चचसल वित हतंदज वि चमतउपज वित जीम तवनजम ूपबीण्पे दवज े बपजल तवनजम ंदक पि जीम चचसपबंजपवद वि जीम ब्वतचवतंजपवद ूवनसक इम बवदेपकमतमक इल जीम त्। जीम ैउम पे पद अपवसंजपवद विजीम वइरमबजध्वहनपकमसपदमे विजीम ेबीमउम पजेमसि ूपबी बंददवज चमतउपेपइसम नदकमत जीम सूप

26. जीज पज पे ूमसस ेमजजसमक चतपदबपचसम वि सू जीज शजीम नजीवतपजल ीवनसक ेबज ूपजीपद जीम श्विनत बवतदमते विजीम हनपकमसपदमेध्वइरमबज विजीम ेबीमउम उमदजपवदमक पद जीम ेबीमउमण भमतम पद जीम चतमेमदज बवदजतवअमतेल जीम वइरमबज विजीम ेबीमउम पे जीज जीम इनेमे नदकमत जीम श्रच्छन्ड ेबीमउम बंद वदसल इम ेअंपसंइसम विजीम बपजल तवनजम इनजए बवदजतंतल जव जीज जीमए ैजंजम ज्तंदेचवतज नदकमतजांपदह जतपमक जव वइजंपद जीम चमतउपज इल ीववा वत बतववा ूपबी पे मअपकमदज तिवउ जीम ेबज जीज ीम चचसपमक वित चमतउपज वित जीम तवनजम ैठैमसांनप.क्वपूसं.श्रवसलहतंदजए जीपे तवनजम ी दवज इममद वितउनसंजमक ेलमज ंदक जीम सू ी इममद ेमजजसमक जव जीपे ममिबज जीज पि जीम तवनजम पे दवज वितउनसंजमक जीम त्। बंददवज हतंदज चमतउपजण ेमबवदकसल ीम चचसपमक जीम चमतउपज वित क्मीतंकनद.ज्ञंसेप अपं च्तमउ छंहंत तवनजमए जवजंस समदहजी विजीपे तवनजम पे 55 ज्ञउेण ंदक े चमत ेमबजपवद 68

;3द्ध ;बंद्ध जीम समदहजी विबपजल तवनजम पे 20 झडे दक पद मगबमचजपवदंस बेमे 25 झतपेणैपदबम पज िं इममद मेजंइसपौमक वितउ जीम तमबवतक पजेमसि जींज जीम वमीतंकनद झंसेप पे दवज ं बपजल तवनजम जीमतमवितम जीम चमतउपज वद जीपे तवनजम बंददवज इम बवदेपकमतमक वत चमतउपज बंददवज इम हतंदजमक जव जीम त्वंकूले ब्यतचवतंजपवदण

27.जींज े चमत जीम त्सम 56 विजीम न्च डवजवत टमीपबसम त्समे 1998ूपबी पे कवचजमक दक चचसपबंइसम जव जीमैजंजम वन्जजंतींदकए जीम नवतनउ वत्त्। कमपिदमक पद जीम त्सम पे जीम ब्वउउपेपवदमत वि जीम तमहपवद पे जीम बीपतउंदए जीम कमचनजल ज्तंदेचवतज ब्वउउपेपवदमत पे जीम वापिबपंस उमउइमत वशि त्त्। दक वदम नदवापिबपंस दवउपदंजमक इलैजंजम ळवअजण थतवउ जीम पवतमेंप1 बिजे पज पे इनदकंदजसल बसमंत जींज जीम त्त्। बवदेपेजे पूजी बीपतउंद दक जूव उमउइमते वनज वीपबी वदम वापिबपंस दक वदम दवद वापिबपंस ।ज चतमेमदज जीमतम पे दवज वापिबपंस उमउइमत िं इममद चचवपदजमक इल जीमैजंजम ळवअजण जिमत जतंदेमिदत तमसपमअपदह वडितण टपदवकौतउं दक वदसल वदम नदवापिबपंस उमउइमत पे अंपसंइसम वीव िं इममद दवउपदंजमक इल जीमैजंजम ळवअजण पद मि उवदजी इंबाण

थतवउ जीम वितमेंपक बिजे दक बपतबनउेजंदबमे पज पे इनदकंदजसल बसमंत जींज ज चतमेमदज जीम नवतनउ वत्त्। पे दवज बवउचसमजमे तमुनपतमक नदकमत डवजवत टमीपबसम ।बज दक त्समे दक पदबम जीम त्त्। िं दवज इममद समहंससल बवदेजपजनजमक लमज जीमतमवितम दल कमबपेपवद वत मगमतबपेम वद जीम इमीमेज वि जीम नजीवतपजल वीव पे दवज समहंससल बवदेजपजनजमक पे अपजपंजम दक दवद मेज पद जीम मलमे विसूण

28.जींज पदबम पज पे चचंतमदज वद जीम तमबवतक जींज जीम त्त्। पे दवज

25, 26— षासन द्वारा इन बसों का संचालन उत्तराखण्ड परिवहन निगम से कराने को कहा गया है तथा निगम द्वारा यात्रियों की मांग व निगम की आर्थिक स्थिति को देखते हुये ही इस मार्ग पर बस संचालन का निर्णय लिया गया है, जिससे षासन को भी अवगत कराया गया है।

समहंससल बवदेजपजनजमक जीम चमतेवद ीव पे ीवसकपदह जीम चवेज वि
 मबतमजंतल त्ज। पे सेव ीवसकपदह जीम चवेज विमबतमजंतलधडमउइमत विठवंतक वि
 जंजम ज्तंदेचवतज न्दकमतजांपदह जीमतमवितम जीम कअमतजपेमउमदज पे ीवससल
 पससमहंस दक पे अपवसंजपअम विमबजपवद 68;2द्व विडवजवत टमीपबसम ।बजण
 29.जेज जीम भवदछसम भ्यही ब्वनतज पद पजे वतकमत कंजमक 5.03.2011
 चमबपिबंससल कपतमबजमक जीज जीम हतवनदकेध्वइरमबजपवद ीपबी मूतमतंपेमक
 पद जीम तूतपज चमजपजपवद इल जीम चमजपजपवदमतए तंपेम इमवितम जीम त्ज। दक
 जीम त्ज। ींसस कमबपकम जीम उम पितेजसलण ब्वचल विवतकमत कंजमक 5.03.2011
 पे ददमगमक ददमगनतम .7 जव जीपे वइरमबजपवदण

उक्त के अतिरिक्त स्पष्ट करना है कि विभिन्न नगर मार्गों पर निजी वाहनों (महानगर बस सेवा),
 विक्रम, ऑटो आदि का बहुत अधिक संख्या में संचालन है, जिस कारण उक्त मार्गों पर बसों को संचालित
 करने से वित्तीय हानि होने की प्रबल संभावना है। जिसकारण निगम को पूर्व से हो रही हानि में और अधिक
 वृद्धि होगी। उन्होंने निवेदन किया है कि आपत्तियों को अस्वीकार किया जाए तथा उत्तराखण्ड परिवहन
 निगम को जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत प्राप्त बसों के संचालन हेतु आवेदित परमिट जारी करने का
 कष्ट करें, ताकि परमिटों के अभाव में परिवहन निगम/उत्तराखण्ड सरकार को आर्थिक हानि न हो।

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में श्री षैलेन्द्र कुमार षर्मा द्वारा दायर याचिका सं0 383/11 का
 निस्तारण हो जाने के पश्चात् श्री षर्मा ने स्पेशल अपील सं0-33/11 दायर की थी। इस याचिका का
 निस्तारण मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10-03-11 द्वारा किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा
 पारित आदेशों का मुख्यांश निम्न प्रकार है:-

इंम कव दवज जीपदा जीज पद कवपदह ए जीम समंतदमक श्रनकहम कपक वउमजीपदह ए ीपबी पे चचमंसए भ्वमअमतए म कपतमबज जीम
 त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल जव बवदेपकमत जीम इवअम वइरमबजपवद वद जीम चंतज वि जीम चचमससंदज दक जरमतमनचवद जव
 चतवबममक नितजीमत पद जीम उंजजमत पद बववतकंदबम पूजी सूंण

विकास खण्ड कालसी क्षेत्र के निवासियों तथा ग्राम प्रधानों द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून को सम्बोधित एक प्रतिवेदन दिनांक 14-03-11 को प्राप्त हुआ है। इस प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा कालसी से देहरादून के लिए 15 बसें लगाई गई थीं जो कि वर्तमान में बंद कर दी गयी हैं। इन बसों के बन्द होने से क्षेत्रवासियों को परेषानी का सामना करना पड़ रहा है और प्राइवेट बसें मनमाने ढंग से किराया बसूल करते हैं, साथ ही कालसी तक बसे नहीं चलाई जा रही हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों को पुनः देहरादून से कालसी तक संचालित कराने की कृपा करें।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0-8 देहरादून-विकासनगर-कालसी मार्ग पर निजी वाहन स्वामियों द्वारा स्थाई सवारी गाड़ी परमितों हेतु दिए गए प्रार्थनापत्रों पर विचार व आदेश।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के अन्तर्गत एक बस मार्ग देहरादून-विकासनगर-कालसी है, इस मार्ग की लम्बाई 55 किमी है। इस मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमितों हेतु प्राप्त समस्त प्रार्थनापत्रों को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27-12-08 में इस षर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि स्वीकृत परमित नई वाहन से प्राप्त किए जाएंगे। वर्तमान में इस मार्ग पर 25 स्थाई सवारी गाड़ी परमित वैध हैं।

उपरोक्त मार्ग पर निजी वाहन स्वामियों द्वारा स्थाई सवारी गाड़ी परमितों हेतु दिए गए प्रार्थनापत्रों को विचार व आदेश हेतु प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.03.11 में प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थनापत्रों का उल्लेख परिषिष्ट-छ में किया गया था।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि परिषिष्ट "छ" में उल्लिखित प्रार्थनापत्रों पर विचार को स्थगित किया जाता है।

उपरोक्त मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमितों हेतु प्राप्त पुराने व नये प्रार्थना-पत्रों के विवरण परिशिष्ट-“क” में दिए गए हैं।

अतः प्राधिकरण मा० राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण तथा मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अवलोकन करने के पश्चात् मामले में विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं०-09 श्री हरबन्ध लाल की वाहन सं०-यूए11-0690 को देहरादून-डोईवाला-जौलीग्रान्ट मार्ग पर अस्थाई सवारी गाड़ी परमित देने के सम्बन्ध में विचार व आदेश-

श्री हरबन्ध लाल ने अपनी वाहन सं०-यूए11-0690, माडल 2006 के लिये देहरादून-डोईवाला-जौलीग्रान्ट तथा सम्बन्धित मार्ग (नगर बस सेवा) पर 04 माह का अस्थाई सवारी गाड़ी परमित देने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

देहरादून-डोईवाला-जौलीग्रान्ट तथा सम्बन्धित मार्ग(नगर बस सेवा मार्ग) पर वर्तमान में 48 स्थाई सवारी गाड़ी परमित निजी वाहन स्वामियों को 12 स्थाई परमित उत्तराखण्ड परिवहन निगम को जारी किये गये हैं। इसके अतिरिक्त 01 स्थाई परमित अनु० जाति के अभ्यर्थी को जारी किया गया है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.10.10 में अनु० जाति कोटे के अंतर्गत स्वीकृत 02 परमित अभी तक जारी नहीं किये गये हैं। मार्ग पर जारी परमितों में से एक स्थाई सवारी गाड़ी परमित सं०-1874 पर वाहन का संचालन नहीं हो रहा है। इस परमित पर संचालित वाहन के स्थान पर उंचे माडल की वाहन लगाने हेतु परमित धारक ने दिनांक 21.01.11 को आज्ञा प्राप्त की है, परन्तु अभी तक परमित पर वाहन नहीं लगाई गई है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं०-10(c) श्रीमती बबीता देवी द्वारा डी०एल०रोड-डिफेन्स कालोनी नगर बस मार्ग पर स्वीकृत स्थाई सवारी गाड़ी परमित जारी करने हेतु समय बढ़ाने के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थनापत्र पर विचार व आदेश।

श्रीमती बबीता देवी सोनकर को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.10 में संकल्प सं०- 5(2) द्वारा डी०एल०रोड-डिफेन्स कालोनी नगर बस मार्ग का एक स्थाई सवारी गाडी परमिट अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि, परमिट नई वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.08.10 तक जारी किया जायेगा। इसके पश्चात स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

प्रार्थिनी श्रीमती बबीता देवी ने अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 30.07.10 द्वारा निवेदन किया था कि, उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वे स्वीकृत परमिट नई वाहन पर प्राप्त कर सकें। उन्होंने स्वीकृत परमिट को वाहन सं-यूके०7पीए-०466 माडल-2009 पर जारी करने का निवेदन किया था। इस प्रार्थनापत्र को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.10.10 में मद सं-10(1) में विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निम्नलिखित आदेश पारित किये थे-

राजधानी की नगर बस सर्विस होने के कारण प्रदूषण मुक्त, सुविधाजनक सेवा उपलब्ध कराने व दुर्घटनाओं की न्यूनतम सम्भावनाओं के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा नई वाहनों पर परमिट स्वीकृत किये गये हैं। अतः स्वीकृत परमितों को पुरानी वाहनों पर जारी करने के प्रार्थनापत्रों को अस्वीकृत किया जाता है तथा नई वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृत परमिट प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21.08.2000 में संकल्प सं०-4 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार प्रषमन शुल्क जमा करने पर जारी किये जायेंगे। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21.08.2000 मे निर्धारित नीति निम्न प्रकार है-

1- स्टैज कैरेज परमिट के मामलों में यदि प्रार्थी स्वीकृत निर्धारित अवधि में परमिट उठाने में असफल रहता है तो निर्धारित अवधि के पश्चात रु० 1000/- (एक हजार) प्रति माह विलम्ब शुल्क देकर स्वीकृत परमिट उठा सकेगा। पार्ट माह के लिये भी पूरे माह का विलम्ब शुल्क दिया जायेगा। परमिट उठाने की सामान्य अवधि दो माह मानी जायेगी, बशर्ते कि प्राधिकरण ने कोई विषिष्ट आदेश न किये हों। एक वर्ष के पश्चात परमिट स्वीकृति का आदेश स्वतः समाप्त हो जायेगा।

प्राधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों की सूचना श्रीमती बबीता देवी को कार्यालय के पत्र सं०-3662/आरटीए/2011 दिनांक 28.06.11 द्वारा भेजी गई थी। इस पत्र के संदर्भ में प्रार्थिनी ने अपने पत्र दिनांक 21.07.11 द्वारा सूचित किया है कि, दिनांक 21.08.2000 की नीति में यह स्पष्ट किया है कि, परमिट उठाने के लिये सामान्य अवधि 02 माह निर्धारित है। दिनांक 26.06.10 की बैठक में स्वीकृत परमिट को प्राप्त करने के लिये समय सीमा दिनांक 31.08.10 तक प्रदान की गई थी। दिनांक 21.08.2000 की नीति में यह स्पष्ट नहीं है कि, एक वर्ष की अवधि प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य समय सीमा के पश्चात आरम्भ होगी अथवा बैठक की तिथि से अथवा सूचना देने की तिथि से? उन्होंने अपने प्रार्थनापत्र में कहा है कि, प्राधिकरण द्वारा जो एक वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है, वह प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त समय सीमा के पश्चात प्रारम्भ होगी। प्रार्थनापत्र में यह भी कहा है कि, जहाँ किसी भी वाक्य अथवा शब्द के दो अर्थ निकल रहे हों और किसी भी बिन्दु की अस्पष्टता होने की दशा में सर्वदा विधायी पक्ष के विरुद्ध अथवा आवेदक के पक्ष में ही प्रयुक्त किया जायेगा। इसलिये दिनांक 21.08.2000 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार दिनांक 31.08.2010 के पश्चात एक वर्ष तक का समय परमिट जारी करने हेतु दिया जा सकता है। उन्होंने निवेदन किया है कि, प्रार्थिनी को दिनांक 31.08.10 के पश्चात् एक वर्ष की समय सीमा स्वीकार करते हुए अथवा दिनांक 08.10.10 से ही एक वर्ष की समय सीमा स्वीकार करते हुए सूचना प्रदान करने की कृपा करें, जिससे प्रार्थिनी 127 इंच व्हीलबेस की वाहन का चैसिस प्राप्त कर परमिट प्राप्त कर सकें व अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारेपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं०-10(प) श्रीमती कृष्णा देवी द्वारा देहरादून-डोईवाला तथा संबंधित नगर बस मार्ग पर स्वीकृत स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने हेतु समय बढ़ाने के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थनापत्र पर विचार व आदेश।

श्रीमती कृष्णा देवी को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.10.10 में संकल्प सं०-01 द्वारा देहरादून-डोईवाला तथा संबंधित नगर बस मार्ग का एक स्थाई सवारी गाडी परमिट अनुसूचित जाति

श्रेणी के अन्तर्गत इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि, परमिट नई वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.01.11 तक जारी किया जायेगा। इसके पश्चात स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

प्रार्थिनी श्रीमती कृष्णा देवी ने अपने पत्र प्रार्थनापत्र दिनांक 03.02.11 द्वारा परमिट प्राप्त करने हेतु समय वृद्धि प्रदान करने का निवेदन किया था। इस प्रार्थनापत्र को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.03.11 में मद सं-10 में विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था।

“प्राधिकरण के द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उक्त परिस्थितियों में इन आवेदकों की सहायता हेतु यह निर्णय लिया जाता है कि नये वाहन की व्यवस्था करने के लिए आवेदक समय लेना चाहें तो प्राधिकरण उदारतापूर्वक समय प्रदान करने के लिए विचार करेगा।”

प्रार्थिनी ने दिनांक 04.11.11 को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.10.10 में प्रार्थिनी को स्वीकृत परमिट प्राप्त करने हेतु समय प्रदान करने की प्रार्थना की है।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण को अवगत करना है कि परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के पत्र सं0-1835 एसटीए/2000 दिनांक 03.06.2000 के अनुपालन में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21.08.2000 में स्वीकृत परमितों को प्राप्त करने हेतु समय बढ़ाने के सम्बन्ध में निम्न प्रकार नीति निर्धारित की गई थी।

1- स्टैज कैरेज परमिट के मामलों में यदि प्रार्थी स्वीकृत निर्धारित अवधि में परमिट उठाने में असफल रहता है तो निर्धारित अवधि के पश्चात रु0 1000/- (एक हजार) प्रति माह विलम्ब शुल्क देकर स्वीकृत परमिट उठा सकेगा। पार्ट माह के लिये भी पूरे माह का विलम्ब शुल्क दिया जायेगा। परमिट उठाने की सामान्य अवधि दो माह मानी जायेगी, बर्तते कि प्राधिकरण ने कोई विषिष्ट आदेश न किये हों। एक वर्ष के पश्चात परमिट स्वीकृत का आदेश स्वतः समाप्त हो जायेगा।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारेपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं०-11 गुरुकुल नारसन-मंगलौर मार्ग का विस्तार रुडकी तक करने के सम्बन्ध में श्री भूपाल सिंह प्रबन्धक, किसान स्वतः शासित कॉ-ऑपरेटिव सोसाइटी ग्रा० मंडावली पो० गुरुकुल नारसन जिला हरिद्वार के पत्र दिनांक 12.07.11 पर विचार व आदेश।

गुरुकुलनारसन-मौहम्मदपुर-नसीरपुर-हरचन्दपुर-निरजनपुर-राजौलीनगला-लिब्वरहेडी-मंगलौर मार्ग, मिनी बस संचालन हेतु प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27.12.08 में वर्गीकृत किया गया था तथा शासन की अधिसूचना संख्या-232/नौ-239/2009 दिनांक 10.6.09 द्वारा उक्त मार्ग को मिनी बसों के संचालन हेतु निर्मित किया गया था। इस अधिसूचना के विरुद्ध श्री मंगल सिंह तथा अन्य द्वारा मा० उच्च न्यायालय नैनीताल में याचिका संख्या-1294/09 दायर की गई है। मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.08.2009 द्वारा अधिसूचना को स्थगित किया गया था। परन्तु अब यह याचिका मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.02.10 द्वारा खारिज कर दी गयी है।

उक्त मार्ग का विस्तार मंगलौर से रुडकी तक करने के सम्बन्ध में किसान स्व शासित कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रार्थना पत्र दिनांक 15.09.09 को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.09 के मद सं०-13 के अन्तर्गत विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित किये गये थे कि-

"उक्त मार्ग का विस्तार मंगलौर से रुडकी तक करने हेतु किसान स्व शासित कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा दिनांक 15.09.09 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था कि, क्षेत्र के बच्चे पढ़ने के लिए रुडकी तक आते हैं, मंगलौर तक मार्ग बनाने से क्षेत्रीय जनता को पूर्ण लाभ नहीं मिल पायेगा। उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा मार्ग का विस्तार मंगलौर से रुडकी तक करने में इस आधार पर आपत्ति की है कि प्रयुक्त मार्ग राष्ट्रीयकृत मार्ग है। उत्तराखण्ड परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि

गुरुकुल नारसन से रूड़की मार्ग पर दो मिनी बसों का संचालन उत्तराखण्ड परिवहन निगम के द्वारा किया जायेगा।

चूंकि मार्ग निर्धारित करने की अधिसूचना को मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया है। अतः मार्ग विस्तार करना सम्भव नहीं है। उत्तराखण्ड परिवहन निगम को निदेशित किया जाए कि वे उक्त मार्ग पर दो मिनी बसों का संचालन करना अबिलम्ब सुनिश्चित करें।

इस कार्यालय के पत्र सं० 2748/आरटीए/अ०परमिट/०9 दिनांक 11-12-09 एवं पत्र सं० 3175/आरटीए/खेड़ाजट/2010 दिनांक 19-02-10 एवं पत्र सं० 2978/आरटीए/खेड़ाजट/2010 दिनांक 30-11-10 के द्वारा मण्डलीय प्रबन्धक संचालन उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून को मार्ग पर दो मिनी बसों रूड़की-मंगलौर-खेड़ाजट मार्ग पर संचालन करने हेतु प्रेषित किए गए थे। मार्ग पर बस सेवा संचालन के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड परिवहन निगम से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अध्यक्ष, किसान स्व-षासित कॉपरेटिव सोसाईटी, हरिद्वार ने दिनांक 12-07-2011 को इस कार्यालय में एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा यह आवेदन किया गया है कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा आज तक उक्त मार्ग पर मिनी बसों का संचालन नहीं किया है। अतः उनकी सोसाईटी को दो परमिट जारी करने की कृपा करें।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं०-12 कुलड़ी-लक्सर-रूड़की तथा सम्बन्धित मार्ग का वर्गीकरण उच्च श्रेणी में करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून ने वर्ष 1970 में कुलड़ी-लक्सर-रूड़की मार्ग को बी-श्रेणी में वर्गीकृत किया था। वर्ष 1981 में इस मार्ग का विस्तार लक्सर से रूड़की वाया लण्ढौरा, वर्ष 2001 में बषेड़ी से बीएचईएल सैक्टर-2 तक तथा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12-11-09 में कुलड़ी से बालावाली-गंगाघाट

तक किया गया है। उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की धारा 07 में कर या अति0कर का अवधारण करने के लिए मार्गों का वर्गीकरण करने का प्राविधान है, जो निम्न प्रकार है:—

“प्रथम अनुसूची के अधीन परिवहन यानों के सम्बन्ध में देय कर की धनराशि का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए या चतुर्थ अनुसूची के अधीन देय अति0कर का अवधारण करने के लिए उत्तराखण्ड समस्त मार्गों का वर्गीकरण ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, विहित अधिकारी द्वारा “क” वर्ग के मार्गों या “ख” वर्ग के मार्गों के रूप में किया जाएगा।”

उपरोक्त मार्ग के वर्गीकरण को अपग्रेड करने के सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र सं0 1453/आरटीए/नौ-112/10 दिनांक 16-08-10 द्वारा सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), हरिद्वार से आख्या मांगी गयी थी। उन्होंने अपने पत्र सं0 693/कुलड़ी-लक्सर-रूड़की/प्रवर्तन/10 दिनांक 08-11-10 द्वारा सूचित किया है कि कुलड़ी-लक्सर-रूड़की-बसेड़ी-बीएचईएल तथा रायसी-बालावाली मार्ग पूर्णतः पक्का तथा ग्रामीण मार्ग है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मार्ग का वर्गीकरण “क” वर्ग के रूप में करने हेतु विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0-13 बहादुराबाद-पिरानकलियर-रूड़की मार्ग पर अस्थाई सवारी गाड़ी परमितों को सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हरिद्वार द्वारा जारी किये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेश चन्द जायसवाल के प्रत्यावेदन पर विचार व आदेश।

श्री नरेश चन्द जायसवाल महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, ज्वालापुर हरिद्वार ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 13.04.11 तथा 25.05.11 द्वारा निवेदन किया है कि वर्ष 2005 से उनकी वाहनों बहादुराबाद से पिरानकलियर होते हुए रूड़की तक संचालित हो रही हैं। इन वाहनों को चार-चार माह के अस्थाई परमित प्राप्त करने हेतु देहरादून जाना पड़ता है उन्होंने निवेदन किया है कि वाहन स्वामियों की परेषानी को मददेनजर रखते हुए

अस्थाई परमिटों का नवीनीकरण करने की सुविधा सम्भागीय परिवहन कार्यालय देहरादून के स्थान पर सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हरिद्वार द्वारा करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

जनपद हरिद्वार में बहादुराबाद-पिरान कलियर-रूड़की एक राष्ट्रीयकृत मार्ग है। इस मार्ग की लम्बाई 19 किमी है। पूर्व में इस मार्ग पर हरिद्वार से रूड़की वाया पिरान कलियर जाने वाली परिवहन निगम की बसों का संचालन किया जाता था, परन्तु मार्ग पर पुल के कमजोर हो जाने के कारण निगम की बसें दूसरे मार्ग से रूड़की को संचालित होने लगी हैं और इस मार्ग पर निगम की वाहनों का संचालन बन्द हो गया है। क्षेत्रीय प्रबन्धक परिवहन निगम देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 29-10-2003 द्वारा सूचित किया था कि प्रष्णगत मार्ग राष्ट्रीयकृत मार्ग है उत्तरांचल परिवहन निगम का गठन हो जाने के उपरान्त पिरान कलियर तीर्थ स्थल तक निगम की बसें संचालित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त मार्ग पर यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मामले का सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 03-11-03 में मद सं0-28 के अन्तर्गत विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था, परन्तु इस बैठक में मामले पर विचार करना स्थगित कर दिया था।

इसके पश्चात् उक्त मामले को संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20-11-04 में मद सं0 17(स-2) द्वारा विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित किये थे कि सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हरिद्वार की आख्या के अनुसार बहादुराबाद-रूड़की वाया पिरान कलियर मार्ग राष्ट्रीयकृत मार्ग था तथा पूर्व में इस मार्ग पर परिवहन निगम की बसें संचालित होती थीं। परन्तु बहादुराबाद से रूड़की के लिए नया मार्ग बन जाने फलस्वरूप अब इस मार्ग पर परिवहन निगम की बसों का संचालन नहीं होता है, क्योंकि मार्ग पर पड़ने वाले पुलों के कमजोर हो जाने के कारण यहां से बड़ी वाहनों का संचालन किया जाना संभव नहीं है। क्षेत्र की जनता को आवागमन के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं है, जिस कारण मार्ग पर अनाधिकृत संचालन की संभावना बनी रहती है। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), हरिद्वार ने मार्ग पर 25 परमिट जारी किए जाने की संस्तुति की है।

बहादुराबाद—रूड़की वाया पिरान कलियर मार्ग को अभी तक अराष्ट्रीयकृत घोषित नहीं किया गया है इसलिए इस मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करना संभव नहीं है।

प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि “बहादुराबाद वाया रूड़की पिरान कलियर मार्ग को “क” श्रेणी में वर्गीकृत किया जाए तथा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 104 में दिए गए प्राविधानों के अनुसार निजी वाहन स्वामियों की 16 सीटर छोटी बसों को अस्थाई सवारी गाड़ी परमिट इस षर्त के साथ जारी किए जाए कि यदि मार्ग पर परिवहन निगम द्वारा बस सेवा का संचालन शुरू किया जाता है तो अस्थाई परमिट स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे। यदि इस मार्ग को राष्ट्रीयकरण की योजना से निकाल लिया जाता है तो इसके पश्चात् मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करने की कार्यवाही की जाएगी मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमितों हेतु प्राप्त सभी प्रार्थनापत्रों को अस्वीकृत किया जाता है। मार्ग पर सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), हरिद्वार द्वारा की गई संस्तुति के अनुसार इस मार्ग पर 25 अस्थाई सवारी गाड़ी परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रथम आगत एवं प्रथम निर्गत के सिद्धांत पर जारी किए जाएंगे। इन परमितों में से 13 परमिट नई वाहनों तथा 12 परमिट पुरानी वाहनों को जारी किए जाएंगे। पुरानी वाहन 10 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।”

संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15-04-2005 के संकल्प संख्या 03 द्वारा उपरोक्त मार्ग पर 10 अस्थाई सवारी गाड़ी परमिट और जारी किए गए थे तथा 01 परमिट बैठक दिनांक 15-05-06 के संकल्प सं0-26 (ब) द्वारा स्वीकृत किया गया था। इस प्रकार वर्तमान में प्रणगत मार्ग पर कुल 36 मिनी बसों के अस्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी किए गए हैं।

परमिट धारकों की प्रार्थना पर उपरोक्त मार्ग का विस्तार बहादुराबाद से बी0एच0ई0एल0 होते हुए रोषनाबाद तक (10 किमी) प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15-05-06 के संकल्प सं0-26(अ) द्वारा किया गया है। इसके पश्चात् पुनः प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12-11-09 के संकल्प सं0 -14 द्वारा इस मार्ग का

विस्तार बहादुराबाद से गढ़मीरपुर होते हुए रोषनाबाद तक (07 किमी) किया गया है, इस प्रकार प्रष्णगत मार्ग की कुल लम्बाई 36 किमी हो गयी है।

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 में अस्थाई परमिट जारी करने का प्राविधान है, जिसके अनुसार सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण किसी मार्ग पर अस्थाई परमिट स्वीकृत कर सकती है। उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 जो वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में भी प्रभावी है के नियम-57(2) में यह प्राविधान है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा अपनी षक्तियों का प्रत्यायोजन "अपने सचिव को और राज्य परिवहन प्राधिकरण की दषा में सहा0 परिवहन आयुक्त (प्रषासन) को और किसी सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की दषा में सम्बन्धित सम्भाग के किसी सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी को धारा 87 और धारा 88 की उपधारा 2 के अधीन अस्थाई और विषेश परमितों की स्वीकृति से सम्बन्धित अपनी समस्त या कोई षक्ति।" का;

उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम 57(2) में दिए गए प्राविधान के अनुसार सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 05.08.04 द्वारा राज्य के समस्त उपसंभागों के सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रषासन) एवं उनकी अनुपस्थिति में सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) को अपने अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया है जो निम्न प्रकार है:-

"धारा 87 (ब) तथा 88 (8) के अन्तर्गत विवाह, रिजर्व पार्टी के लिए विषेश अस्थाई परमिट दिए जाने का अधिकार। इस प्रकार के परमिट केवल एक बार जाने एवं वापस आने के लिए वैध होंगे।"

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0-14 विकासनगर-लांघा मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी (बसों) के परमितों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर विचार व आदेश।

जनपद देहरादून के अन्तर्गत एक बस मार्ग विकासनगर-लांघा, केदारवाला-बालूवाला है। इस मार्ग की कुल लम्बाई 22 किमी है तथा वर्तमान में इस मार्ग पर 04 स्थाई सवारी गाड़ी परमित वैध हैं। मार्ग के स्थाई

सवारी गाड़ी परमिट संख्या 1847 जो दिनांक 02.08.11 तक वैध था पर वाहन प्रतिस्थापित करने की आज्ञा दिनांक 05.03.07 को प्रदान की गयी थी तब इस परमिट पर कोई वाहन संचालित नहीं है। इस परमिट के स्थान पर श्री राम कुमार पुत्र श्री प्रभुदायाल को उनकी वाहन सं० यूए07बी-7321 मॉडल-1995 के लिए अस्थाई परमिट जारी किया गया है, जो दिनांक 09.12.11 तक वैध है। इस मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमितों हेतु निम्नलिखित प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए:-

कम सं०	प्रार्थनापत्र प्राप्ति की तिथि	प्रार्थी का नाम व पता	वाहन संख्या
यदि कोई हो			
1.	02.06.2011	श्री रामकुमार पुत्र श्री प्रभुदयाल, रुद्रपुर, सहसपुर, देहरादून।	यूए07बी-7321
2.	21.08.2007	श्री धीरज सिंह तोमर पुत्र श्री जनक सिंह तोमर पष्टाड़, लांघा, विकासनगर, देहरादून।	
3.	19.12.2007	श्री रघुवीर सिंह तोमर पुत्र श्री करतार सिंह, रुद्रपुर, विकासनगर, देहरादून।	
4.	16.10.2009	श्री मुकेश गौर पुत्र श्री सरल किषोर शर्मा, ग्रा० गमनीपुर थाना, सहसपुर, देहरादून।	

अतः प्राधिकरण उपरोक्त प्रार्थनापत्रों पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं०-15 रूड़की केन्द्र से स्थाई विक्रम टैम्पों परमिट जारी करने के लिए प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर विचार व आदेश।

श्री मदन कौषिक मा0 मंत्री, नगर विकास, पर्यटन, गन्ना विकास, चीनी उद्योग एवं आबकारी, उत्तराखण्ड के माध्यम से रूड़की केन्द्र से विक्रम टैम्पों परमिट देने के लिए 9 प्रार्थियों के प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रार्थनापत्र भी प्राप्त हुए हैं। जिनके विवरण **परिषिष्ट-ख** में दिये गये हैं।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.09 में संकल्प संख्या-07 द्वारा लक्सर, रूड़की तथा हरिद्वार केन्द्रों के लिए विक्रम टैम्पों परमिटों हेतु प्राप्त समस्त प्रार्थियों को एक-एक ठेका गाड़ी परमिट निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किए गए थे।

1. 07 सीटर, 04 पहिया, न्यूनतम 02 सिलिण्डर एवं यूरो-3 मानक वाली नई वाहन होनी चाहिए।
2. जनपद में एल0पी0जी0/सी0एन0जी0 की उलब्धता होने पर इन वाहनों को एल0पी0जी0/सी0एन0जी0 वाहनों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3. उन्हीं आवेदकों को स्वीकृति जारी की जाएगी जिनके पास पूर्व में कोई ऑटोरिक्षा/टैम्पों परमिट न हो।
4. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आवेदक के द्वारा जाली प्रपत्रों के आधार पर परमिट प्राप्त करने का कोई प्रकरण न हो।
5. आवेदक उत्तराखण्ड के निवासी हो इस हेतु मतदाता परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. आवेदित क्षेत्र में रहने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी।
7. आवेदक बेरोजगार हो।
8. आवेदक के पास हल्की वाणिज्यिक वाहन चलाने का डी0एल0 हो।
9. परमिट को न्यूनतम 03 वर्ष की अवधि तक हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा।

वर्तमान में रूड़की केन्द्र में 181 विक्रम टैम्पों परमिट वैध हैं। अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं०-16 जनपद हरिद्वार के लक्सर केन्द्र से स्थाई विक्रम टैम्पों वाहनों के परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", विधायक, लक्सर ने अपने पत्र दिनांक 06.12.2010 द्वारा सूचित किया है कि उनके विधानसभा क्षेत्र लक्सर के अत्यन्त पिछड़े खादर क्षेत्र में आवागमन के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है। सुदूर ग्रामीण अंचलों से लोगों को औद्योगिक क्षेत्र, तहसील, बाजार तथा छात्र-छात्राओं को स्कूल/कॉलेज आना-जाना होता है। परिवहन की सुविधा सुलभ व पर्याप्त न होने के कारण इस क्षेत्र की जनता को अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अपने पत्र में यह भी कहा है कि यदि उक्त क्षेत्र में विक्रम थ्री-व्हीलर को चलाये जाने हेतु बेरोजगार पात्र व्यक्ति को परमिट आवंटित कर दिए जाते हैं तो इससे एक तो क्षेत्र में सस्ता व सुलभ आवागमन जनता को उपलब्ध होगा तथा दूसरा क्षेत्र के बेरोजगारों को जीविकोपार्जन का माध्यम उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने लक्सर केन्द्र से विक्रम वाहनों के परमिट जारी करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कहा है।

वर्तमान में लक्सर केन्द्र से 20 स्थाई विक्रम टैम्पों परमिट वैध हैं। लक्सर केन्द्र से विक्रम टैम्पों परमितों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों के विवरण **परिषिष्ट-ग** में दिये गये हैं।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं०-17 श्री राजकुमार को डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र के लिए विक्रम टैम्पो परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

श्री राजकुमार पुत्र श्री टीका राम, 95-बी, चन्द्रषेखर आजाद कालोनी, पटेलनगर, देहरादून ने अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 01.11.2011 द्वारा निवेदन किया गया है कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.03.2011 में डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र के परमिट प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किये गये थे। प्रार्थी ने विक्रम खरीद लिया था

परन्तु काफी लेट में आने पर परमिट जारी नहीं किया गया। उन्होंने निवेदन किया है कि अब उनको डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र का परमिट जारी किया जाए।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09-03-11 में मद सं0-04 के अन्तर्गत डोईवाला केन्द्र के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विक्रम टैम्पो परमितों हेतु प्राप्त समस्त प्रार्थनापत्र निम्न लिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किये गये थे:-

“प्रथम आगत, प्रथम निर्गत के सिद्धांत पर कुल 60 परमिट वाहनों के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 30-04-11 तक जारी किए जाएंगे, जिनमें से 47 परमिट सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को, 11 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों तथा 02 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को जारी किए जाएंगे। निर्धारित संख्या में स्वीकृत परमिट जारी हो जाने के पश्चात् पेश प्रार्थनापत्रों की स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जाएंगी।

1. परमिट से आच्छादित वाहन का संचालन डोईवाला में लच्छीवाला रेलवे पुल से से आगे देहरादून शहर की ओर, ऋशिकेश मार्ग पर नटराज चौक से आगे तथा हरिद्वार मार्ग पर नेपाली फार्म से आगे नहीं किया जायेगा। वाहन का संचालन डोईवाला के ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जाएगा।
2. वाहनों का रंग हरा होगा तथा इन पर 05 इंच की सफेद पट्टी होगी जिसमें काले रंग से डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र अंकित होगा।
3. देहरादून जनपद का निवासी हो।
4. आवेदक के नाम अन्य कोई परमिट न हो।
5. आवेदक बेरोजगार हो।
6. आवेदक के पास हल्की वाणिज्यिक वाहन चलाने का डी0एल0 हो।
7. परमिट 03 वर्ष की अवधि से पूर्व हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा तथा आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत जारी परमिट आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को ही हस्तान्तरित किया जा सकेगा।
8. आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक, जिला प्रशासन द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।

9. मार्ग पर संचालित वाहनों मॉडल सीमा 10 वर्ष होगी तथा 10 वर्ष की आयुसीमा पूरी होने पर ऊँचे मॉडल की वाहन से प्रतिस्थापन किया जाएगा।”

प्राधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के सूचना प्रार्थी को कार्यालय के पत्र दिनांक 01-04-11 द्वारा दी गयी थी। प्रार्थी को सूचित किया गया था कि स्वीकृत पत्र प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुसार रिक्तियां पूर्ण होने अथवा दिनांक 30.04.11 तक वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत कर परमिट प्राप्त करने तक ही वैध होगी। परमिट की रिक्तियां पूर्ण होने की सूचना आवेदक कार्यालय से स्वयं प्राप्त कर ही वाहन क्रय करें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न विक्रय पत्र (फार्म-21) के अनुसार उनके द्वारा दिनांक 18.04.11 को वाहन क्रय की गयी थी। परन्तु अभी तक प्रार्थी की वाहन पंजीकृत नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र के लिए 60 परमिट जारी किए गए थे तथा 13 परमिट परिचालन पद्धति द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। वर्तमान में डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र पर 73 विक्रम टैम्पो परमिट वैध हैं।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0-18(८) कौलागढ़-विधानसभा के नगर बस परमितों को हल्की वाहनों के परमितों में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में, मार्ग के बस ऑपरेटरों द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन दिनांक 04.11.11 पर विचार व आदेश।

प्राधिकरण द्वारा कौलागढ़-विधानसभा वाया बल्लूपुर चौक-बल्लीवाला चौक-जीएमएस रोड-सब्जी मंडी-लालपुल-महन्त इंदरेश हास्पीटल-कारगी चौक-रिस्पनापुल वर्गीकृत किया गया था। इसके पश्चात प्राधिकरण के आदेश दिनांक 07.07.09 द्वारा इस मार्ग का विस्तार सब्जी मंडी-माजरा-षिमला बाईपास-आईएसबीटी-कारगी चौक-विधानसभा तथा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.09 में मार्ग का विस्तार ओएनजीसी चौक से राजेन्द्र नगर-किषन नगर होते हुए कनाट प्लेस-धण्टाधर-प्रिन्स चौक-रेलवे

स्टेशन तक किया गया था। प्राधिकरण द्वारा इस मार्ग पर 06 स्थाई सवारी गाड़ी परमिट दिये गये थे। वर्तमान में इस मार्ग पर 02 बसें संचालित हैं।

मार्ग के बस ऑपरटर्स द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक 27.12.08 में कौलागढ़ से विधानसभा मार्ग पर 06 सिटी बस परमिट जारी किए गए थे। कुछ समय पश्चात् थानाकैण्ट-परेडग्राउण्ड की सिटी बसों को भी इसी रूट के परमिट अंकित कर दिए गए जिस कारण हमारी सिटी बसों को पर्याप्त सवारी न मिल पानी से काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा और हमे मजबूर होकर अपनी गाड़ियों को बेचना पड़ा, जिससे हमें बेरोजगार भी होना पड़ा और अपने परिवहन के भरण-पोषण की एक बहुत बुरी स्थिति बन गयी है। उनके मार्ग की नगर बस परमितों को हल्के वाहनों के परमितों से परिवर्तित कर दिया जाए तथा कौलागढ़ से घण्टाघर तक का छोटे वाहन के परमित देने की कृपा करें, ताकि हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें और सरकार के राजस्व की हानि भी न हो सकें।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

(ख) कौलागढ़-विधानसभा तथा सम्बन्धित मार्ग का विस्तार बाजावाला-मसन्दावाला तक करने तथा मार्ग पर हल्की वाहनों को परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

बाजावाला-मसन्दावाला क्षेत्र की जनता द्वारा इस आषय के प्रतिवेदन दिये गये हैं कि, उनके क्षेत्र में भी परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाय, परन्तु पूर्व में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार कौलागढ़ से आगे का मार्ग काफी संकरा तथा मोड़ो वाला है, जिसमें बस सेवा संचालित किया जाना सम्भव नहीं है। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन देहरादून ने अपने पत्र सं0-5647/प्रवर्तन/मार्ग [सर्वेक्षण/2011](#) दिनांक 02-11-11 द्वारा उपरोक्त मार्ग का सर्वेक्षण करने के पश्चात अपनी आख्या प्रेशित की है, जो निम्न प्रकार है:-

“बाजावाला तथा मसन्दावाला गांव की दूरी कौलागढ़ से लगभग 2.3 किमी है। मार्ग पक्का है तथा लगभग 2.0 से 2.5 मीटर चौड़ा है तथा हल्के वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त है। कौलागढ़ से बाजावाला—मसन्दावाला तक आवागमन के लिए परिवहन का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। स्थानीय लोगों को पैदल या अन्य साधनों से कौलागढ़ आना पड़ता है। बाजावाला—मसन्दावाला क्षेत्र की जनता को शहर तक आने—जाने के लिए परिवहन सुविधा दिए जाने हेतु बाजावाला—मसन्दावाला से कौलागढ़ होते हुए के०डी०एम०आई०पी०ई०, ओ०एन०जी०सी० चौक से बल्लुपुर चौक, बल्लीवाला चौक, जी०एम०एस रोड, सब्जीमंडी, सहारनपुर चौक, प्रिंस चौक होते हुए परेडग्राउण्ड तक हल्के वाहनों का मार्ग बनाया जाना उपयुक्त होगा। मार्ग की कुल दूरी 13.5 किमी है।”

उपरोक्त मार्ग पर परमिट जारी करने पर अध्यक्ष, नगर बस सेवा, अनारवाला—गढ़ीकैण्ट—आईएसबीटी—परेडग्राउण्ड ने आपत्ति की है कि उपरोक्त मार्ग पर अलग से टेका परमिट के टाटा मैजिक को संचालित कराना सीटी बस वालों के अधिकारों पर कुठाराघात होगा। क्योंकि अत्याधिक संख्या में विक्रम व सिटी बसें संचालित होने के कारण प्रतिस्पर्धा बारम्बार बनी रहती है, जिस कारण दुर्घटनायें एवं मारपीट व झगड़े होते रहते हैं, इसके साथ ही बस मालिक आर्थिक आधार पर कमजोर हो रहे हैं, जिससे बसों के रख रखाव में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त बाजावाला, कौलागढ़ क्षेत्र में रहने वाली जनता एवं बिष्टगांव, गगोल पंडितवाणी बिजापुर, विजयनगर आदि स्थानों पर रहने वाली जनता की मुख्य मांग घण्टाघर की सेवा के लिए है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं०—19 बुल्लावाला—झबरावाला—डोईवाला—भानियावाला—लालतप्पड़ मार्ग पर हल्की सदृश्य 4 पहिया 7/8 सीटर हल्की वाहनों का संचालन स्थाई टेका गाड़ी के रूप में करने हेतु परमिटों के लिये प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर विचार व आदेश।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12-11-09 तथा 26-06-2010 में कुछ मार्गों को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 74 (2)(1) में दिए गए प्राविधानों के अनुसार हल्की वाहनों को ठेका गाड़ी के रूप में संचालित करने हेतु "क" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था जिसमें बुल्लावाला-झबरावाला-डोईवाला-भानियावाला-लालतप्पड़ मार्ग भी था। इस मार्ग पर 20 परमिटों की संख्या निर्धारित की गई थी। कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या 5592/आरटीए/दस-15/2011 दिनांक 22-10-11 द्वारा इस मार्ग पर 7/8 सीट तक की हल्की वाहनों को ठेका गाड़ी के रूप में संचालित करने हेतु परमिटों के आवेदन पत्र मांगे गये थे। यह विज्ञप्ति दिनांक 23-10-11 को अमर उजाला, दैनिक जागरण तथा हिन्दुस्तान समाचार-पत्रों में प्रकाशित की गई थी। आवेदन-पत्र दिनांक 05-11-11 तक निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था। इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्रार्थनापत्रों के विवरण परिशिष्ट-"घ" में दिए गए हैं।

इस मार्ग पर 7/8 सीटर हल्के वाहनों को परमिट जारी करने के विरुद्ध डोईवाला विक्रम मालिक वैलफेयर एसोसिएशन डोईवाला ने दिनांक 04.11.11 को प्रत्यावेदन दिया है। उन्होंने निवेदन किया है कि:-

1. महोदय डोईवाला केन्द्र से पहले ही (328) तीन सौ अट्ठाइस विक्रम संचालित हो रहें हैं इसके अतिरिक्त इस रूट पर जीप, ट्रैकर, मैक्सी कैब एवं राज्य परिवहन निगम अनुबन्धित बसों का दाब बना रहता है।
2. महोदय उपरोक्त साधन के अतिरिक्त देहरादून से जौलीग्राण्ट तक लगभग (61) इकसठ नगर वाहन बसें संचालित हैं जिसके परिणाम स्वरूप (328) विक्रमों कि रोजी रोटी पर गरा असर पड़ रहा है।
3. महोदय को इस बात से इंगित कराना है कि उपरोक्त ग्रामीण क्षेत्र के (80) परमिट जारी किये हैं ये सभी विक्रम डोईवाला नगर में ही चल रहें हैं ऐसी परिस्थिति में पुनः इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में विक्रम एवं टाटा मैजिक आदि के परमिट दिये जाना उचित नहीं है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं०-20 बिश्ट गांव-मंगौल-पंडितवाड़ी-गजियावाला-सप्लाई-आईएसबीटी मार्ग पर हल्की सदृश्य 4 पहिया 7/8 सीटर हल्की वाहनों का संचालन स्थाई ठेका गाड़ी के रूप में करने हेतु परमितों के लिये प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर विचार व आदेश।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12-11-09 तथा 26-06-2010 में कुछ मार्गों को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 74 (2)(1) में दिए गए प्राविधानों के अनुसार हल्की वाहनों को ठेका गाड़ी के रूप में संचालित करने हेतु "क" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था, जिसमें बिश्टगांव-मंगोल पंडिवाड़ी-गजियावाला-सप्लाई-आईएसबीटी मार्ग भी था। इस मार्ग पर 20 परमितों की संख्या निर्धारित की गई थी। कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या 5592/आरटीए/दस-15/2011 दिनांक 22-10-11 द्वारा इस मार्ग पर 7/8 सीट तक की हल्की वाहनों को ठेका गाड़ी के रूप में संचालित करने हेतु परमितों के आवेदन पत्र मांगे गये थे। यह विज्ञप्ति दिनांक 23-10-11 को अमर उजाला, दैनिक जागरण तथा हिन्दुस्तान समाचार-पत्रों में प्रकाशित की गई थी। आवेदन-पत्र दिनांक 05-11-11 तक निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था। इस मार्ग पर परमितों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों के विवरण **परिषिष्ट-"च"** में दिए गए हैं।

इस मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्ध श्री भगवती प्रसाद भट्ट, अध्यक्ष, महानगर बस सेवा रायपुर-प्रेमनगर मार्ग द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया है कि उनके मार्ग पर 34 नगर बस परमिट जारी किए गए हैं, जिसमें से 50 प्रतिषत वाहनों वाया आईएसबीटी एवं 50 प्रतिषत वाहनों वाया कॅनाट प्लेस होकर संचालित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस मार्ग पर परेडग्राउण्ड-परवल मार्ग की 18 बसें लगभग 150 विक्रम प्रेमनगर से कर्नाट प्लेस तक संचालित हो रहे हैं एवं परेडग्राउण्ड से रायपुर, थानो, बड़ासी, मालदेवता, गुलरघाटी मार्ग तक की 28 बसें एवं परेडग्राउण्ड से काली मंदिर तपोवन तक 48 नगर बसें सीमाद्वार से नालापानी की संचालित हो रही हैं। परेडग्राउण्ड से रायपुर तक लगभग 50-60 विक्रम भी संचालित हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो कि प्रेमनगर-रायपुर मार्ग की 50 प्रतिषत बसें आईएसबीटी मार्ग पर संचालित होती हैं उनके साथ भी

लगभग प्रेमनगर से आईएसबीटी तक डाकपत्थर-विकासनगर-कालसी की 120 बसें व प्रेमनगर से बल्लुपुर चौक, मंडी तक लगभग 30-40 विक्रम तथ गढ़ीकैण्ट मार्ग की 14 बसें बल्लुपुर चौक से लेकर आईएसबीटी-रिस्पनापुल तक 15 किमी तक प्रेमनगर-रायपुर मार्ग की वाहनों के साथ संचालित होते हैं एवं आईएसबीटी से रिस्पना-जोगीवाला तक डोईवाला मार्ग की 31 बसें व 111 विक्रम डोईवाला केन्द्र के व लगभग 50-60 विक्रम धर्मपुर केन्द्र के आईएसबीटी रिस्पना संचालित होते हैं। इस प्रकार उपरोक्त मार्ग पर यातायात के पर्याप्त साधन उपलब्ध होने के बावजूद मार्ग पर अत्यधिक यातायात का दबाव व जाम की समस्या हमेशा बनी रहती है। फिर भी अब परिवहन विभाग द्वारा पुनः 22.10.11 को विज्ञप्ति जारी कर 11.11.2011 को आरटीए की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें 7-8 सीट के वाहनों को विभिन्न मार्गों पर टेका परमिट जारी करना प्रस्तावित है जो कि प्रेमनगर से लेकर रायपुर तक दोनों तरफ से कहीं न कहीं मार्ग पर 7 से 15 किमी का ओवरलेप होकर प्रतिस्पर्धा करने हुए मार्ग पर चलेंगे, जिससे यातायात प्रभावित होगा और लड़ाई-झगड़े बढ़ेंगे, जिससे प्रेमनगर-रायपुर मार्ग के वाहन स्वामियों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त मार्ग पर परमिट जारी करने पर अध्यक्ष, नगर बस सेवा, अनारवाला-गढ़ीकैण्ट-आईएसबीटी-परेडग्राउण्ड ने आपत्ति की है कि उपरोक्त मार्ग पर अलग से टेका परमिट के टाटा मैजिक को संचालित कराना सीटी बस वालों के अधिकारों पर कुठाराघात होगा। क्योंकि अत्याधिक संख्या में विक्रम व सिटी बसें संचालित होने के कारण प्रतिस्पर्धा बारम्बार बनी रहती है, जिस कारण दुर्घटनायें एवं मारपीट व झगड़े होते रहते हैं, इसके साथ ही बस मालिक आर्थिक आधार पर कमजोर हो रहे हैं, जिससे बसों के रख रखाव में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त बाजावाला, कौलागढ़ क्षेत्र में रहने वाली जनता एवं बिष्टगांव, गगौल पंडितवाणी बिजापुर, विजयनगर आदि स्थानों पर रहने वाली जनता की मुख्य मांग घण्टाघर की सेवा के लिए है।

अतः प्राधिकरण प्रार्थनापत्रों पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं०-21 देहरादून-रायपुर-मालदेवता मार्ग पर टाटा मैजिक वाहनों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में विचार व आदेश ।

देहरादून-रायपुर-मालदेवता-पीपीसीएल पर वर्तमान में 14 स्थाई स्टैज कैरेज बस परमिट निर्गत हैं, परन्तु विविध कारणों से 08 परमिट धारकों ने काफी लम्बे समय से या तो वाहन प्रतिस्थापन के लिए समय ले लिया है या वाहनों के प्रपत्र कार्यालय में समर्पित कर दिए हैं। फलतः 14 परमितों के स्थान पर मात्र 06 वाहनों मार्ग पर संचालित हैं। कम संख्या में वाहनों संचालित होने के कारण क्षेत्र की जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधाएं नहीं मिल पा रही थीं, जिसके कारण स्कूली बच्चों, नौकरी पेशा लोगों तथा विभिन्न कार्यों हेतु शहर आने-जाने के लिए लोगों को परिवहन का साधन नहीं मिल पा रहा था। क्षेत्र की जनता ने कई बार वाहन समस्या को हल करने के लिए प्रत्यावेदन दिए थे। मा० कृषि मंत्री एवं मा० विधायक, राजपुर द्वारा भी समस्या का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए गए थे।

अध्यक्ष, महोदय के आदेश दिनांक 22-06-11 के अनुपालन में उपरोक्त मार्ग पर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 11 टाटा मैजिक वाहनों को अस्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी किए गए हैं तथा इन वाहनों का संचालन देहरादून से मालदेवता-पीपीसीएल मार्ग पर हो रहा है।

प्रदेश अध्यक्ष, प्रधान संगठन उत्तराखण्ड ने अपने पत्र दिनांक 19-07-11 द्वारा सूचित किया है कि देहरादून से मालदेवता-पीपीसीएल मार्ग पर टाटा मैजिक चलाये जाने से लोगों को यातायात की सुविधा मिल रही है परन्तु गाड़ियों की संख्या कम होने के कारण मालदेवता और पीपीसीएल से देहरादून की ओर आने वाली गाड़ियां मालदेवता में ही भर जाती हैं। ऐसी स्थिति में खैरी मानसिंह, रैनीवाला, अस्थल, वझेत एवं केषरवाला के लोगों को इन गाड़ियों में स्थान न मिलने के कारण परिवहन सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है। सबसे अधिक परेषानी सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही है। उन्होंने अनुरोध किया है कि प्राथमिकता के आधार पर केषरवाला, अस्थल, वझेत एवं रैनीवाला के लोगों को और अधिक परमिट जारी कर समस्या का समाधान कराने की कृपा करें। उल्लेखनीय है कि 08 बसों के मार्ग से हटे रहने के कारण मांग

व आपूर्ति के अनुपात को सही करने के लिये लगभग 16 टाटा मैजिक सदृष वाहनों की आवश्यकता है। वर्तमान में मार्ग पर 11 टाटा मैजिक वाहनों को अस्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी किए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 20.08.11 के अनुपालन में सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन, देहरादून एवम् परिवहन कर अधिकारी-प्रथम देहरादून को उपरोक्त मार्ग का सर्वेक्षण संयुक्त सर्वेक्षण समिति के साथ करने के पश्चात समिति की आख्या प्रेषित करने हेतु कहा गया था कि, उक्त मार्ग पर कितनी सदृष्य हल्की वाहनों की और आवश्यकता पड़ेगी, जिससे उक्त क्षेत्र की जनता को परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सके।

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रवर्तन) देहरादून ने अपने पत्र सं0-5586/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2011 दिनांक 08-11-11 द्वारा सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत की है, जो निम्नवत् है:-

1. मार्ग पर पूर्व में 14 परमिट से आच्छादित बसें संचालित थीं, जिनके द्वारा स्थानीय जनता को परिवहन सुविधा दी जा रही थी। वर्तमान में उक्त मार्ग पर 05 परमिट से आच्छादित बसें व 11 अस्थाई परमिट से आच्छादित हल्की वाहनों का संचालन हो रहा है।
2. रायपुर-मालदेवता आदि क्षेत्र से काफी संख्या में प्रतिदिन लोग स्कूलों, कार्यालयों तथा विभिन्न संस्थानों के लिए आवागमन करते हैं। चैकिंग कार्य एवं सर्वेक्षण के उपरांत यह देखने में आया है कि स्थानीय जनता को परिवहन सुविधायें दिये जाने हेतु वर्तमान में संचालित सेवार्यें पर्याप्त नहीं है।
3. स्थानीय जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु मार्ग पर और अधिक परिवहन सेवार्यें बढ़ाये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

अतः उक्त क्षेत्र की जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधायें दिये जाने हेतु देहरादून-रायपुर-मालदेवता मार्ग पर उपरोक्त संचालित सेवाओं के अतिरिक्त हल्के वाहनों के 05 और परमिट जारी करने की संस्तुति की जाती है।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.03.11 के संकल्प सं0 15 द्वारा आदेश पारित किए थे कि देहरादून-रायपुर-मालदेवता-पी0पी0सी0एल0, रायपुर-तुनवाला-मियांवाला-बालावाला-षमषेरगढ़ मार्ग को नगर बस सेवा में परिवर्तित किया जाता है। मार्ग पर चल रही बसों का प्रतिस्थान 06 माह के अन्दर 166 इंच व्हीलबेस तक की नई बसों से किया जाएगा। ये बसें नगर बस के लिए निर्धारित मानकों को पूर्ण करने वाली होनी चाहिए। प्राधिकरण के इन आदेशों के अनुपालन में 02 परमिट धारकों द्वारा अपनी वाहनों को नगर बस के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप नई वाहनों से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

इस मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्ध श्री भगवती प्रसाद भट्ट, अध्यक्ष, महानगर बस सेवा रायपुर-प्रेमनगर मार्ग द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया है कि उनके मार्ग पर 34 नगर बस परमिट जारी किए गए हैं, जिसमें से 50 प्रतिषत वाहनें वाया आईएसबीटी एवं 50 प्रतिषत वाहनें वाया कॅनाट प्लेस होकर संचालित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस मार्ग पर परेडग्राउण्ड-परवल मार्ग की 18 बसें लगभग 150 विक्रम प्रेमनगर से कनॉट प्लेस तक संचालित हो रहे हैं एवं परेडग्राउण्ड से रायपुर, थानो, बड़ासी, मालदेवता, गुलरघाटी मार्ग तक की 28 बसें एवं परेडग्राउण्ड से काली मंदिर तपोवन तक 48 नगर बसें सीमाद्वार से नालापानी की संचालित हो रही हैं। परेडग्राउण्ड से रायपुर तक लगभग 50-60 विक्रम भी संचालित हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो कि प्रेमनगर-रायपुर मार्ग की 50 प्रतिषत बसें आईएसबीटी मार्ग पर संचालित होती हैं उनके साथ भी लगभग प्रेमनगर से आईएसबीटी तक डाकपत्थर-विकासनगर-कालसी की 120 बसें व प्रेमनगर से बल्लुपुर चौक, मंडी तक लगभग 30-40 विक्रम तथ गढ़ीकैण्ट मार्ग की 14 बसें बल्लुपुर चौक से लेकर आईएसबीटी-रिस्पनापुल तक 15 किमी तक प्रेमनगर-रायपुर मार्ग की वाहनों के साथ संचालित होते हैं एवं आईएसबीटी से रिस्पना-जोगीवाला तक डोईवाला मार्ग की 31 बसें व 111 विक्रम डोईवाला केन्द्र के व लगभग 50-60 विक्रम धर्मपुर केन्द्र के आईएसबीटी रिस्पना संचालित होते हैं। इस प्रकार उपरोक्त मार्ग पर

यातायात के पर्याप्त साधन उपलब्ध होने के बावजूद मार्ग पर अत्यधिक यातायात का दबाव व जाम की समस्या हमेशा बनी रहती है। फिर भी अब परिवहन विभाग द्वारा पुनः 22.10.11 को विज्ञप्ति जारी कर 11.11.2011 को आरटीए की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें 7-8 सीट के वाहनों को विभिन्न मार्गों पर टेका परमिट जारी करना प्रस्तावित है जो कि प्रेमनगर से लेकर रायपुर तक दोनों तरफ से कहीं न कहीं मार्ग पर 7 से 15 किमी का ओवरलेप होकर प्रतिस्पर्धा करने हुए मार्ग पर चलेंगे, जिससे यातायात प्रभावित होगा और लड़ाई-झगड़े बढ़ेंगे, जिससे प्रेमनगर-रायपुर मार्ग के वाहन स्वामियों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त स्थाई/अस्थायी प्रार्थनापत्रों के विवरण **परिषिष्ट-“छ”** में दिए गए हैं।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0-22 ऑटोरिक्शा वाहनों में किराये का मीटर लगाने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

टैक्सी वाहनों में किराया मीटर लगाये जाने के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 74(8) में यह प्राविधान किया गया है कि “मोटर टैक्सियों की दशा में यदि कोई टैक्सी मीटर वीहित किया गया है तो वह ठीक चालू हालत में लगाया जाएगा और बनाये रखा जाएगा।” मोटरयान अधिनियम धारा 2(25) में टैक्सी वाहन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, “मोटरटैक्सी से ऐसा कोई यान अभिप्रेत है जो भाड़े या पारिश्रमिक पर अधिक से अधिक 6 यात्रियों जिसके अन्तर्गत ड्राइवर नहीं है वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित है।”

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21.08.2000 में संकल्प सं0 08 द्वारा टैक्सी तथा ऑटोरिक्शा वाहनों में मीटर लगाये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश पारित किए गए थे:-

“प्राधिकरण द्वारा ऑटोरिक्शा वाहनों में किराये का मीटर लगाये जाने के सम्बन्ध में अपनी बैठक दिनांक 26.04.89 में संकल्प संख्या 28 द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि पुराने जारी परमिटों पर नवीनीकरण अथवा पुनः स्वीकृति के अवसर पर मीटर लगाने का प्रतिबन्ध न लगाया जाय तथा नये परमिटों की स्वीकृति मीटर लगाने की शर्त के साथ दी जाय। ऑटोरिक्शा वाहनों का संचालन मुख्य रूप से शहर सीमा के अन्तर्गत ही किया जाता है और वाहन स्वामियों द्वारा अधिक किराया लिये जाने की शिकायतें भी यदाकदा प्राप्त होती हैं। अतः प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि भविष्य में ऑटोरिक्शा वाहनों के नये परमिट किराये का मीटर लगाये जाने पर ही जारी किया जाय और इनके परमिटों में मीटर लगाये जाने की शर्त अंकित की जाय।”

उपरोक्त के पश्चात् प्राधिकरण की बैठक दिनांक 03.03.01 में संकल्प सं० 22 के अन्तर्गत ऑटोरिक्शा वाहनों में किराया मीटर लगाने के सम्बन्ध में दून ऑटोरिक्शा यूनियन एवं उत्तराखण्ड ऑटोरिक्शा एसोसिएशन के प्रतिवेदनों पर विचारोपरान्त ऑटोरिक्शा वाहनों में किराया मीटर लगाने हेतु 06 माह का समय दिया गया था तथा पुनः प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29.09.01 में संकल्प सं० 20 द्वारा 06 माह का समय दिनांक 31.03.02 तक दिया गया था। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.10.2002 के संकल्प सं० 39(2-अ,ब) के अन्तर्गत निर्णय लिया गया था कि ऑटोरिक्शा वाहनों में फेयर मीटर लगाने में छूट देने के सम्बन्ध में परिवहन सलाहकार समिति से आख्या मांगी जाए।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 03.11.03 के संकल्प सं० 18 द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि “ऑटोरिक्शा वाहनों में फेयर मीटर लगाये जाने के सम्बन्ध में एस०पी०(सिटी), ए०डी०एम० तथा सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) की समिति गठित की जाती है। इस समिति द्वारा वाहनों में फेयर मीटर लगाये जाने अथवा किराया निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध संस्तुति प्रस्तुत की जाएगी। समिति की आख्या प्राप्त होने पर प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में विचार किया जाएगा। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.11.04 के संकल्प सं० 32(2) में यह निर्णय लिया गया था कि फेयर मीटर के सम्बन्ध में आरटीए द्वारा गठित

समिति से आख्या प्राप्त की जाए तथा मामले को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।” परन्तु अभी तक प्राधिकरण द्वारा गठित समिति की आख्या प्राप्त नहीं हुई है।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण को अवगत करना है कि यदाकदा इस आषय की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं कि ऑटोरिक्सा वाहनों द्वारा निर्धारित से अधिक किराया वसूला जा रहा है। अतः प्राधिकरण ऑटोरिक्सा वाहनों में किराया मीटर लगाने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करे।

मद सं०-23 उत्तरकाशी षहरी क्षेत्र के अन्दर स्थानीय यातायात एवम् पर्यटकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ऑटोरिक्सा संचालन के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ने अपने पत्र सं० 189/पीए/ऑटो परमिट/2011 दिनांक 23.06.11 द्वारा अवगत कराया है कि, जनपद उत्तरकाशी के षहरी क्षेत्र के अन्दर दिनांक 22.04.11 को महिन्द्रा जियो ऑटोरिक्सा (4-व्हीलर) संचालन के लिए परीक्षण कराया गया था। परीक्षण के उपरान्त जन सुरक्षा की दृष्टि से महिन्द्रा जियो ऑटोरिक्सा (4-व्हीलर) को षहरी क्षेत्र में संचालन हेतु उपयुक्त पाया गया। उन्होंने अपने पत्र में यह कहा है कि, सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, द्वारा ऑटो के परमिट के सम्बन्ध में मांगी गयी आख्या पर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा 6 सदस्यीय समिति गठित की गयी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उत्तरकाशी के षहरी क्षेत्रों में स्थानीय यातायात एवं पर्यटकों की सुविधा एवं जनसुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए महिन्द्रा जियो ऑटो रिक्सा (4-व्हीलर) के संचालन हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है। परमिट के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही पूर्ण कर सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी के माध्यम से दिनांक 12.05.11 को सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून को महिन्द्रा जियो ऑटोरिक्सा (4-व्हीलर) हेतु 30 परमिट जारी करने की संस्तुति आख्या प्रेशित की जा चुकी है, किन्तु अभी तक अपेक्षित कार्यवाही लम्बित है।”

उत्तरकाशी नगर में ऑटोरिक्सा वाहन संचालित करने के सम्बन्ध में सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी को इस कार्यालय के पत्र सं० 3099/आरटीए/दस-7ए/2010 दिनांक 06-12-2010 द्वारा आख्या मांगी गयी थी:-

सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), उत्तरकाशी ने अपने पत्र सं० 72 /सा०प्रशा०/11 दिनांक 12-05-11 द्वारा सूचित किया है कि उनके निवेदन पर उत्तरकाशी नगर में ऑटो रिक्शा वाहन चलाये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, महोदया, द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारियों की 06 सदस्यों की समिति गठित की गयी थी। इस समिति में उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी **अध्यक्ष** एवं पुलिस उपाधीक्षक, उत्तरकाशी सदस्य, सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी सदस्य, जिला विकास प्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, उत्तरकाशी सदस्य, अधिषासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी सदस्य, तथा परियोजना समन्वयक भुवनेश्वरी महिला आश्रम, उत्तरकाशी, को **सदस्य** नामित किया गया था।

समिति ने जनपद उत्तरकाशी में नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत महिन्द्रा जियो ऑटोरिक्शा (4 व्हीलर) के संचालन के सम्बन्ध में अपनी आख्या निम्नानुसार प्रस्तुत की है।

- उत्तरकाशी नगर क्षेत्रान्तर्गत जिन मार्गों पर महिन्द्रा जियो आटोरिक्शा संचालित किये जाने हैं उन मार्गों की स्थिति एवं विवरण इस प्रकार है:-

- मार्ग नं०-1 बस अड्डे से एन०आई०एम० तक- 02 किमी - बस अड्डे से टैक्सी स्टैंड ज्ञानसू मोटर पुल जोषियाड़ा, श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम-प्लान कार्यालय, एन०आई०एम० रोड, विकास भवन(एन०आई०एम०)।
- मार्ग नं०-2 बस अड्डे से कुटेटी देवी मन्दिर- 2.5 किमी- बस अड्डा, भटवाड़ी रोड, कलक्ट्रेट, तिलोथ पुल, लम्बगांव रोड, कुटेटी देवी।
- मार्ग नं०-3 बस अड्डे से नेताला- 08 किमी- बस अड्डे से भटवाड़ी रोड, तेखला, गंगोरी, नेताला।
- मार्ग नं०-4 बस अड्डे से मातली- 08 किमी- बस अड्डा, ज्ञानसू टैक्सी स्टैंड, पल्ला, ज्ञानसू बड़ेथी चुंगी, बड़ेथी, मातली।
- मार्ग नं०-5 बस अड्डे से बड़ेथी वाया मनेरा- 03 किमी- बस अड्डा, जोषियाड़ा मोटर पुल, कॉण्टीनेण्टल कम्पनी, मनेरा स्टेडियम, केन्द्रीय विद्यालय, बायी पास बड़ेथी।

- वर्तमान में स्थानीय यातायात हेतु नगर क्षेत्रान्तर्गत नगरपालिका के दो वाहन यद्यपि संचालित हैं, परन्तु उपरोक्त प्रस्तावित मार्गों में से दो मार्ग बस अड्डा से नेताला व मातली राष्ट्रीय राजमार्ग में होने के कारण यातायात सुविधा उपलब्ध हो जाती है, परन्तु स्थानीय यातायात हेतु साधनों की कमी बनी रहती है।
- ऑटोरिक्शा परमिट अधिकतम 08 किमी अर्द्ध व्यास क्षेत्र के लिये जारी किये जाने हैं।
- उत्तरकाशी नगर घाटी में बसा होने के कारण अधिकतर भाग समतल है किन्तु ऑटो रिक्शा हेतु प्रस्तावित मार्गों में से एन0आई0एम0 व कुटेटी देवी 02 मार्ग उतार चढ़ाव के हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्रस्तावित मार्ग मैदान मार्गों की भांति हैं। दिनांक 22-04-2011 को किये गये परीक्षण में उक्त मार्ग में ऑटोरिक्शा सफलता पूर्वक संचालित किया जा चुका है।
- प्रस्तावित महिन्द्रा जियो ऑटो रिक्शा मार्ग ऑटो रिक्शा चलाये जाने के सम्बन्ध में सहायक सम्भागीय निरीक्षक (तकनीकी) उत्तरकाशी द्वारा तकनीकी निरीक्षण किया गया है निरीक्षण आख्या में उल्लेख किया गया है कि उक्त महिन्द्रा 4-व्हीलर (6+1) सवारी के संचालन हेतु पर्यटकों की सुविधा हेतु संचालित किया जाना जन सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त है।
- ऑटो रिक्शा वाहन संचालन पर्यटकों/आम यात्रियों के सुविधा की दृष्टिगत मुख्य मार्ग से संचालन कराया जाना उचित होगा। इसके लिये यद्यपि नगर पालिका द्वारा 10 ऑटो रिक्शा पार्किंग हेतु नगरपालिका वार्ड सं0-1 सुरंग के समीप ताम्बाखाणी में पर्याप्त खाली स्थान उपलब्ध न होने के कारण प्रस्तावित आटो रिक्शा स्टेण्ड हेतु भटवाड़ी मार्ग पर जल संस्थान के सामने 05 आटो रिक्शा के लिये स्टेण्ड किये जाने और पेश सुरंग के समीप ताम्बाखाणी अथवा राम लीला मैदान के सामने जहां पर विद्युत विभाग का सब स्टेसन है के समीप खाली स्थान पर खड़े किये जा सकते हैं।
- नगर में यातायात की आवश्यकता की पूर्ति हेतु वर्तमान में अधिकतम 30 ऑटो रिक्शा की आवश्यकता प्रतीत होती है।

जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ने आयुक्त/अध्यक्ष महोदय को सम्बोधित तथा सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून व अन्य को पृष्ठांकित अपने पत्र सं0-189/टी.ए.-आटो परमिट/2011 दिनांक 23.06.11 द्वारा

अनुरोध किया है कि, उत्तरकाशी षहरी क्षेत्र के अन्दर स्थानीय यातायात एवम् पर्यटकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए आटोरिक्सा संचालन हेतु 30 परमितों की स्वीकृति प्रदान करने का कश्ट करें।

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि, जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा गठित समिति ने उत्तरकाशी नगर में महिन्द्रा चार पहिये वाली, सात सीटर वाहन को संचालित करने की संस्तुति की गई है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0-24 हरिद्वार केन्द्र के ऑटो रिक्सा परमितों का मार्ग 16 किमी के स्थान पर 25 किमी करने के सम्बन्ध में श्री विजय अग्रवाल अध्यक्ष, मालिक एवं चालक कल्याण समिति, रेलवे स्टेसन पंचपुरी, हरिद्वार के पत्र दिनांक-14-12-09 तथा ऑटो रिक्सा विक्रम एसोसिएशन, ललतारौपुल, रेलवे रोड, हरिद्वार के पत्र दिनांक 18-10-10 पर विचार व आदेश।

अ- उपरोक्त प्रतिवेदनों में यह कहा गया है कि हरिद्वार नगर का क्षेत्रफल काफी विस्तृत हो गया है। सिडकुल व स्वामी रामदेव जी का पतंजली योगपीठ हरिद्वार षहर से लगभग 20 किमी दूरी पर स्थित हैं। ऑटो रिक्सा वाहनों को हरिद्वार से केवल 16 किमी परिधि में चलने का परमित होने के कारण वे यात्रियों को पतंजली योगपीठ तक उपचार हेतु नहीं ले जा सकते हैं, जिससे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन प्रतिवेदनों में यह भी कहा गया है कि ऋषिकेश केन्द्र से जारी ऑटो रिक्सा वाहनों का क्षेत्र 16 किमी अर्द्धव्यास से बढ़ाकर 25 किमी कर दिया गया है इसलिए हरिद्वार केन्द्र से जारी ऑटोरिक्सा परमितों का मार्ग भी 25 किमी अर्द्धव्यास कर दिया जाय।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक-12-11-09 में संकल्प संख्या-31 द्वारा ऋषिकेश केन्द्र के ऑटोरिक्सा परमितों का संचालन क्षेत्र 16 किमी से बढ़ाकर 25 किमी अर्द्धव्यास

(पर्वतीय मार्गों एवं पौड़ी संभाग के मार्गों को छोड़कर) किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। देहरादून केन्द्र से जारी ऑटोरिक्शा परमितों का मार्ग इससे पूर्व में ही 25 किमी अर्धव्यास कर दिया गया था। वर्तमान में हरिद्वार केन्द्र के 1835 तथा ऋशिकेश केन्द्र के 631 ऑटोरिक्शा परमित वैध है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

ब- श्री शिव कुमार शर्मा, संयोजक आटो रिक्शा विक्रम महासंघ, हरिद्वार के पत्र दिनांक 27.06.11 पर विचार व आदेश।

श्री शिव कुमार शर्मा ने अपने पत्र में हरिद्वार आटो रिक्शा विक्रम महासंघ की निम्नलिखित समस्याओं के सम्बन्ध में विचार व आदेश करने हेतु निवेदन किया है।

1. ऋशिकेश के आटोरिक्शा के परमित 25 किमी⁰ के लिये जारी किये गये हैं, परन्तु हरिद्वार के परमित 16 किमी⁰ के हैं। इनमें समानता लाने का कष्ट करें।
2. हरिद्वार में विक्रमों के परमित 40 किमी⁰ अर्धव्यास क्षेत्र के लिये जारी किये गये हैं, परन्तु इन पर संचालित वाहनों को मुनि की रेती एवं डोईवाला में संचालन प्रतिबन्धित किया गया है। ऋशिकेश केन्द्र के परमित 25 किमी⁰ अर्धव्यास के लिये जारी किये गये हैं, जो पूरे हरिद्वार क्षेत्र में घूम रहे हैं। हरिद्वार के परमितों पर प्रतिबन्ध समाप्त किया जाय अथवा ऋशिकेश के परमितों पर प्रतिबन्ध लगाकर एकरूपता लाई जाई।

उपरोक्त क्रम सं०-1 के सम्बन्ध में अवगत करना है कि, प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.09 में ऋशिकेश केन्द्र से जारी आटोरिक्शा परमितों का संचालन क्षेत्र 16 किमी⁰ से बढ़ाकर 25 किमी⁰ किया गया है। क्रम सं०-2 पर वर्णित बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत करना है कि, हरिद्वार केन्द्र के विक्रमों को 40 किमी⁰ अर्धव्यास क्षेत्र के परमित इस प्रतिबन्ध के साथ जारी किये गये हैं कि, इन वाहनों का संचालन मुनि की रेती

तथा डोईवाला क्षेत्र में प्रतिबन्धित रहेगा। ऋशिकेश केन्द्र के विक्रम टैम्पो परमिट केवल 25 किमी० अर्धव्यास क्षेत्र के लिये जारी किये गये हैं।

हरिद्वार के आटोरिक्शा वाहनों को 16 किमी० रेडियस के स्थान पर 25 किमी० रेडियस किये जाने के सम्बन्ध में सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन हरिद्वार से कार्यालय के पत्र सं० -3447/आरटीए/आटो/2010 दि० 01.06.11 द्वारा आख्या मांगी गई थी। इस पत्र की प्रतिलिपि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेशित की गई थी कि, इस सम्बन्ध में विभाग का मंतव्य देने का कष्ट करें। प्रभारी सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन हरिद्वार ने अपने पत्र सं०-87/प्रवर्तन-हरिद्वार/आटोरिक्शा/11 दिनांक 19.07.11 द्वारा सूचित किया है कि, पुलिस उपाधीक्षक यातायात हरिद्वार ने अवगत कराया है कि, हरिद्वार के आटोरिक्शा वाहनों को 16 किमी० रेडियस के स्थान पर 25 किमी० किये जाने पर जनपद हरिद्वार में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हरिद्वार केन्द्र के आटोरिक्शा वाहनों को 25 किमी० किये जाने पर इसका प्रभाव जनपद देहरादून पर पड़ेगा। इस सम्बन्ध में सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), हरिद्वार ने यह कहा है कि उनका मंतव्य भी उपरोक्तानुसार है। उन्होंने यह भी कहा है कि, इस सम्बन्ध में ऋशिकेश के स्थानीय प्रशासन का मंतव्य लिया जाना उचित प्रतीत होता है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि, 25 किमी० रेडियस करने पर हरिद्वार रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन से 25 किमी० रेडियस करने पर निम्नलिखित मार्ग आयेंगे।

1. हरिद्वार ऋशिकेश मार्ग- गुरुद्वारा मुनि की रेती जनपद टिहरी गढवाल।
2. हरिद्वार-रुडकी मार्ग- रुडकी इंजीनियरिंग कालेज
3. हरिद्वार-चिडियापुर मार्ग-वन विभाग लकडी डिपो
4. हरिद्वार-रोषनाबाद मार्ग-रोषनाबाद गांव
5. हरिद्वार-लक्सर मार्ग - श्री सीमेन्ट फ़ैक्ट्री
6. हरिद्वार-कलियर-रुडकी मार्ग-दौलतपुर

हरिद्वार केन्द्र के विक्रम टैम्पो वाहनों को लक्ष्मण झूला तक संचालन के सम्बन्ध में सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋशिकेश/हरिद्वार को ऋशिकेश से लक्ष्मण झूला मार्ग पर संचालन पर लगी रोक को हटाने के सम्बन्ध में आख्या देने हेतु कहा गया था। इसके अतिरिक्त उपजिलाधिकारी, ऋशिकेश तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी, ऋशिकेश से भी इस सम्बन्ध में अपना मंतव्य देने हेतु कहा गया था।

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रवर्तन) हरिद्वार ने अपने पत्र सं0-68/प्रवर्तन-हरिद्वार/आटो परमिट/11 दिनांक 23.06.11 द्वारा इस सम्बन्ध में आख्या प्रेषित की है कि, "इन वाहनों को लक्ष्मण झूला की ओर जाने की स्वीकृति का सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1998 के नियम 2(13) तथा उत्तराखण्ड कराधान सुधार नियमावली 2003 के अनुसार जनपद टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जनपद है तथा चन्द्रभागा नदी के पुल के उस ओर वाला समस्त मार्ग पर्वतीय है। इन वाहनो को संचालन की अनुमति देने से पूर्व सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा इन वाहनों पर इस प्रकार की शर्त किस आधार पर लगाई गई थी, का भी संज्ञान लेना आवश्यक है तथा तदनुसार 40 किमी0 क्षेत्रफल के लिये वाहनों का संचालन किया जाना उचित होगा।

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम एवं नियमावली, 2003 की तृतीय अनुसूची में दिए गए प्रावधान के अनुसार पर्वतीय मार्गों का तात्पर्य उन समस्त सड़कों से है जो पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चम्पावत, बागेश्वर, टिहरी गढ़वाल जिलों और देहरादून जिले की तहसील चकराता के भीतर पड़ते हैं और नैनीताल, उधम सिंह नगर और पौड़ी गढ़वाल जिले के वे भाग जो तराई (बेस ऑफ दी फुट हिल्स) के उत्तर में हैं और पूर्व में टनकपुर से सीधे काठगोदाम, रामनगर, कोटद्वार, होते हुए पश्चिम में लक्ष्मण झूला तक हैं और देहरादून नगर की नगर पालिका सीमा के बाहर की सभी सड़कें भी हैं जो मसूरी की ओर जाती हैं।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 30.03.95 के संकल्प सं0 26(1) द्वारा हरिद्वार केन्द्र से संचालित विक्रम टैम्पो परमिटों का मार्ग 25 किमी अर्द्धव्यास से बढ़ाकर 40 किमी किया गया था

तथा इस आषय की षर्त लगाई गयी थी कि वाहनों का संचालन मुनिकी रेती, लक्ष्मण झूला एवं डोईवाला क्षेत्र में नहीं किया जाएगा, जिससे कि यहां पर प्रदूषण तथा स्थान संकीर्णता की समस्या न हो। इसके पश्चात् इस प्रकरण को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.09.95 में मद सं0 05 के अन्तर्गत विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने इस बैठक में यह निर्णय लिया था कि इस संदर्भ में जिलाधिकारी, हरिद्वार और जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल से विस्तृत आख्या प्राप्त की जाए। इसके पश्चात् मामले को पुनः प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18.06.96 में मद सं0-07 व 08 द्वारा विचार व आदेश हेतु प्रेशित किया गया था। प्राधिकरण ने बैठक में जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल, अपर जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल, जिलाधिकारी, हरिद्वार, विक्रम टैम्पो महासंघ द्वारा प्रस्तुत विभिन्न संगठनों के प्रत्यावेदनों का अवलोकन करने के पश्चात् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया था कि हरिद्वार केन्द्र के विक्रम टैम्पो वाहनों को मुनिकी रेती और डोईवाला क्षेत्र में चलने की अनुमति देना सुरक्षा की दृष्टि से जनहित में नहीं है।

क्षेत्राधिकारी, ऋशिकेश ने अपने पत्र सं0-सीओआर-विविध/11 दिनांक 13.06.11 द्वारा सूचित किया है कि, ऋशिकेश क्षेत्र की सडकें संकुचित होने के कारण पूर्व से ही अधिक संख्या में संचालित हो रहे विक्रम वाहनों के कारण आये दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। अतः ऐसी स्थितियों में और अधिक विक्रम वाहनों को ऋशिकेश क्षेत्र में तथा ऋशिकेश से लक्ष्मण झूला की ओर इन वाहनों को संचालित करना किसी भी स्थिति में उचित नहीं होगा।

वर्तमान में हरिद्वार केन्द्र से 546 विक्रम टैम्पो परमिट तथा ऋशिकेश केन्द्र से 434 विक्रम टैम्पो परमिट जारी किये गये हैं।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0-25 राज्य सरकार द्वारा स्थापित चालक प्रषिक्षण संस्थान झाझरा में चालकों को रिफ़े़षर प्रषिक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड ने अपने पत्र सं०-2422/प्राविधिक/सात-1(1)/2005-11 दिनांक 26.07.11 द्वारा सूचित किया है कि, "राज्य सरकार द्वारा देहरादून में झाझरा नामक स्थान पर एक वृहद चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। उक्त संस्थान में चालकों के लिये सिमुलेटर्स/ड्राइविंग ट्रैक्स/वाहनों तथा हास्टल सुविधा उपलब्ध है। संस्थान के संचालन का कार्य मैसर्स मारुति सुजुकी इण्डिया लिमिटेड को दिया गया है। जिसके द्वारा गठित सोसाइटी में प्रमुख सचिव, परिवहन एवं आयुक्त, गढ़वाल मण्डल सदस्य नामित हैं।

राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से यह उचित होगा कि, सभी चालकों को संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कराया जाय। इसके अतिरिक्त पूर्व से लाइसेंस धारक चालकों को समय-समय पर संस्थान के माध्यम से दो दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना भी श्रेष्ठकर होगा। पत्र में उन्होंने कहा है कि, देहरादून नगर के व्यवसायिक वाहन चालकों हेतु संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने की अनिवार्यता पर विचार कर निर्णय लेने का कष्ट करें, इसके अतिरिक्त गढ़वाल मण्डल के राजकीय वाहन चालकों को भी संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें"।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं०-26 चार धाम यात्रा में संचालित होने वाले यात्री वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

उत्तराखण्ड राज्य में स्थित चारधाम-श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री तथा यमुनोत्री धामों के लिए प्रतिवर्ष माह मई से अक्टूबर/नवम्बर तक यात्रा चलती है। चारधाम यात्रा मुख्य रूप से हरिद्वार/ऋषिकेश से संचालित होती है। चारधाम यात्रा में गढ़वाल मण्डल के पर्वतीय मार्गों पर चलने वाली स्टैज कैरीज बसों के अतिरिक्त टेका बसों को भी लगाया जाता है जो पर्वतीय मार्गों पर चलने के लिए उपयुक्त होती हैं। चारधाम यात्रा में संचालित वाहनों को यात्रा मार्ग पर चैकिंग के दौरान वाहन के समस्त प्रपत्र न दिखाने पड़ें

इसलिए इन वाहनों को एक ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है इसमें वाहन के समस्त प्रपत्रों का विवरण अंकित होता है। ग्रीन कार्ड जारी करने से पूर्व वाहनों का तकनीकी निरीक्षण भी किया जाता है, ताकि पर्वतीय मार्गों पर वाहन सुविधाजनक यात्रा संचालित कर सके। ग्रीन कार्ड जारी करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि यात्रा मार्गों पर चैकिंग अधिकारियों को वाहन चालक प्रपत्रों के स्थान पर ग्रीन कार्ड दिखाएगा तथा मार्गों पर वाहनों तथा चैकिंग अधिकारियों को समय की बचत के साथ-साथ सुविधाजनक भी होगा।

चारधाम यात्रा 2011 की परिवहन व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में आयुक्त, गढ़वाल मण्डल की अध्यक्षता में आयोजित परिवहन कंपनियों की बैठक दिनांक 29-04-11 में यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी चारधाम यात्रा में जाने वाले सभी वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी किया जाएगा। चारधाम यात्रा-2011 पर जाने वाले स्थानीय वाहनों को ग्रीन कार्ड 31-08-2011 तक तथा अन्य राज्यों की वाहनों को जो अपने राज्य से यात्रियों को लाने के लिए एक वापसी यात्रा हेतु या 15 दिन के लिए ग्रीनकार्ड जारी किया जाएगा।

चूंकि चार धाम यात्रा प्रतिवर्ष संचालित होती है और वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी किये जाते हैं, परन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कोई षासनादेश निर्गत नहीं किया गया है। अतः प्राधिकरण षासन को ग्रीनकार्ड जारी करने के सम्बन्ध में षासनादेश निर्गत करने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त षासन का अनुरोध करने के सम्बन्ध में आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0-27 पर्वतीय मार्गों पर चलने वाले जनभार वाहनों की भार क्षमता में वृद्धि करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनांक 29, 30, 31 अगस्त 1988 के संकल्प सं0-13 द्वारा गढ़वाल मण्डल के पर्वतीय मार्गों पर चलने वाली वाहनों की भार क्षमता 75 कुन्तल से बढ़ाकर 90 कुन्तल स्वीकृत की गई थी। तब से अब तक लगभग 20-22 वर्ष के अंतराल में मार्गों की दशा में काफी सुधार हो गया है। परन्तु पर्वतीय क्षेत्र में संचालित भार वाहनों की भार क्षमता में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

अतः प्राधिकरण पर्वतीय मार्गों पर चलने वाली जनभार वाहन की भार बहन क्षमता में वृद्धि करने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं०-28 डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र के लिये जारी किये गये विक्रम टैम्पो परमितों का मार्ग विस्तार डोईवाला से आईएसबीटी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

श्री इरफाक अहमद, षिवलोक कालोनी, देहरादून ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि, डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र के लिये 60 विक्रम टैम्पो परमित जारी किये गये थे। इन वाहनों का संचालन डोईवाला से लच्छीवाला, डोईवाला से नेपाली फार्म तथा डोईवाला से नटराज चौक, ऋशिकेश तक किया जाना था, परन्तु डोईवाला केन्द्र में पूर्व से ही चल रहे विक्रम टैम्पो चालकों द्वारा उनकी वाहनों को चलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने अपने पत्र में यह भी कहा है कि, उन्होंने गाडियां प्राइवेट बैंकों से ऋण लेकर खरीदी हैं, परन्तु अब हम लोग अपनी गाडियां नहीं चला पा रहे हैं। श्री इरफाक अहमद का पत्र श्री नरेन्द्र पाल सिंह रावत, प्रदेश कार्यालय प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 19.09.11 द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। श्री इरफाक अहमद ने अपने पत्र के साथ 14 वाहनों की सूची प्रेशित की है तथा निवेदन किया है कि, इन वाहनों का मार्ग विस्तार डोईवाला से आईएसबीटी, देहरादून तक करने की कृपा करें।

उपरोक्त सम्बन्ध में अवगत करना है कि, प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.03.11 में डोईवाला केन्द्र से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 60 विक्रम टैम्पो परमित निम्न षर्तों के साथ स्वीकृत किये गये थे।

1. परमित से आच्छादित वाहन का संचालन डोईवाला में लच्छीवाला रेलवे पुल से आगे देहरादून षहर की ओर, ऋशिकेश मार्ग पर नटराज चौक से आगे तथा हरिद्वार मार्ग पर नेपाली फार्म से आगे नहीं किया जायेगा। वाहन का संचालन डोईवाला के ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जाएगा।

2. वाहनों का रंग हरा होगा तथा इन पर 05 इंच की सफेद पट्टी होगी जिसमें काले रंग से डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र अंकित होगा।
3. मार्ग पर संचालित वाहनों की मॉडल सीमा 10 वर्ष होगी तथा 10 वर्ष की आयुसीमा पूरी होने पर ऊँचे मॉडल की वाहन से प्रतिस्थापन किया जाएगा।

डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र के लिये जारी किये गये परमिटों पर संचालित वाहनों के संचालन में पूर्व से चालित विक्रम वाहनों के चालकों द्वारा अवरोध उत्पन्न किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाश चन्द्रा, हर्रावाला, देहरादून तथा अन्य के द्वारा भी शिकायत की गई है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0-29 चोयला-तुन्तोवाला-हरभजवाला से संचालित हल्के यात्री वाहन को षहर क्षेत्र (परेडग्राउण्ड) तक संचालित करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

समस्त क्षेत्रवासी ग्रा0 चोयला, तुन्तोवाला, हरभजवाला ने अपने पत्र दिनांक 17.06.11 द्वारा सूचित किया है कि जो टाटा मैजिक वाहन ग्रामीण क्षेत्र चोयला, तुन्तोवाला, हरभजवाला के लिए संचालित की हैं, उनसे क्षेत्रवासियों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहां पर भूतपूर्व सैनिकों एवं नौकरीपेषा परिवारों की जनसंख्या अधिक है, जिन्हें आय दिन जी0पी0ओ0 भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा एवं सैनिक कल्याण कार्यालय जाने के लिए षहर आना पड़ता है एवं छात्र-छात्राओं को स्कूल एवं कॉलेज जाने के लिए भी षहर आना पड़ता है, जिन्हें दो-दो वाहन बदलने पड़ते हैं।

चन्द्रबनी, चोयला, तुन्तोवाला, हरभजवाला यह सब ग्रामीण क्षेत्र है। यहां पर इन वाहनों के अलावा षहर जाने के लिए और कोई साधन नहीं है। अगर यहां पर कोई वृद्ध बीमार हो जाता है तो उन्हें दून चिकित्सालय या अन्य किसी निजी चिकित्सालय ले जाने के लिए भी दो-दो वाहन बदलने पड़ते हैं। अगर यहां की महिलायें एवं बच्चे षहर जाते हैं तब भी उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिससे

गन्तव्य तक पहुंचने में देरी होती है। यदि इन वाहनों का संचालन उपरोक्त गांव से लेकर परेडग्राउण्ड तक किया जाये तो स्कूल, कॉलेज एवं कार्यालय जाने वाले क्षेत्रवासियों को सीधे-सीधे लाभ होगा।

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून को मार्ग विस्तार के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कर अपनी आख्या प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून ने मार्ग का सर्वेक्षण कर अपनी आख्या पत्र सं0 5648/प्रवर्तन/मार्ग [सर्वेक्षण/2011](#) दिनांक 02-11-11 द्वारा प्रस्तुत की है जो निम्नवत् है:-

प्रणगत मार्ग का विस्तार आईएसबीटी से हरिद्वार बाई पास-पुलिस चौकी बाई पास होते हुए सरस्वती विहार-मातामंदिर-धर्मपुर-आराघर-सुभाश रोड से घंटाघर अथवा आईएसबीटी से षिमलाबाई पास रोड-मेहुवाला होते हुए सिंघनीवाला तक करने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया गया है। आईएसबीटी से षिमलाबाई पास रोड होते हुए मेहुवाला-सिंघनीवाला मार्ग पर वर्तमान में विकासनगर मार्ग की बसें, विक्रम वाहनें नियमित रूप से संचालित हो रही हैं। उक्त मार्ग पर पर्याप्त परिवहन सुविधा उपलब्ध है। अतः उक्त मार्ग पर नये मार्ग का विस्तार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

आईएसबीटी से हरिद्वार बाईपास, पुलिस चौकी, सरस्वती विहार, मातामंदिर होते हुए धर्मपुर, आराघर, सुभाश रोड से घंटाघर, हरभजवाला, तुन्तोवाला, चन्द्रबनी क्षेत्र की जनता के साथ भी सरस्वतीविहार, ओम विहार, माता मंदिर मार्ग क्षेत्र की जनता को षहर (घंटाघर) तक आने के लिए परिवहन सुविधा मिलेगी। इस हेतु हरभजवाला-तुन्तोवाला-चोयला-चन्द्रबनी-आईएसबीटी हल्का यात्री वाहन मार्ग का विस्तार आईएसबीटी से हरिद्वार बाईपास-माता मंदिर-धर्मपुर-आराघर होते हुए परेडग्राउण्ड किया जाना जन हित में उचित होगा। विस्तारित मार्ग की कुल लम्बाई लगभग 7.5 किमी है एवं विस्तार के पश्चात् मार्ग की लम्बाई 18.2 किमी के लगभग हो जाएगी। अतः हरभजवाला-तुन्तोवाला-चोयला-चन्द्रबनी-आईएसबीटी हल्का यात्री वाहन मार्ग का विस्तार आईएसबीटी से हरिद्वार बाईपास-मातामंदिर-धर्मपुर- आराघर होते हुए परेडग्राउण्ड तक किये जाने की संस्तुति की जाती है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त प्रकरण में विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0-30 देहरादून-प्रेमनगर-परवल मार्ग का विस्तार सिंगनीवाला तक किये जाने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

श्री खेम चन्द गुप्ता, जिला कोशाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी पछवादून द्वारा परिवहन मंत्री उत्तराखण्ड को सम्बोधित अपने प्रत्यावेदन दिनांक 16.08.10 में देहरादून-प्रेमनगर-परवल नगर बस को सिंगनीवाला तक चलाने तथा प्रेमनगर-आरकेडिया-अम्बीवाला- पिताम्बरपुर-षुक्लापुर के वासियों हेतु परिवहन व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है।

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन देहरादून ने अपने पत्र सं0-3522/प्रवर्तन/मार्ग [सर्वेक्षण/2011](#) दिनांक 09.06.11 के द्वारा मार्ग सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें प्रेमनगर से परवल तक दो ओर से मार्ग है। इसमें एक मार्ग प्रेमनगर से परवल होते हुए सिंगनीवाला है। इस मार्ग पर परवल-षिमला बाई पास तक वर्तमान में बसें संचालित है। दूसरा मार्ग प्रेमनगर से टी स्टेट होते हुए गोरखपुर चौक-बडोवाला गांव-षिमला बाई पास रोड-नयागांव होते हुए सिंगनीवाला तक है। उक्त मार्ग पर वर्तमान में परवल होते हुए षिमलाबाई पास तक बस सेवा संचालित है। ग्राम भुडडी-सिंगनीवाला-षिमला बाईपास आदि क्षेत्र के लोगों को वर्तमान में प्रेमनगर तथा देहरादून शहर में आने के लिये कोई सीधी परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है। उक्त क्षेत्र के लोगों को शहर में आने के लिये पैदल चलकर परवल-प्रेमनगर आना पडता है या आईएसबीटी के लिये बस-विक्रम पकडना पडता है, जिससे अधिक समय व व्यय लगता है। अतः जनहित में उक्त मार्ग का विस्तार सिंगनीवाला तक किया जाना उचित होगा। इससे बडोवाला-गोरखपुर-टी स्टेट क्षेत्र के लोगों के लिये सुविधा होगी। विस्तार किये जाने वाले मार्ग की कुल लम्बाई 6.5 किमी0 है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं०-31 पुरकुल गांव-मोथरोवाला नगर बस सेवा मार्ग का विस्तार दौडवाला-खटटापानी-फान्दुवाला-दूधली-जडोन्द तक करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

श्री अजय कुमार पुत्र स्व० श्री सुरेश कुमार ग्राम दूधली नागल, बुलन्दावाला, डोईवाला, देहरादून के जिलाधिकारी को सम्बोधित पत्र में अवगत कराया है कि, ग्राम दूधली के लिये सांय 3 बजे के बाद कोई सुविधा नहीं है, जिसके कारण इस क्षेत्र के छात्र एवम छात्राओं को स्कूल कालेज जाने, रोजगार के लिये जाने वाले युवाओं को बढी असुविधा होती है। रात्रि के समय यातायात की सुविधा न होने के कारण अनेक युवाओं को विवष होकर देहरादून षहर में किराये पर रहना पड रहा है।

उन्होंने छात्र छात्राओं तथा ग्राम वासियों के जनहित में बसों अथवा टाटा मैजिक द्वारा यातायात की सुविधा उपलब्ध करने की प्रार्थना की है। उक्त सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं०-2048/स०प०प्रा०/दस-152/10 दिनांक 25.09.10 के द्वारा मार्ग सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया था। सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन देहरादून ने अपने पत्र सं०-3522/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2011 दिनांक 09.06.11 द्वारा यह आख्या प्रस्तुत की है कि, मोथरोवाला-दूधली मार्ग दूधली से आगे जडोन्द तक पक्का है। मार्ग की लम्बाई मोथरोवाला से 11.7 किमी० के लगभग है। उक्त मार्ग पर मोथरोवाला, दौडवाला, खटटापानी, फान्दूवाला, दुधली एवमं जडोन्द गांव पडते हैं। उक्त मार्ग का विस्तार पुरकुल गांव-मोथरोवाला नगर बस सेवा के परमिटों में पृश्टांकन कर जडोन्द तक किया जाता है तो, इससे दौडवाला-खटटापानी-फान्दुवाला-दूधली व जडोन्द आदि क्षेत्र की जनता को परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं०-32(८) प्रेमनगर मार्ग की सिटी बसों का विस्तार झाझरा (चालक प्रषिक्षण संस्थान) तक करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड ने अपने पत्र सं० [2285/चालक/प्रषिक्षण/2011](#) दिनांक 12-07-11 द्वारा प्रमुख सचिव परिवहन की अध्यक्षता में दिनांक 13.04.11 को चालक प्रषिक्षण संस्थान, झाझरा के संचालन के संबंध में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर कार्यवृत्त के बिन्दु सं०-05 में झाझरा तक परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रेमनगर तक जाने वाली नगर बसों का मार्ग चालक प्रषिक्षण संस्थान तक बढ़ाने पर विचार हेतु प्रमुख सचिव महोदय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) देहरादून को इस कार्यालय के पत्र सं० 4872/आरटीए/दस-152/11 दिनांक 24.09.11 द्वारा मार्ग का सर्वेक्षण कर अपनी आख्या प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया कि प्रेमनगर से झाझरा तक बस सेवा उपलब्ध कराने हेतु किस मार्ग का विस्तार झाझरा तक करना उपयुक्त होगा।

सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून ने अपने पत्र सं० 5646/प्रवर्तन/मार्ग [सर्वेक्षण/11](#) दिनांक 02.11.11 द्वारा सर्वेक्षण आख्या निम्नवत् प्रस्तुत की है:-

- प्रेमनगर से चालक प्रषिक्षण संस्थान झाझरा की दूरी कारमैन स्कूल, ठाकुरपुर होते हुए लगभग 5.0 किमी है। चालक प्रषिक्षण संस्थान झाझरा तक जाने के लिए वर्तमान में ठाकुरपुर तक परेडग्राउण्ड-प्रेमनगर-परवल मार्ग की बसें संचालित हैं। किन्तु उक्त मार्ग पर बस सेवायें काफी अंतराल में संचालित हैं। ठाकुरपुर से चालक प्रषिक्षण संस्थान लगभग 1.0 किमी की दूरी पर है।
- इसके अतिरिक्त प्रेमनगर से डाकपत्थर-विकासनगर मार्ग के किमी 7.0 पर बालाजी धाम स्थित है, जहां से बांयी ओर चालक प्रषिक्षण संस्थान के लिए मार्ग निर्मित है। मुख्य मार्ग से संस्थान की दूरी लगभग 2.0 किमी है। इस प्रकार प्रेमनगर से डाकपत्थर मार्ग होते हुए बालाजी धाम

की दूरी लगभग 9.0 किमी है। उक्त मार्ग पर बालाजी धाम तक देहरादून-डाकपत्थर मार्ग की बसें तथा छोटी स्टेज कैरीज वाहनों संचालित हैं।

- उक्त क्षेत्र में चालक प्रशिक्षण संस्थान, जिला कारागार, आडवाणी इंस्टीट्यूट आदि संस्थान हैं। क्षेत्र में कोई सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है। अतः क्षेत्रीय जनता को परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु उचित होगा कि प्रेमनगर-सहसपुर मार्ग की छोटे स्टेज कैरीज वाहनों हेतु निर्मित मार्ग का विस्तार बालाजी धाम से चालक प्रशिक्षण संस्थान तक कर दिया जाय। विस्तार किये जाने वाले मार्ग की दूरी 2.0 किमी है।

प्रेमनगर तक प्रेमनगर-रायपुर (24 किमी), प्रेमनगर-परवल (21.5 किमी) तथा प्रेमनगर-गुलरघाटी (24 किमी) मार्ग की नगर बस संचालित होती हैं। अतः प्राधिकरण उपरोक्त मार्गों सहित सर्वेक्षण आख्या में दिए गए तथ्यों के दृष्टिगत मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

- (ख) जनपद देहरादून में ग्राम डोबरी-पंचायत-सोरना नवनिर्मित मार्ग को मुख्य मोटर मार्ग तक जोड़ने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

अधिषासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून ने अपने पत्र सं०-कैम्प-टी०एस०/१सी दिनांक 01.02.11 द्वारा नवनिर्मित मोटर मार्ग डोबरी-पंचायत-सोरना को मुख्य मोटर मार्ग पर जोड़ने हेतु अवगत कराया है।

उक्त संदर्भ में सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून ने अपने पत्र सं०-3522/प्रवर्तन/मार्ग [सर्वेक्षण/2011](#) दिनांक 09.06.11 द्वारा यह आख्या प्रेषित की है कि, यह मार्ग सहसपुर से छरबा, चॉदपुर होते हुए डोबरी होते हुए रुद्रपुर-सोरना मुख्य मार्ग पर मिलता है। डोबरी से मुख्य मार्ग तक नवनिर्मित मार्ग भाग की कुल लम्बाई लगभग 1.5 किमी० है। उक्त मार्ग पर सहसपुर से चॉदपुर तक कोटडा मार्ग की जीप प्रकार की छोटी स्टेज कैरीज वाहनों संचालित हैं। चॉदपुर से डोबरी होते हुए मुख्य

मार्ग सोरना तक मार्ग की कुल लम्बाई लगभग 3 किमी० है। अतः क्षेत्रीय जनता को परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु सहसपुर-कोटडा मार्ग का विस्तार सोरना-रुद्रपुर मुख्य मार्ग तक कर उक्त मार्ग का पृष्ठांकन परमिटों में किया जाना उचित होगा।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं०-33(८) परेड ग्राउन्ड से नेहरु कालोनी-नेहरुग्राम-मियांवाला चौक मार्ग के बीच चलने वाली वाहनों का मार्ग विस्तार मियांवाला चौक से नकरौंदा-सैन्य कालोनी-हरावाला तथा लोअर नेहरुग्राम, लोअर तुनवाला होते हुए मियांवाला तक करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

प्राधिकरण ने 7-8 सीटर हल्की वाहनों के संचालन हेतु एक मार्ग मियांवाला चौक-गुजरोवाली चौक-तुनवाला-रांझावाला-किददूवाला-नत्थनपुर-नेहरुग्राम- राजीव नगर-बलबीर रोड-ई०सी रोड होते हुए सर्वेचौक-परेड ग्राउन्ड निर्धारित किया गया है। वर्तमान में इस मार्ग पर 23 टाटा मैजिक वाहनों को स्थाई ठेका गाडी परमिट जारी किये गये हैं। क्षेत्र की जनता द्वारा इन वाहनों को वाया लोअर नेहरुग्राम, लोअर तुनवाला होकर चलाने तथा मियांवाला चौक से नकरौंदा-हरावाला तक चलाने के सम्बन्ध में प्रतिवेदन दिये गये थे। इस सम्बन्ध में सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन को मार्ग का सर्वेक्षण कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था। उन्होंने मार्ग का सर्वेक्षण करने के पश्चात अपने पत्र सं०-4660/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2011 दिनांक 02.09.11 द्वारा आख्या प्रेषित की है, जो निम्न प्रकार है-

- नकरौंदा मार्ग का पृश्ठांकन प्रेमनगर – गुलरधाटी मार्ग की नगर बसों के परमिटों में किया गया है। स्थानीय जनता के अनुसार मार्ग पर बसों का काफी समयान्तराल में संचालन होता है, जो कि स्थानीय जनता हेतु पर्याप्त नहीं है।
- बालावाला से नकरौंदा-सैन्यकालोनी-हर्रावाला की दूरी लगभग 2 किमी० है तथा मियांवाला से नकरौंदा होते हुए हर्रावाला मुख्य मार्ग तक की दूरी 4.6 किमी० है।
- नकरौंदा, सैन्य कालोनी क्षेत्र की जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु उचित होगा कि हल्के वाहनों हेतु निर्मित परेड ग्राउन्ड-ईसी रोड-नेहरू कालोनी-नेहरू ग्राम-तुनवाला-मियांवाला मार्ग का विस्तार नकरौंदा होते हुए हर्रावाला तक कर दिया जाय।
- विस्तार किये जाने वाले मार्ग की कुल दूरी लगभग 5.2 किमी० है। विस्तार के पश्चात मार्ग की कुल लम्बाई 20.7 किमी० होगी।
- नेहरूग्राम-षहीद अमरदीप सिंह चौक से तुनवाला लोअर होते हुए मियांवाला तक इस मार्ग की कुल दूरी 4.6 किमी० है। मार्ग पक्का है तथा जीप प्रकार की छोटी वाहनों के संचालन हेतु स्वीकृत है।
- उक्त मार्ग क्षेत्र में लगभग 10,000 आबादी निवास करती है।
- लोअर नेहरूग्राम-एसजीआरआर-लोअर नेहरूग्राम होते हुए तुनवाला तक यातायात का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।
- उक्त क्षेत्र की जनता को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु उचित होगा कि, परेड ग्राउन्ड-नेहरू कालोनी-नेहरूग्राम-मियांवाला हल्के वाहन का विस्तार कर मार्ग पर संचालित कुछ वाहनों का संचालन लोअर नेहरूग्राम-लोअर तुनवाला होते हुए मियांवाला तक किया जाय।

उन्होंने यह भी संस्तुति की है कि, हर्षावाला-नकरौदा तथा लोअर नेहरुग्राम-लोअर तुनवाला क्षेत्र की जनता को परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु उपरोक्तानुसार मार्ग का विस्तार कर हल्की वाहनों के 05 अतिरिक्त परमिट जारी किये जायें।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करना चाहें।

- (ख)- परेड ग्राउण्ड से नेहरु कालोनी-नेहरुग्राम-मियांवाला चौक मार्ग का विस्तार बालावाला होते हुए नकरौदा हर्षावाला तक एवं किद्दुवाला से रायपुर होते हुए तुनवाला-षमषेरगढ़-बालावाला तक करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

सहा0 सम्भागीय पविहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून ने अपने पत्र सं0 9068/प्रवर्तन/मार्ग [सर्वेक्षण/2011](#) दिनांक 12-09-11 द्वारा सूचित किया है कि परेडग्राउण्ड-नेहरुग्राम-तुनवाला-मियांवाला मार्ग का विस्तार बालावाला होते हुए नकरौदा-हर्षावाला तक करने के सम्बन्ध में संस्तुति की गयी है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि षमषेरगढ़ क्षेत्र की जनता को षहर से रायपुर-तुनवाला होते हुए रायपुर-मालदेवता मार्ग की बसों द्वारा परिवहन सुविधा प्रदान की जा रही है। क्षेत्र की जनता को रायपुर से षमषेरगढ़ तक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु परेडग्राउण्ड-नेहरुग्राम-मियांवाला मार्ग का विस्तार किद्दुवाला से रायपुर होते हुए तुनवाला-षमषेरगढ़ होते हुए बालावाला-मियांवाला तक कर दिया जाए तथा उक्त मार्ग की कुछ वाहनों का संचालन परेडग्राउण्ड से नेहरुग्राम-किद्दुवाला-रायपुर-तुनवाला -षमषेरगढ़ होते हुए मियांवाला तक तथा इसी प्रकार वापसी में किया जाए।

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून द्वारा उक्त मार्ग पर अतिरिक्त परमिट जारी करने की आवष्यक बताई है एवं उक्त मार्ग पर छोटी वाहनों के स्टेज कैरिज के 05 अतिरिक्त परमिट जारी करने की संस्तुति की है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

- (ख)- परेड ग्राउण्ड से नेहरु कालोनी-नेहरुग्राम-मियांवाला चौक मार्ग का विस्तार षहीद अमरदीप मार्ग-राजा की कोठी-षिवमंदिर लोवर नेहरुग्राम होते हुए एस0जी0आर0आर0 पब्लिक स्कूल लोवर तुनवाला तक करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून ने अपने पत्र सं0 9067/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2011 दिनांक 12-09-11 द्वारा सूचित किया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नेहरुग्राम से राजा की कोठी होते हुए षिवमंदिर तक मार्ग की दूरी लगभग 2 किमी है। उक्त मार्ग षंकरा एवं उबड़-खाबड़ है जो कि बसों के संचालन हेतु उपयुक्त नहीं होगा।

प्रज्ञगत मार्ग पर जनता को परिवहन सुविधा दिए जाने हेतु जीप प्रकार की छोटी वाहनों का संचालन उपयुक्त होगा। षहीद अमर दीप मार्ग राजा की कोठी षिवमंदिर लोवर नेहरुग्राम होते हुए एस0जी0आर0आर0 पब्लिक स्कूल-लोवर तुनवाला की जनता को परिवहन सुविधा दिए जाने हेतु परेडग्राउण्ड-नेहरुकालोनी-नेहरुग्राम-मियांवाला हल्के वाहन के मार्ग का विस्तार करने की संस्तुति की गयी।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

- मद सं0-34 सहसपुर-लक्ष्मीपुर-बुलाकीवाला-अम्बाडी-विकासनगर मार्ग पर हल्की छोटी जीप प्रकार की वाहनों के लिए स्टेज कैरीज मार्ग निर्मित करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत देहरादून द्वारा अपने पत्र सं०-82/1/जी०पा०/देहरादून दि० 27.08.11 के साथ आयोजित जिला पंचायत बोर्ड की बैठक दिनांक 05.03.11 की कार्यवाही संलग्न की गई है। अपर मुख्य अधिकारी ने बोर्ड की बैठक में जिला पंचायत सदस्यों द्वारा उठायी गयी अपने क्षेत्र की समस्याओं से इस कार्यालय को अवगत कराया गया है। मा० सदस्य श्री सुरज सिंह जी ने कहा है कि, देहरादून-कालसी रुट पर तो बसें चल रही हैं, किन्तु अम्बाडी-बुलाकीवाला-देहरादून बाईपास रोड पर बसें न चलने के कारण लोगों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। उक्त मार्ग पर भी बस सेवा प्रारम्भ की जाय”।

उक्त सम्बन्ध में सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन देहरादून ने अपने पत्र सं०-3521/प्रवर्तन/मार्ग [सर्वेक्षण/2011](#) दि० 09.06.11 द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट द्वारा निम्न आख्या प्रस्तुत की है-

उक्त मार्ग का दिनांक 01.06.11 को सर्वेक्षण किया गया। उक्त मार्ग पर सहसपुर से लक्ष्मीपुर होते हुए बरोटीवाला तक डाकपत्थर-विकासनगर मार्ग की बसें संचालित हैं। बरोटीवाला तक मार्ग की लम्बाई 6 किमी० है। उससे आगे बुलाकीवाला से अम्बाडी तक कोई परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस मार्ग पर जीतगढ-बुलाकीवाला-मेहुवाला खालसा-अम्बाडी आदि गांव पडते हैं। बरोटीवाला से अम्बाडी होते हुए विकासनगर की दूरी लगभग 11 किमी० है। सहसपुर से लक्ष्मीपुर होते हुए बुलाकीवाला-अम्बाडी से विकासनगर तक मार्ग की कुल दूरी 17 किमी० है। मार्ग पर परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु उचित होगा कि, मार्ग पर छोटी जीप प्रकार की वाहनों के संचालन हेतु परमिट जारी किये जायें। इस हेतु 08 परमिट जारी करने की संस्तुति की जाती है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मार्ग को हल्की वाहनों के संचालन हेतु स्टैज कैरेज मार्ग के रूप में थ्वतउनसंजपवद करने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं०-35 राजपुर रोड पर यूपीएफसी कार्यालय से पुलिस कालोनी तक नवनिर्मित मार्ग पर बस सेवा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त मार्ग पर बस सेवा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं०-2029/आरटीए/दस-152/2010 दिनांक 17.02.11 के द्वारा सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन देहरादून से आख्या मांगी गई थी। उन्होंने मार्ग का सर्वेक्षण कर अपने पत्र सं०-3032/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2011 दिनांक 03.05.11 के द्वारा अपनी आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की है-

1. यह मार्ग ग्रेट वैल्यू होटल(यूपीएफसी) से होते हुए कैनाल रोड-किशनपुर-पुलिस कालोनी होते हुए मसूरी-सहस्त्रधारा बाईपास पर मिलता है, मार्ग की सहस्त्रधारा बाईपास तक कुल लम्बाई 5.3 किमी० है।
2. मार्ग का 3.5 किमी० पक्का है, तथा उससे आगे 1.8 किमी० मार्ग भाग कच्चा है।
3. मार्ग पर 3.5 किमी० एक मार्ग सहस्त्रधारा रोड के लिये निकलता है, जहाँ तक कि मार्ग पक्का है तथा बसों के संचालन हेतु उपयुक्त है।
4. उक्त मार्ग का राजपुर-क्लेमेन्टाउन नगर बस मार्ग में पृष्ठांकन किया जाना उचित होगा।
5. मार्ग का कच्चा मानचित्र संलग्न है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं०-36 टिहरी तथा उत्तरकाशी जनपदों में नवनिर्मित मोटर मार्गों तथा हल्के वाहन मार्गों को यातायात के लिए खोलने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

जनपद टिहरी के नवनिर्मित मार्ग:-

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रषासन), नई टिहरी ने अपने पत्र सं० 538/रोड सर्वे/2010 दिनांक 02-02-11 द्वारा सूचित किया है कि क्रम सं० 01 एवं 02 मोटर मार्ग का सर्वेक्षण दिनांक 11-01-11 को सहा० अभियन्ता श्री निर्भय सिंह तथा क्रम सं० 03 एवं 04 मार्ग का सर्वेक्षण दिनांक 13-01-11 को सहा० अभियन्ता श्री प्रवीण कुमार, सिंचाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी के साथ किया गया। निम्नलिखित मार्ग हल्की एवं भारी वाहनों के संचालित करने हेतु उचित पाये गये हैं:-

- | | |
|---|-------------|
| 1-जगैठी-राजराजेश्वरी मोटर मार्ग | -01 किमी। |
| 2-गजा नकोट मोटर मार्ग से फेबुल मोटर मार्ग | -1.10 किमी। |
| 3-मदननेगी-खौला मोटर मार्ग | -07 किमी। |
| 4-पीटी रोड से नेल्डा मोटर मार्ग | -03 किमी। |

सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी, नई टिहरी ने अपने पत्र सं० 517/रोड सर्वे/2011 द्वारा सूचित किया है कि निम्नलिखित मार्ग का सर्वेक्षण उनके द्वारा लोक निर्माण विभाग चम्बा के श्री राजेश कुमार कनिष्ठ अभियन्ता के साथ दिनांक 16-02-11 को किया गया है। यह मार्ग आरम्भ से 2.5 किमी तक हल्के वाहन के संचालन हेतु उपयुक्त पाया गया। अतः निम्नलिखित मार्ग को हल्के मोटर मार्ग के रूप में संचालन की संस्तुति की जाती है-

- 5-कांधला बैण्ड-महेड़ा-कटखेत हल्का मोटर मार्ग।- 2.5 किमी।**

सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने अपने पत्र सं० 531/रोड सर्वे/2011 दिनांक 17-03-11 द्वारा सूचित किया है कि उनके द्वारा निम्नलिखित मार्ग का सर्वेक्षण लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्र नगर के श्री महक सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता के साथ दिनांक 05-03-11 को किया गया है। यह मार्ग आरम्भ से 700 मीटर तक हल्के तथा भारी दोनों प्रकार के वाहनों हेतु तथा 700 मीटर से 01 किमी तक केवल हल्के वाहन के संचालन हेतु उपयुक्त पाया गया है। अतः निम्नलिखित मार्ग पर यातायात संचालन की संस्तुति की जाती है।

6-खाड़ी-गजा-आमपाटा मोटर मार्ग -1.0 किमी।

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, नई टिहरी ने अपने पत्र सं0 532/रोड सर्वे/2011 दिनांक 07-03-11 द्वारा सूचित किया है कि निम्नलिखित मार्गों का संयुक्त सर्वेक्षण उनके द्वारा लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्र नगर के श्री एस0एस0 पटवाल, सहा0 अभियन्ता के साथ दिनांक 05-03-11 का किया गया था। यह मार्ग हल्के तथा भारी वाहन के संचालन उपयुक्त पाये गये। अतः उक्त मार्गों यातायात संचालन की संस्तुति की जाती है।

7-दिऊली-कुंजापुरी मोटर मार्ग -2.80 किमी।

8-दुआधार-बनाली-पिल्डी-चमोल गांव मोटर मार्ग -1.90 किमी।

9-कांडा खेत-पीटीसी मोटर मार्ग-3.25 किमी।

10-दुआधार-बनाली-कोटी-पिल्डी मोटर मार्ग -2.2 किमी।

11-फकोट-समेटी-काटल मोटर मार्ग -2.0 किमी।

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, नई टिहरी ने अपने पत्र सं0 21/रोड सर्वे/2011 दिनांक 08-04-11 द्वारा सूचित किया है कि निम्नलिखित मार्ग का सर्वेक्षण लोक निर्माण विभाग, घनसाली के श्री आर0एस0 पंवार, सहा0 अभियन्ता व श्री एस0एस0 सैनी कनिश्ठ अभियन्ता के साथ दिनांक 07-04-11 को किया गया। उक्त मार्ग 01 किमी से 12 किमी तक हल्के तथा भारी दोंनो प्रकार के वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त पाया गया। अतः उक्त मार्ग पर यातायात संचालन की संस्तुति की जाती है। इस मार्ग स्वीकृत होने स्रास, चेबाड़ा, दनघर, बहेड़ी, रयूटी, रवाना, कोटियाड़ा, चकचौड़, कौंती, बनगांव, नोली, करेत आदि गांव यातायात से लाभान्वित होंगे।

12-सैंदुल-कोटी मोटर मार्ग -12 किमी।

सहा0 सम्भागीय पविहन अधिकारी, नई टिहरी ने अपने पत्र सं0 85/रोड सर्वे/2011 दिनांक 20-05-11 द्वारा सूचित किया है कि निम्नलिखित मार्ग का सर्वेक्षण उनके द्वारा सहा0 अभियन्ता श्री सत्य प्रकाश, लोक निर्माण विभाग घनसाली के साथ दिनांक 16-05-11 को संयुक्त रूप से किया गया यह मार्ग सभी प्रकार के वाहनों के यातायात हेतु उपयुक्त पाया गया। अतः इस मोटर मार्ग पर वाहन संचालन हेतु संस्तुति की जाती है।

13-नई टिहरी मार्ग से हनुमान मंदिर, घनसाली-चमियाला बाईपास मार्ग -600 मी0।

सहा0 सम्भागीय पविहन अधिकारी, नई टिहरी ने अपने पत्र सं0 140/रोड सर्वे/2011 दिनांक 08-06-11 द्वारा सूचित किया है कि निम्नलिखित मार्ग का सर्वेक्षण उनके द्वारा श्री अरविन्द कुमार सहा0 अभियन्ता लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के साथ संयुक्त रूप से किया गया। उक्त मार्ग सभी प्रकार के वाहनों के यातायात संचालन हेतु उपयुक्त पाया गया। अतः वाहन संचालन हेतु संस्तुति की जाती है।

14-ललत-सीवालीधार मोटर मार्ग -5.60 किमी।

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, नई टिहरी ने अपने पत्र सं0 177/रोड सर्वे/2011 दिनांक 30-06-11 द्वारा सूचित किया है कि क्रम सं0 15 पर उल्लिखित हिण्डोलाखाल-उनाना मोटर मार्ग 5.5 किमी का श्री अमित कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, नई टिहरी के साथ तथा क्रम सं0 16 तथा 17 पर उल्लिखित मार्गों का श्री हिमांशु नौटियाल, कनिष्ठ अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बोराड़ी के साथ दिनांक 27-06-11 को वाहन सं0 यूए07एच-5300 के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया उक्त तीनों मार्ग सभी प्रकार के वाहनों के यातायात संचालन हेतु उपयुक्त पाये गये। अतः इन मोटर मार्गों पर वाहन संचालन हेतु संस्तुति की जाती है।

15-हिण्डोलाखाल-उनाना मोटर मार्ग 5.5 किमी।

- 16-अंजनी सेंड-कुनाणु-कपरियाड़ी सेंड मोटर मार्ग -9.00 किमी से 16.3 किमी।
17-नवाकोट-जोगीयाणा-टिपरी-राधुधार मोटर मार्ग -2.6 किमी।

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, नई टिहरी ने अपने पत्र सं0 62/रोड सर्वे/2011 दिनांक 05-05-11 द्वारा सूचित किया है कि क्रम सं0 18 पर उल्लिखित बिच्छु-लिक मार्ग (1.9 किमी) का निरीक्षण दिनांक 04-05-11 को पीएमजीएसवाई के सहा0 अभियन्ता श्री देषराज सिंह के साथ किया गया जो कि कच्चा मार्ग है। क्रम सं0 19 पर उल्लिखित मार्ग परोगी-कांडी मोटर मार्ग (10 किमी) का सर्वेक्षण दिनांक 04-05-11 को लोक निर्माण विभाग थत्यूड के सहा0 अभियन्ता श्री पी0डी0एस0 लिंगवाल के साथ किया गया। यह मार्ग कच्चा है तथा प्रारम्भ बिन्दु से 05.00 किमी तक ही यातायात हेतु उपयुक्त है।

- 18-बिच्छु-लिक मार्ग -1.9 किमी।
19-परोगी-कांडी मार्ग -5.5 किमी।

अतः उपरोक्त बिच्छु-लिक मोटर मार्ग (1.9 किमी) एवं परोगी-कांडी मोटर मार्ग (प्रारम्भ से 05.00 किमी) सभी प्रकार के वाहनों के लिए यातायात संचालन हेतु उपयुक्त पाये गये। अतः उक्त मार्गों पर यातायात संचालन हेतु संस्तुति की जाती है।

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), नई टिहरी द्वारा अपने पत्र सं0 490/रोड सर्वे/2011 दिनांक 08.09.11 द्वारा सूचित किया है कि रामपुर-ष्यामपुर-बमाणा मोटर मार्ग 15.5 किमी का संयुक्त सर्वेक्षण सहा0 अभियन्ता श्री एस0एस0 रावत तथा तोली-गुजेठा मोटर मार्ग 8.7 किमी का संयुक्त सर्वेक्षण सहा0 अभियन्ता श्री अरविन्द कुमार, लोक निर्माण विभाग, कीर्तिनगर के साथ दिनांक 03.09.11 को किया गया है।

निम्नलिखित दोनों मार्ग की वर्तमान स्थिति के आधार पर केवल हल्के मोटर वाहनों के संचालन हेतु संस्तुति की जाती है।

20- रामपुर-ध्यामपुर बमाणा मोटर मार्ग (15.5 किमी)

21- तोली-गुजेठा मोटर मार्ग (8.7 किमी)

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), नई टिहरी द्वारा अपने पत्र सं0 619/रोड सर्वे/2011 दिनांक 19.10.11 द्वारा सूचित किया है कि मुल्यांगांव से पलेठी मोटर मार्ग 7.7 किमी का संयुक्त सर्वेक्षण श्री पियूश गर्ग सहा0 अभियन्ता पीएमजीएसवाई लोक निर्माण विभाग नरेन्द्रनगर के साथ वाहन सं0 यूए07एच-5300 से दिनांक 17.10.11 को किया गया। यह मार्ग कच्चा है तथा सभी प्रकार के वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त पाया गया। निम्नलिखित मार्ग को मोटर वाहन के रूप स्वीकृत करने की संस्तुति की गयी है।

22-मुल्यांगांव से पलेठी मोटर मार्ग 7.7 किमी।

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), नई टिहरी द्वारा अपने पत्र सं0 718/रोड सर्वे/2011 दिनांक 03.11.11 द्वारा सूचित किया है कि अलमस-भवान-नगुण मोटर मार्ग 15 से 46.85 (32.85) किमी का संयुक्त सर्वेक्षण श्री प्रकाश चंद पंत सहा0 अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, थत्यूड के साथ वाहन सं0 यूए07एच-5300 से दिनांक 02.11.11 को किया गया। इस मार्ग को मोटर मार्ग के रूप में स्वीकृत करने की संस्तुति की गयी है।

23-अलमस-भवान-नगुण मोटर मार्ग-15 से 46.85 की (32.85) किमी

जनपद उत्तरकाशी के नवनिर्मित मार्ग:-

1-नेहरू पर्वता रोहण संस्थान मार्ग- 2.65 किमी।

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), उत्तरकाशी ने अपने पत्र सं0 1247/प्रशासन-यातायात परमिट/11 दिनांक 08-03-11 द्वारा सूचित किया है कि नेहरू पर्वता रोहण संस्थान मार्ग का संयुक्त सर्वेक्षण श्री चन्द्र सिंह धर्मषक्तु, उपजिलाधिकारी, भटवाड़ी एवं श्री डी0सी0 नोटियाल, सहा0 अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी के साथ किया गया। यह मार्ग निर्धारित मानको के अन्तर्गत निर्मित है तथा 3.75 मी0 चौड़ाई में डामरीकृत है। मार्ग का निर्माण वर्ष 1970-75 में किया गया है। उक्त मार्ग का इंडैक्स प्लान संलग्न किया जा रहा है। अतः उक्त मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध कराने की संस्तुति की जाती है।

मद सं0-37 अत्यधिक तीव्र गति, क्षमता से अधिक यात्री, नषे की हालत में वाहन संचालन एवं दुर्व्यवहार करने एवं यातायात नियमों का पालन न करने की स्थिति में शिकायत एस0एम0एस0 द्वारा करने की शर्त परमिट की शर्तों में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में।

परिवहन आयुक्त महोदय, उत्तराखण्ड ने अपने पत्र सं0 3590/प्रवर्तन/निर्देश/2011 दिनांक 21 अक्टूबर, 2011 द्वारा सूचित किया है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था ने अपने पत्र संख्या डी0जी0 यातायात प्रकोश्ट-4/2010 दिनांक 21.09.11 द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य में बढ़ती दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए यदि बसों व टैक्सियों के अन्दर वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर व निम्नलिखित उक्ति अंकित करा दी जाती है तो अत्यधिक तीव्रगति, गाड़ी में निर्धारित संख्या से अधिक यात्री बैठाने, वाहन चालन के नषे या नींद में होने की स्थिति में पुलिस कन्ट्रोल रूम को सूचना प्राप्त होने की स्थिति में त्वरित कार्यवाही होने पर अवष्य ही मार्ग दुर्घटनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी।

“अत्यधिक तीव्र गति, क्षमता से अधिक यात्री, वाहन चालक के नषे या नींद में होने अथवा दुर्व्यवहार करने व यातायात नियमों का पालन न करने की स्थिति में अपनी शिकायत फोन नम्बर 100, 1090 पर अथवा टेलीफोन नं0 9411112780 पर एस0एम0एस0 करें।”

परिवहन आयुक्त महोदय ने निर्देश दिए हैं कि समस्त प्रकार की यात्री वाहनों बसों/मैक्सी/टैक्सी/ऑटोरिक्शा वाहनों पर उक्त उक्ति अनिवार्य रूप से अंकित कराये जाने के लिए त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही कराये।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त उक्ति को सभी प्रकार की यात्रीवाहनों में अंकित कराने के सम्बन्ध में वाहनों के परमिटों की शर्तों में जोड़ने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं०-38 श्रीमती रामवती सक्सेना के नाम पर हरिद्वार केन्द्र से जारी स्थाई आटोरिक्शा परमिट सं०-3277 को निरस्त करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

श्रीमती रामवती पत्नी श्री एच०सी० सक्सेना, नई बस्ती, बंगाली रोड, कनखल, हरिद्वार के नाम पर हरिद्वार केन्द्र से एक स्थाई आटोरिक्शा परमिट सं०-3277 दिनांक 27.05.97 से 26.05.02 तक वाहन सं०-यूपी१०-8162 के लिये जारी किया गया था। इसके पश्चात् परमिट धारक द्वारा दिनांक 30.03.2001 को उक्त परमिट निरस्त करा दिया गया था। दिनांक 07.04.01 को परमिट पर संचालित वाहन श्री विजय कुमार के नाम हस्तांतरित करा ली गयी थी। कार्यालय अभिलेखानुसार परमिट सं० ऑटो-3277 का नवीनीकरण दिनांक 26.05.12 तक वैध है तथा परमिट पर वाहन सं०-यूए०८जे-5895 प्रतिस्थापित कराई गयी है। परमिट धारक श्रीमती रामवती ने दिनांक 04.06.2009 में सूचित किया है कि, उक्त नवीनीकरण एवं वाहन का प्रतिस्थापन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा फर्जी प्रपत्रों के आधार पर कराया गया है। उनके आवेदन के आधार पर कार्यवाही करते हुए वाहन सं० यूए०८जे-5895 का संचालन दिनांक 28.09.2009 को बन्द कराते हुए वाहन थाना प्यामपुर में निरुद्ध की गयी है तथा परमिट की मूल प्रति जब्त की गयी है।

इस प्रकरण में थाना कोतवाली ज्वालापुर में दिनांक 07.03.2010 को श्री कृष्णा सिंह पुत्र श्री हरि सिंह द्वारा श्रीमती रामवती एवं श्री राजेश चौहान के नाम पर वाद सं०-72/10 धारा 467/468/471/410 दर्ज कराया गया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है।

इस सम्बन्ध में श्रीमती रामवती द्वारा मा0 लोकआयुक्त, उत्तराखण्ड के समक्ष एक परिवाद सं0-231/2010 दायर किया गया था। इस परिवाद का निस्तारण मा0 लोकआयुक्त के आदेश दिनांक 31.05.11 के द्वारा किया गया है। मा0 लोकआयुक्त ने अपने आदेश में उद्धरित किया है "श्रीमती रामवती का यह भी कहना है कि, न तो उनके द्वारा कोई परमिट नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया और ना ही परमिट नवीनीकरण होने के बाद उसका उपयोग उसके द्वारा किया गया है, बल्कि वह यह चाहती हैं कि, उनके द्वारा परमिट को समर्पित करने हेतु जो प्रार्थनापत्र दिया गया था, उसके आधार पर परमिट को निरस्त कर परमिट निरस्तीकरण का प्रमाण पत्र उसे दे दिया जाय।

अतः सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून से यह अपेक्षा की जाती है कि, वे इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें। इस आदेश के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है।"

अतः मा0 लोकआयुक्त महोदय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में उपरोक्त परमिट को निरस्त करने के सम्बन्ध में आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0-39(c) प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.10 में स्वीकृत ऑटोरिक्सा परमितों को फर्जी प्रपत्रों के आधार पर प्राप्त करने पर परमितों के विरुद्ध धारा-86 की कार्यवाही के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.2010 में संकल्प सं0-4(अनु0) के अन्तर्गत हरिद्वार व रुड़की केन्द्रों के लिए प्राप्त ऑटोरिक्सा परमितों हेतु प्राप्त सभी प्रार्थनापत्रों को निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया गया था:-

- 1-आवेदक स्थानीय निवासी हो, इस हेतु मतदाता परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 2-आवेदक बेरोज़गार हो।
- 3-आवेदक के पास पूर्व में निर्गत कोई परमिट न हो।
- 4-आवेदक के पास हल्का वाणिज्यिक मोटर वाहन चलाने का चालक लाईसेंस हो।
- 5-परमिट को परमिट धारक न्यूनतम 3 वर्षों तक किसी को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।
- 6-स्वीकृत परमिट दिनांक 31.08.2010 तक नई ऑटोरिक्षा वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर जारी किया जाएगा, तत्पश्चात् स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जाएगी।

निम्नलिखित प्रार्थियों द्वारा परमिट प्राप्त करते समय अन्य राज्यों व कार्यालयों द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक मोटर वाहन लाईसेंस प्रस्तुत किए गए थे, जिनके आधार पर इन आवेदकों को परमिट जारी कर दिए गए तथा आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए चालक लाईसेंसों के सत्यापन हेतु लाईसेंस जारी करने वाली लाईसेंसिंग अथॉरिटी से सत्यापन करने हेतु पत्र प्रेषित किए गए थे। संबंधित लाईसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा सूचित किया गया है कि निम्नलिखित आवेदकों के लाईसेंस उनके कार्यालय द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। इन आवेदकों द्वारा फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर परमिट प्राप्त करने पर इन परमिट धारकों को धारा 86 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये थे, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०सं 0	परमिट धारक का नाम एवं पता	परमिट संख्या	कार्यालय द्वारा लाईसेंसिंग अथॉरिटी को जारी सत्यापन पत्र सं० एवं दिनांक	मूल लाईसेंसिंग अथॉरिटी से प्राप्त आख्या	परमिट धारक को जारी किया गया नोटिस सं० व दिनांक	परमिट धारक के उत्तर प्राप्ति का दिनांक

1.	श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री बाबूराम, लाइन पटरी, मुरादाबाद।	ऑटो-80 53	1695/आरटीए/10 दिनांक 26.08.2010	मुरादाबाद, कार्यालय की आख्यानुसार लाईसेंस उनके कार्यालय से जारी नहीं किया गया है।	2180/2010 दिनांक 29.09. 10	—
2.	श्री अमित कुमार पुत्र श्री राम अवतर, लाईन पार मंझौला, मुरादाबाद।	ऑटो-80 30	1604/आरटीए/लाईसेंस सत्यापन/2010 दि० 26. 08.10	मुरादाबाद, कार्यालय की आख्यानुसार लाईसेंस उनके कार्यालय से जारी नहीं किया गया है।	2182/2010 दिनांक 29.09. 10	उत्तर प्राप्त हो गया दि० 09.12. 10
3.	श्री नरेन्द्र पुत्र श्री जयपाल, लाईन पार, मंझौला, मुरादाबाद।	ऑटो-80 28	1608/आरटीए/लाईसेंस सत्यापन/2010 दि० 26. 08.10	मुरादाबाद, कार्यालय की आख्यानुसार लाईसेंस उनके कार्यालय से जारी नहीं किया गया है।	2181/2010 दिनांक 29.09. 10	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
4.	श्री रूपक कुमार पुत्र श्री महेश चन्द, पटेलनगर, कटघर, मुरादाबाद।	ऑटो-80 27	1691/आरटीए/लाईसेंस सत्यापन/2010 दि० 30. 08.10	मुरादाबाद, कार्यालय की आख्यानुसार लाईसेंस उनके कार्यालय से जारी नहीं किया गया है।	2178/2010 दिनांक 29.09. 10	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
5.	श्री मुमताज पुत्र श्री अब्दुल सलाम, नजीबाबाद, बिजनौर।	ऑटो-80 29	1606/आरटीए/लाईसेंस सत्यापन/2010 दि० 26. 08.10	मुरादाबाद, कार्यालय की आख्यानुसार लाईसेंस उनके कार्यालय से जारी	2179/2010 दिनांक 29.09. 10	उत्तर प्राप्त हो गया दि० 09.12. 10

				नहीं किया गया है।		
6.	श्री इस्लामुद्दीन पुत्र श्री राषिद अहमद, महमूदपुर, नारायण कोतवाली, बिजनौर।	ऑटो-80 19	1593/आरटीए/लाईसेंस सत्यापन/2010 दि० 26.08.10	मुरादाबाद, कार्यालय की आख्यानसुसार लाईसेंस उनके कार्यालय से जारी नहीं किया गया है।	2185/2010 दिनांक 26.09. 10	उत्तर प्राप्त हो गया दि० 10.12.10
7.	श्री दौलत राम पुत्र श्री आर०के०सिंह, सिविल लाईन, मुरादाबाद।	ऑटो-79 95	1601/आरटीए/लाईसेंस सत्यापन/2010 दि० 26.08.10	मुरादाबाद, कार्यालय की आख्यानसुसार लाईसेंस उनके कार्यालय से जारी नहीं किया गया है।	2183/2010 दिनांक 29.09. 10	उत्तर प्राप्त हो गया दि० 04.12.10
8.	श्री फरहान पुत्र श्री छुम्मन, बी०एम०टी०सी०, मुरादाबाद।	ऑटो-78 51	1876/आरटीए/लाईसेंस सत्यापन/2010 दि० 15.09.10	मुरादाबाद, कार्यालय की आख्यानसुसार लाईसेंस उनके कार्यालय से जारी नहीं किया गया है।	2597/2010 दिनांक 20.10. 10	उत्तर प्राप्त हो गया दि० 30.10.10
9.	श्री सतेन्दर पुत्र श्री सन्तर पाल, 45, राजीव नगर, हरिद्वार।	ऑटो-80 77	1872/आरटीए/लाईसेंस सत्यापन/2010 दि० 15.09.10	मुरादाबाद, कार्यालय की आख्यानसुसार लाईसेंस उनके कार्यालय से जारी नहीं किया गया है।	2596/2010 दिनांक 18.10. 10	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
10	श्री मौ० यामीन पुत्र श्री अब्दुल समी, ग्रा० कीरतपुर, लाडपुर, नजीबाबाद,	ऑटो-80 95	/आरटीए/लाईसेंस सत्यापन/2010 दि० 30.08.10	मुरादाबाद, कार्यालय की आख्यानसुसार लाईसेंस उनके	2176/2010 दिनांक 29.09. 10	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ

	बिजनौर।			कार्यालय से जारी नहीं किया गया है।		
11.	श्री पिन्टो पुत्र श्री इलम चन्द्र, 52, राजीव नगर, ज्वालापुर, हरिद्वार।	ऑटो-80 69	1610/आरटीए/लाईसेंस सत्यापन/2010 दि० 26.08.10	मुरादाबाद, कार्यालय की आख्यानुसार लाईसेंस उनके कार्यालय से जारी नहीं किया गया है।	2271/2010 दिनांक 30.09. 10	उत्तर प्राप्त हो गया दि० 06.12.10
12.	श्री तासीन पुत्र श्री अख्तर, पीएमटीसी, मुरादाबाद।	ऑटो-79 52	1875/आरटीए/लाईसेंस सत्यापन/2010 दि० 15.09.10	मुरादाबाद, कार्यालय की आख्यानुसार लाईसेंस उनके कार्यालय से जारी नहीं किया गया है।	2595/2010 दिनांक 18.10. 10	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ

अतः प्राधिकरण उपरोक्त परमितों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करे।

- (ख) (अ)—श्री अजीत प्रताप सिंह, राष्ट्रीय सहारा, देहरादून ने विक्रम टैम्पो वाहनों के चालकों द्वारा निर्धारित से अधिक किराया लेने के सम्बन्ध में की गई शिकायत के सम्बन्ध में निम्नलिखित वाहन स्वामियों को जारी नोटिसों पर विचार व आदेश।

1— श्री प्रदीप सिंह सहगल के विक्रम टैम्पो परमिट सं०-2915 पर संचालित वाहन सं०-यूए07एस-5845 के विरुद्ध यह शिकायत की गई है कि, वाहन के चालक ने दर्शनलाल चौक से लालपुल तक की गई यात्रा के लिए रु० 06/- लिए गए जो निर्धारित से अधिक है। इस सम्बन्ध में परमिट धारक

को नोटिस संख्या-3004 दिनांक-25.11.2010 जारी किया गया था। इस नोटिस के उत्तर में परमिट धारक ने सूचित किया है कि मार्गों पर किमी के निषान नहीं लगे हैं। किमी का सही मूल्यांकन नहीं कर पाने की वजह से किराया लेने में गलती हुई है, जिसके लिये वे क्षमा चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे।

2- श्री सतेन्द्र सिंह रावत के विक्रम टैम्पों परमिट सं०-3787 पर संचालित वाहन सं०-यूके07टीए-3638 के विरुद्ध यह शिकायत की गई है कि वाहन के चालक ने एस्लेहॉल से आरटीओ ऑफिस तक की गई यात्रा के लिए रु० 04/- लिए गए जो निर्धारित से अधिक है। इस सम्बन्ध में परमिट धारक को नोटिस संख्या-2998 दिनांक-25.11.2010 जारी किया गया था। इस नोटिस के उत्तर में परमिट धारक ने यह सूचित किया है कि मार्गों पर किमी के निषान नहीं लगे हैं। किमी का सही मूल्यांकन नहीं कर पाने की वजह से किराया लेने में गलती हुई है, जिसके लिये वे क्षमा चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे।

3- श्री मौ० इस्लाम के विक्रम टैम्पों परमिट सं०-3851 पर संचालित वाहन सं०-यूके07टीए-0614 के विरुद्ध यह शिकायत की गई है कि वाहन के चालक ने मण्डी से लालपुल द्रोण तक की गई यात्रा के लिए रु० 04/- लिए गए जो निर्धारित से अधिक है। इस सम्बन्ध में परमिट धारक को नोटिस संख्या-2997 दिनांक-25.11.2010 जारी किया गया था। परन्तु उत्तर अप्राप्त है।

4- श्री धरम सिंह के विक्रम टैम्पों परमिट सं०-3397 पर संचालित वाहन सं०-यूए07टी-6024 के विरुद्ध यह शिकायत की गई है कि वाहन के चालक ने आरटीओ से एस्लेहॉल तक की गई यात्रा के लिए रु० 04/- लिए गए जो निर्धारित से अधिक है। इस सम्बन्ध में परमिट धारक को नोटिस संख्या-2992 दिनांक-25.11.2010 जारी किया गया था। इस नोटिस के उत्तर में परमिट धारक ने सूचित किया है कि शिकायत कर्ता से रु० 01/- अधिक किराया चालक द्वारा लिया गया है जिसके लिये वे क्षमा चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे।

5— श्री मौ0 रफी के विक्रम टैम्पों परमिट सं0—2976 पर संचालित वाहन सं0—यूके07टीए—0045 के विरुद्ध यह शिकायत की गई है कि वाहन के चालक ने रेलवे स्टेशन से कनक सिनेमा तक की गई यात्रा के लिए रु0 04/— लिए गए जो निर्धारित से अधिक है। इस सम्बन्ध में परमिट धारक को नोटिस संख्या—3005 दिनांक—25.11.2010 जारी किया गया था। इस नोटिस के उत्तर में परमिट धारक ने यह सूचित किया है कि चालक से पूछताछ करने पर उसने बताया कि शिकायत कर्ता से उन्होंने रु0 03/— किराया लिया था और सवारी से 10 रूपये का नोट लेकर रु0 07/— वापस किये थे, परन्तु सवारी के साथ यह विवाद हो गया था कि एक सिक्का 05 रूपये का तथा एक सिक्का 01 रूपये का दिया है। जबकि चालक ने सवारी को एक की जगह दो रूपये का सिक्का वापिस किया था। इस प्रकार चालक ने उक्त सवारी से केवल रु0 03/— किराया ही लिया है जो निर्धारित किराया है।

6— श्री रामेन्द्र सिंह के विक्रम टैम्पों परमिट सं0—2539 पर संचालित वाहन सं0—यूके07टीए—3851 के विरुद्ध यह शिकायत की गई है कि वाहन के चालक ने मण्डी से लालपुल तक की गई यात्रा के लिए रु0 04/— लिए गए जो निर्धारित से अधिक है। इस सम्बन्ध में परमिट धारक को नोटिस संख्या—2993 दिनांक—25.11.2010 जारी किया गया था। परन्तु उत्तर अप्राप्त है।

7— श्री राजेश कुमार के विक्रम टैम्पों परमिट सं0—478 पर संचालित वाहन सं0—यूके07टीए—0638 के विरुद्ध यह शिकायत की गई है कि वाहन के चालक ने रेलवे स्टेशन से लालपुल तक की गई यात्रा के लिए रु0 04/— लिए गए जो निर्धारित से अधिक है। इस सम्बन्ध में परमिट धारक को नोटिस संख्या—2995 दिनांक—25.11.2010 जारी किया गया था। इस नोटिस के उत्तर में परमिट धारक ने यह सूचित किया है कि मार्गों पर किमी के निषान नहीं लगे हैं। किमी का सही मूल्यांकन नहीं कर पाने की वजह से किराया लेने में गलती हुई है, जिसके वे क्षमा चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे।

8— श्री षहजाद अली के विक्रम टैम्पों परमिट सं0—2637 पर संचालित वाहन सं0—यूके07टीए—0840 के विरुद्ध यह शिकायत की गई है कि वाहन के चालक ने लालपुल से रेलवे स्टेशन तक की गई यात्रा के

लिए रु0 05/- लिए गए जो निर्धारित से अधिक है। इस सम्बन्ध में परमिट धारक को नोटिस संख्या-3006 दिनांक-25.11.2010 जारी किया गया था। इस नोटिस के उत्तर में परमिट धारक ने यह सूचित किया है कि चालक के पास खुले पैसे नहीं होने के कारण उसने रु0 01/- बाद में देने को कहा था।

9- श्री नरेन्द्र कुमार के विक्रम टैम्पों परमिट सं0-2953 पर संचालित वाहन सं0-यूके07टीए-2234 के विरुद्ध यह शिकायत की गई है कि वाहन के चालक ने दर्शनलाल चौक से मंडी तक की गई यात्रा के लिए रु0 6/- लिए गए जो निर्धारित से अधिक है। इस सम्बन्ध में परमिट धारक को नोटिस संख्या-3007 दिनांक-25.11.2010 जारी किया गया था। इस नोटिस के उत्तर में परमिट धारक ने यह सूचित किया है कि षासनादेश के अनुसार प्रति सवारी प्रति किमी 01 रुपया देय बनता है। सूची के अनुसार 05 किमी से अधिक है इस लिए श्री अजीत सिंह स्वयं रुपये-06/- किराया देकर चले गये इसमें चालक द्वारा कोई नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

10- श्री विनोद भाटिया के विक्रम टैम्पों परमिट सं0-2902 पर संचालित वाहन सं0-यूए07एम-3913 के विरुद्ध यह शिकायत की गई है कि वाहन के चालक ने मंडी से लालपुल तक की गई यात्रा के लिए रु0 04/- लिए गए जो निर्धारित से अधिक है। इस सम्बन्ध में परमिट धारक को नोटिस संख्या-3008 दिनांक-25.11.2010 जारी किया गया था। इस नोटिस के उत्तर में परमिट धारक ने यह सूचित किया है कि विक्रम टैम्पों वाहनों का किराया षासनादेश के अनुसार 06 रुपये प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है, जिससे वाहन चालक भ्रमित हैं और असमंजस की स्थिति होने के कारण चालक से किराया लेने में गलती हुई है, जिसके लिए वे क्षमा चाहते हैं।

11- श्री जसबिन्दर सिंह के विक्रम टैम्पों परमिट सं0-4039 पर संचालित वाहन सं0-यूके07टीए-0630 के विरुद्ध यह शिकायत की गई है कि वाहन के चालक ने मण्डी से लालपुल तक की गई यात्रा के लिए रु0 04/- लिए गए जो निर्धारित से अधिक है। इस सम्बन्ध में परमिट धारक को नोटिस संख्या-2994 दिनांक-25.11.2010 जारी किया गया था। इस नोटिस के उत्तर में परमिट धारक ने यह सूचित

किया है कि विक्रम टैम्पों वाहनों का किराया षासनादेश के अनुसार 06 रुपये प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है, जिससे वाहन चालक भ्रमित हैं और असमंजस की स्थिति होने के कारण चालक से किराया लेने में गलती हुई है, जिसके लिए वे क्षमा चाहते हैं।

12- श्री बॉबी कुमार के विक्रम टैम्पों परमिट सं०-2672 पर संचालित वाहन सं०-यूए07टी-3511 के विरुद्ध यह शिकायत की गई है कि वाहन के चालक ने रेलवे स्टेशन से द्रोण होटल तक की गई यात्रा के लिए रु० 04/- लिए गए जो निर्धारित से अधिक है। इस सम्बन्ध में परमिट धारक को नोटिस संख्या-2996 दिनांक-25.11.2010 जारी किया गया था। नोटिस अवितरित वापस आ गया है।

(ब) बसों के विरुद्ध की गयी निम्नलिखित शिकायतों के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

1- श्री कमल सिंह तोमर, अध्यक्ष, युवा कांग्रेस ब्लॉक कालसी, 52 एलआईजी क्वार्टर, एमडीडीए कालोनी, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 25.07.11 द्वारा सूचित किया है कि, दिनांक 16.07.11 को लगभग 11.30 बजे धण्टाधर से बल्लूपुर तक के लिये बस सं०-यूए07एफ-6285 में बैठा था। बल्लूपुर चौक पर वाहन से उतरते समय वाहन के चालक द्वारा वाहन को तेज गति से भगा दिया, जिससे मेरा सिर सामने पुस्ते से टकरा गया तथा रोड पर गिरने से मेरे दाहिने हिस्से में दर्द है एवम् सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा हूँ। उक्त के सन्दर्भ में इस कार्यालय के पत्र सं०-4390/आरटीए/पीएसटीपी 1783/10 दिनांक 18.08.11 के द्वारा वाहन स्वामी श्री राकेश अरोडा को धारा 86 की कार्यवाही हेतु नोटिस भेजा गया था। जिसका वाहन स्वामी के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

2- श्री रण सिंह, मकान नं० 130 लाईन जीवनगढ विकासनगर देहरादून द्वारा अपने पत्र दिनांक 12.04.11 द्वारा सूचित किया है कि, दिनांक 06.04.11 को वे अपने 03 सम्बन्धियों सहित जीवनगढ गत्ता फ़ैक्ट्री से छिबरो विधुतगृह तक जैन बस सर्विस विकासनगर की बस सं०-यूए07के-0186 में गये। इस बस में चालक श्री करण तथा परिचालक गोपी तैनात थे। परिचालक द्वारा मुझसे चार यात्रियों के जीवनगढ गत्ता फ़ैक्ट्री से

छिपरो पावर हाउस तक 25 रु0 प्रति यात्री के हिसाब रु0 100/- किराया वसूल किया गया। जब मैंने उचित किराया लेने के लिये कहा तो परिचालक अभद्र भाशा का प्रयोग करने लगा और रु 100/- का टिकट जारी कर दिया। जिस पर कोई नम्बर नहीं था, (टिकट संलग्न है) वापसी यात्रा में शिकायतकर्ता अपने साथियों के साथ बस सं0-यूके07ए-0012 में छिपरो से जीवनगढ गत्ता फैक्ट्री तक आया। जिसने ठीक किराया चार यात्रियों का 15 /- रु0 प्रति यात्री के हिसाब से रु0 60/- का टिकट काटा। (टिकट संलग्न है)

उपरोक्त विशयक के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं0-3169/आरटीए/पीएसटीपी 3633/11 दिनांक 21.05.11 के द्वारा वाहन सं0-यूए07के-0186 के स्वामी श्री बृज मोहन जैन को मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस के प्रतिउत्तर में वाहन स्वामी ने अपने पत्र द्वारा यह सूचित किया कि, उक्त वाहन दिनांक 06.04.11 को विकासनगर से त्यूनी के लिये प्रातः 9 बजे चली थी। शिकायतकर्ता अपने साथियों सहित गत्ता फैक्ट्री से बस में सवार हुये तथा परिचालक से विकासनगर से कोटी डैम तक का टिकट लिया तो परिचालक ने 25/-रु0 प्रति सवारी की दर से 100/-रु0 लिये व शिकायतकर्ता तथा उनके अन्य साथी कोटी डैम तक गये, किन्तु शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया कि, परिचालक द्वारा छिबरो डैम तक का किराया 25/- रु0 प्रति सवारी लिया गया, जो कि गलत है।

3- श्री गजपाल सिंह बिष्ट, सी 29 सेक्टर 1 डिफेन्स कालोनी देहरादून ने सूचित किया है कि, वाहन सं0-यूए07एम-3234 ने आईएसबीटी से रिस्पनापुल तक का किराया रु0 7/- लिये, जब टिकट मांगा तो वह कहने लगा कि टिकट नहीं है।

उपरोक्त शिकायत के सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र सं0-2820/आरटीए/पीएसटीपी2034/धारा 86/11 दिनांक 01.04.11 द्वारा मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत वाहन सं0-यूए07एम 3234 के स्वामी श्री दर्शन सिंह को नोटिस भेजा गया था, जिसके उत्तर में वाहन स्वामी द्वारा सूचित किया है

कि, चालक/परिचालक द्वारा जो गलती की गई है, उसके लिये मैं क्षमा चाहता हूँ। आगे भविष्य में ऐसी गलती नहीं होने का विष्वास दिलाता हूँ। मेरे द्वारा बस सं०-यूए07एम-3234 से चालक/परिचालक को हटा दिया गया है एवम् दूसरा स्टाफ रख दिया गया है।

4- श्री गजपाल सिंह बिष्ट, सी 29 सेक्टर 1 डिफेन्स कालोनी देहरादून ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि, दिनांक 09.03.11 को रिस्पना पुल से आईएसबीटी तक बस सं०-यूके07पीए-0277 ने दो सवारियों का किराया 14/- रु० लिया, इसी प्रकार मेरे बगल में बैठी श्रीमती सुनीता, जिन्हें रिस्पनापुल से पंडितवाडी जाना था, से भी 15/- रु० किराया लिया। जब सभी लोग आपत्ति करने लगे व टिकट मांगा तो, कन्डक्टर ने मुझे 3/- रु० तथा श्रीमती सुनीता को 2/- रु० वापिस किये, परन्तु अन्य किसी को भी लिया गया अधिक किराया वापिस नहीं किया गया।

उक्त संदर्भ में इस कार्यालय के पत्र सं०-2821/आरटीए/पीएसटीपी 1901/धारा 86/11 दिनांक 01.04.11 द्वारा वाहन स्वामी को मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत नोटिस भेजा गया। जिसका वाहन स्वामी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

5- श्री सचिन कुमार, ग्राम गुडरिच विकासनगर देहरादून ने अपने पत्र द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि, प्रार्थी ग्राम गुडरिच का निवासी है। हरबर्टपुर से एक हल्का वाहन मार्ग गुडरिच होते हुए मलूकावाला तक जाता है। जो कि केवल हल्की वाहनों के लिये है। जिसकी सडक चौड़ाई काफी कम है तथा मार्ग की स्थिति भी काफी खराब है। सडक पर बड़े-बड़े गढ्ढे हैं। उक्त मार्ग पर भारी वाहन संचालित होने से छोटे वाहनों साइकिल, पैदल चलने वाले को काफी परेषानी होती है व दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इस छोटे से मार्ग से वाहन सं०-यूके07पीए-0847 जो कि, क्यू0एच0 टॉल ब्रोस फैक्ट्री, लांधा रोड के कर्मचारियों को दिन में कई बार लाती-जाती रहती है। महोदय, उक्त मार्ग गांव के बीच से होकर गुजरता है व हल्की वाहनों के लिये है। भारी वाहनों के संचालन से दुर्घटना का खतरा बना रहता है तथा छोटे वाहनों, साइकिल, पैदल चलने वाले को काफी परेषानी होती है।

उक्त संदर्भ में इस कार्यालय के पत्र सं०-3664/आरटीए/सीसी-505/2011 दिनांक 28.06.11 द्वारा वाहन स्वामिनी श्रीती कामीन टण्डन को धारा-86 का नोटिस भेजा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में वाहन स्वामिनी ने सूचित किया है कि, प्रार्थिनी की वाहन कुल्हाल से डाकपत्थर उत्तराखण्ड जल विधुत निगम के कर्मचारियों के बच्चों को ले जाने व लाने हेतु ही संचालित हो रही है। उक्त शिकायत प्रार्थिनी के विरुद्ध झूठी की गई है। अतः शिकायत को निरस्त करने की कृपा करें।

6- श्री रविन्द्र प्रसाद खुगसाल, 74/1 पुराना राजपुर, देहरादून द्वारा अपने पत्र दिनांक 23.07.11 द्वारा शिकायत की है कि, "दिनांक 21.07.11 को मैं षंहषाही आश्रम बस स्टॉपेज से प्रातः 9.08 बजे नगर वाहन सं०-यूए07टी-6744 में बैठा व किषनपुर चुंगी का टिकट लिया। उक्त बस के परिचालक ने राजपुर आकर यात्रियों को स्थानान्तरित करने के पश्चात उक्त वाहन के कर्मचारी चाय नाश्ते के लिये चले गये तथा वाहन सं०-यूके07पीए-0268 राजपुर से देहरादून की ओर चलने लगी। कुछ ही क्षण पश्चात् वाहन सं०-यूके07पीए-0268 के परिचालक/सहायक ने प्रार्थी से टिकट की राशि मांगी तो मैंने उन्हें वाहन संख्या यूए07टी-6744 का टिकट दिखा दिया, टिकट देखने के पश्चात उक्त कर्मचारी कहने लगा कि, आप नीचे उतर जाओ व उसी वाहन में आओ, हम आपको नहीं ले जा सकते, क्योंकि 6744 के स्टाफ भी उनकी सवारी नहीं ले जाते हैं। मरे प्रतिक्रियावष विरोध करने पर वे मेरे साथ बदतमीजी से बात करने लगे, ऐसा करने पर मैंने उन्हें बस किषनपुर चैकपोस्ट पर ले जाने को कहा। किषनपुर पहुँच कर जब मैंने वहाँ मौजूद कर्मचारी से इस प्रकरण की मौखिक शिकायत की तो, उसने बताया कि, वाहन संख्या-यूके07पीए-0268 के कर्मचारियों की पहले भी शिकायत आ चुकी है। अतः आप इनकी लिखित शिकायत कीजिए"

उक्त संदर्भ में इस कार्यालय के पत्र सं०-4320/आरटीए/पीएसटीपी-1802/10 दिनांक 11.08.11 को वाहन स्वामी को धारा 86 के अन्तर्गत नोटिस भेजा गया था। इस नोटिस के उत्तर में वाहन स्वामी ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया कि, "उक्त वाहन के कर्मचारी से पूछताछ करने पर पता चला कि, यात्रियों की सुविधा के लिये आपस में यात्रियों को पिछली गाडी से आगे जाने वाली गाडियों में सवारी आदान-प्रदान

करने की व्यवस्था की गई है, लेकिन मेरी वाहन संख्या-यूके07पीए-0268 व षंहषाही आश्रम से आने वाली वाहन सं0-यूए07टी-6744 के कर्मचारी का आपसी मनमुटाव चल रहा था। इस कारण एक दूसरी वाहन की सवारी नहीं ले रहे थे। जिस कारण मेरी वाहन के कर्मचारी द्वारा शिकायतकर्ता से कहासुनी हुई। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि, "उक्त प्रकरण में दोशी वाहन के दोनों कर्मचारियों को हटा दिया गया है तथा भविश्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं की जायेगी तथा इसके लिये मैं व्यक्तिगत रूप से क्षमा चाहता हूँ"।

अतः प्राधिकरण शिकायतकर्ता तथा परमिट धारकों को सुनने के पश्चात् मामले पर आदेश पारित करने की कृपा करें।

(ख) श्री अतुल कुमार के स्थाई सवारी गाडी परमिट सं0-1874 पर संचालित बस सं0-यूके07पीए-0481 के विरुद्ध धारा-86 की कार्यवाही के सम्बन्ध में विचार व आदेश-

श्री अतुल कुमार पुत्र श्री शिव कुमार गुप्ता, 6 दर्षनी गेट, देहरादून के नाम पर देहरादून-डोईवाला मार्ग का स्थाई सवारी गाडी परमिट सं0-1874 दिनांक 30.08.07 से 29.08.12 तक वाहन सं0-यूके07पीए-0481 के लिये जारी किया गया था। इस परमिट पर संचालित वाहन सं0-यूके07पीए-0481 का चालान दिनांक 27.04.10 को परिवहन कर अधिकारी-प्रथम, उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय ऋशिकेश द्वारा निम्न अभियोगों में किया गया था तथा चालान को धारा-86 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु भेजा गया है।

1. वाहन की आर.सी., आर.पी., फिटनेस, प्रदूशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया।
2. वाहन का परमिट डोईवाला-देहरादून मार्ग का है और वाहन परमिट शर्तों के विपरीत देहरादून-हरिद्वार मार्ग पर लालतप्पड नामक स्थान पर संचालित पाया गया। वाहन में बिरला यामाहा फ़ैक्ट्री के कर्मचारी 30 की संख्या में बैठे पाये गये।

उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में परमिट धारक को धारा-86 के अन्तर्गत नोटिस भेजा गया था। जिसके संदर्भ में उन्होंने निवेदन किया है कि, उनकी वाहन के चालान को प्राधिकरण की बैठक में निस्तारण हेतु रखा जाय।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

(८) प्रेमनगर-गुलरघाटी नगर बस सेवा मार्ग की बसों का संचालन पूरे मार्ग पर नहीं होने के कारण मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत कार्यवाही पर विचार व आदेश।

प्रेमनगर-गुलरघाटी मार्ग का विस्तार प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20-11-04 में मियांवाला चौक से तुनवाला तथा हर्रावाला से नकरौंदा तक किया गया था। परन्तु कार्यालय द्वारा कई बार निर्देशित करने के पश्चात् भी परमिट धारको द्वारा उक्त विस्तारित मार्ग पर वाहनों का संचालन नहीं किया जा रहा है। क्षेत्रीय जनता व जन प्रतिनिधियों द्वारा भी संचालन नहीं किए जाने शिकायत की जा रही थी। इस सम्बन्ध में मार्ग के परमिट धारकों को धारा 86 के अन्तर्गत नोटिस जारी किए गए थे तथा एक सप्ताह के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था। परन्तु किसी भी परमिट धारक का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। जारी किए गए नोटिसों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	परमिट धारक का नाम	परमिट संख्या	वाहन संख्या	जारी नोटिस सं० व दिनांक
1.	श्री जसवीर सिंह	1284	यूए07एन-8977	3303 / आरटीए / पीएसटीपी-1284 / 2010,दि० 25-07-11
2.	सर्वश्री प्रदीव व केसर सिंह	1285	यूके07यू-2997	3301 / आरटीए / पीएसटीपी-1285 / 2010,दि० 25-07-11
3.	श्री यसबंत सिंह रावत	1288	यूपी07सी-8173	3295 / आरटीए / पीएसटीपी-1288 / 2010,दि० 25-07-11

4.	श्री कुंवर सिंह चौहान	1289	यूए07सी-9030	3294 / आरटीए / पीएसटीपी-1289 / 2010,दि0 25-07-11
5.	श्री केषर सिंह रावत	1291	यूके07यू-1456	3292 / आरटीए / पीएसटीपी-1291 / 2010,दि0 25-07-11
6.	श्री अरविन्द पाल	1292	यूए12ए-2036	3290 / आरटीए / पीएसटीपी-1292 / 2010,दि0 25-07-11
7.	श्री गजेन्द्र सिंह	1429	यूए07डी-6267	3307 / आरटीए / पीएसटीपी-1429 / 2010,दि0 25-07-11
8.	श्री अभिनव रावत	1504	यूए07सी-7931	3306 / आरटीए / पीएसटीपी-1504 / 2010,दि0 25-07-11
9.	श्री सोनू पाल	1525	यूए11-0566	3305 / आरटीए / पीएसटीपी-1525 / 2010,दि0 25-07-11
10.	श्री दर्शन लाल	1571	यूके07यू-30058	3304 / आरटीए / पीएसटीपी-1571 / 2010,दि0 25-07-11
11.	श्री अजीत सिंह पुण्डीर	1692	यूए07डी-0317	3297 / आरटीए / पीएसटीपी-1692 / 2010,दि0 25-07-11
12.	श्री राम चन्द्र सिंह	1694	यूए12-2451	3296 / आरटीए / पीएसटीपी-1694 / 2010,दि0 25-07-11
13.	श्री योगेन्द्र सिंह लिंगवाल	1695	यूए12-8401	3299 / आरटीए / पीएसटीपी-1695 / 2010,दि0 25-07-11
14.	श्रीमती सुमन रावत	1702	यूए07टी-7093	3302 / आरटीए / पीएसटीपी-1702 / 2010,दि0 25-07-11
15.	श्री देवेन्द्र कुमार मल्होत्रा	2129	यूके07पीए-0286	3300 / आरटीए / पीएसटीपी-1284 / 2010,दि0 25-07-11

16.	श्री सुभाश कुमार	2136	यूके07पीए-0882	3298 / आरटीए / पीएसटीपी-1284 / 2010, दि० 25-07-11
-----	------------------	------	----------------	--

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

(ट) विक्रम टैम्पो परमिटों के विरुद्ध मोटर गाडी अधिनियम, 1988 की धारा 86(घ) के अन्तर्गत कार्यवाही करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश-

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण सहारनपुर का गठन वर्ष 1998 में किया गया था। हरिद्वार जनपद इससे पूर्व देहरादून सम्भाग के अन्तर्गत था। वर्ष 1998 में इस जनपद को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण सहारनपुर में सम्मिलित किया गया था। हरिद्वार तथा रूड़की केन्द्रों से देहरादून कार्यालय द्वारा जारी परमिटों की पत्रावलियां सहारनपुर कार्यालय को हस्तान्तरित कर दी गई थी। वर्ष 2000 में उत्तराखण्ड राज्य का गठन होने के पश्चात् हरिद्वार जनपद पुनः सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून के अन्तर्गत आ गया है।

निम्नलिखित परमिट धारकों द्वारा अपने परमिट नवीनीकरण करने के प्रार्थना पत्रों के साथ सहारनपुर कार्यालय से जारी इस आशय के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये थे कि उनके परमिटों का नवीनीकरण 5 वर्षों के लिये सहारनपुर कार्यालय द्वारा कर दिया गया है। उन्होंने निवेदन किया था कि उनके परमिटों को आगामी 5 वर्ष के लिए नवीनीकरण कर दिया जाए। कार्यालय द्वारा इन परमिटों का नवीनीकरण प्रार्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों के आधार पर करने के पश्चात् सहारनपुर कार्यालय को परमिटों के नवीनीकरण का सत्यापन करने हेतु निवेदन किया गया था। सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण सहारनपुर ने अपने पत्र संख्या 184/आरटीए/2009 दिनांक 07.03.09 द्वारा सूचित किया है कि इन परमिटों का नवीनीकरण सहारनपुर कार्यालय द्वारा नहीं किया गया है।

सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, सहारनपुर द्वारा परमितों के नवीनीकरण की पुष्टि नहीं होने के पश्चात् कार्यालय द्वारा परमित धारको को धारा-86(घ) के अन्तर्गत नोटिस जारी किए गए हैं कि आप द्वारा प्रस्तुत अभिलेख संदिग्ध पाया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आपके द्वारा परमित कपट तथा दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया है। परमित धारकों को 15 दिन के अन्दर संदिग्ध दस्तावेज प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है। परमित धारकों तथा उनको जारी नोटिसों का विवरण निम्न प्रकार है :-

	परमित धारक का नाम	परमित सं० व वैधता	केन्द्र का	वाहन संख्या	नोटिस सं० व दिनांक
1.	श्री ध्याम सिंह पाल पुत्र श्री विशम्भर पाल, आईडीपीलएल, सिटी गेट गीता नगर, ऋषिकेश।	टैम्पो-1914 24.03.2009	रुड़की	यूके07-टीए-0814	1403, दि०-15-12-10
<p>परमित धारक ने अपने पत्र दिनांक 30-12-10 द्वारा सूचित किया है कि उक्त परमित उनके नाम पर दिनांक 10-09-08 में हस्तान्तरित हुआ है। यदि पूर्व परमित धारक द्वारा कोई अवैधानिक कार्य किया गया है तो मेरे परमित के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86(घ) के अन्तर्गत कार्यवाही करना उचित नहीं है। पूर्व में किया अवैधानिक कार्यवाही का शुल्क/षास्ति जमा करने को तैयार है।</p>					

2.	श्री जहांगीर पुत्र श्री ईनाम, 62 बापू ग्राम, ऋषिकेश।	टैम्पो-1931 07.06.2009	रूड़की	यूके08-टीए-0325	1404 दि0-15-12-10
----	--	---------------------------	--------	-----------------	----------------------

परमिट धारक ने अपने पत्र दिनांक 31-12-10 द्वारा सूचित किया है कि उक्त परमिट उनके नाम पर दिनांक 26-02-09 में हस्तान्तरित हुआ है। यदि पूर्व परमिट धारक द्वारा कोई अवैधानिक कार्य किया गया है तो मेरे परमिट के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86(घ) के अन्तर्गत कार्यवाही करना उचित नहीं है। पूर्व में किया अवैधानिक कार्यवाही का शुल्क/षास्ति जमा करने को तैयार है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले में विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

(ख) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत परमिट के निलम्बन/निरस्तीकरण पर विचार व आदेश।

1-पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल ने अपने पत्र सं0 आर-18(परमिट-3)/2010 दिनांक 20-12-10 द्वारा सूचित किया है कि दिनांक 15-12-10 को थाना घनसाली पुलिस द्वारा धुत्तू घनसाली मार्ग पर वाहन चैकिंग के दौरान बस संख्या यूपी07सी-7524 को चैक किया गया। बस में कुल 56 सवारी (14 सवारी छतपर) बैठाकर वाहन चलाते पाया गया। उन्होंने वाहन को जारी परमिट को निरस्त करने की संस्तुति की है।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उपरोक्त वाहन का परमिट सं0-3018, श्री मकान सिंह पुत्र श्री भूवन सिंह, आदर्ष ग्राम ऋषिकेश के नाम पर मार्ग सूची संख्या-एक के लिए जारी किया गया है जो दिनांक 19-09-12 तक वैध है। उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में परमिट धारक को कार्यालय के पत्र सं0-1505/धारा

86/10 दिनांक 28-12-10 द्वारा 15 दिन के अन्दर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था, परन्तु उनके द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(टप) श्री दिनेश सिंह की दुर्घटनाग्रस्त वाहन सं० यूए०९-५३९६ के स्थाई मैक्सी कैब परमिट सं०-१६४३ के विरुद्ध धारा-८६ के अन्तर्गत निरस्तीकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

श्री दिनेश सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह, 4/2 रायपुर रोड देहरादून के नाम पर स्थाई मैक्सी कैब परमिट सं०-१६४३ दिनांक 01.05.09 से 30.04.14 तक जारी किया गया था। इस परमिट पर वाहन सं०-यूए०९-५६९६, माडल-२००५ संचालित हो रही थी। सहा० परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड ने अपने पत्र सं०-८८५/टी०आर०/सात-३/५३/०९-०८/२०१०-११ दिनांक 16.03.11 द्वारा सूचित किया है कि, वाहन सं०-यूए०९-५६९६ दिनांक 08.07.10 को जाखणीधार-देवप्रयाग मोटर मार्ग पर जाखणीधार नामक स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। दुर्घटना की मजिस्ट्रीरियल जाँच में यह उल्लेख किया गया है कि, दुर्घटनाग्रस्त वाहन में स्वीकृत 10 के स्थान पर 12 यात्री धायल हुए हैं। उन्होंने पत्र में यह कहा है कि, परिवहन आयुक्त महोदय द्वारा वाहन में क्षमता से अधिक सवारियां परिवहन करने के लिये वाहन के परमिट के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त के सम्बन्ध में परमिट धारक को धारा-८६ के अन्तर्गत नोटिस सं०-२८१९/आरटीए/मैक्सी-१६४३/११ दिनांक 01.04.11 प्रेषित किया गया था। परमिट धारक ने सूचित किया है कि, दुर्घटना की तिथि 08.07.10 को वाहन श्री सुखपाल सिंह, नई बस्ती देहरादून के नाम पर पंजीकृत थी। श्री दिनेश सिंह ने उपरोक्त परमिट को निरस्त करने हेतु दिनांक 24.05.11 को कार्यालय में जमा करा दिया गया है।

(टप्प) हरिद्वार केन्द्र से जारी निम्नलिखित ऑटोरिक्सा परमितों के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत कार्यवाही पर विचार व आदेश।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12-11-09 तथा 26-06-10 में हरिद्वार केन्द्र से ऑटोरिक्शा परमितों हेतु प्राप्त समस्त प्रार्थनापत्रों को कुछ षर्तों के साथ स्वीकृत किया गया था। इन षर्तों में प्रमुख रूप से यह भी षर्त थी कि आवेदक बेरोजगार हो और आवेदक के पास पूर्व में निर्गत कोई परमिट न हो। प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में ऑटोरिक्शा परमिट जारी करते समय सभी आवेदकों ने इस आषय का षपथपत्र दिया था कि पूर्व में उनके नाम पर कोई परमिट जारी नहीं है। षपथपत्र के आधार पर आवेदकों को परमिट जारी किए गए थे।

भ्रष्टाचार समिति उत्तराखण्ड, हरिद्वार ने एक शिकायती पत्र प्रेशित करते हुए 15 वाहन स्वामियों की सूची उपलब्ध करायी है, जिसके द्वारा सूचित किया गया है कि इन आवेदकों के नाम पर पहले से परमिट थे और बाद में नये परमिट भी ले लिए गए हैं। शिकायती पत्र में इन वाहन स्वामियों के परमितों को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध 15 व्यक्तियों की सूची की जांच करने पर यह पाया गया कि 11 व्यक्तियों के नाम पर दो-दो वाहनों पंजीकृत हैं तथा परमिट जारी किए गए हैं। कार्यालय द्वारा वाहन स्वामियों को इस आषय का नोटिस भेजा गया था कि परमिट प्राप्त करते समय आपके द्वारा इस आषय का षपथपत्र प्रस्तुत किया गया था कि आपके पास पूर्व से कोई अन्य परमिट नहीं है, परन्तु कार्यालय अभिलेखानुसार यह पाया गया है कि आपके नाम पर एक और परमिट पूर्व में जारी किया गया था। इससे यह स्पष्ट है कि आपके द्वारा झूठा षपथपत्र प्रस्तुत कर आरटीए की नीति के विरुद्ध परमिट प्राप्त किया है। परमिट धारकों को निर्देशित किया गया था कि इस सम्बन्ध में वे अपना स्पष्टीकरण 20-02-11 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में प्रतिकूल निर्णय का दायित्व आपका होगा। परन्तु किसी भी परमिट धारक द्वारा नोटिस का उत्तर नहीं दिया गया है।

जिन वाहन स्वामियों द्वारा गलत षपथपत्र प्रस्तुत कर परमिट प्राप्त किए गए हैं उनके विवरण निम्न प्रकार हैं:-

क्र०	परमिट धारक का नाम	पूर्व में जारी परमिट	नया परमिट संख्या व	बैठक की तिथि	नोटिस सं० तथा
------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------	---------------

सं०		सं० व वाहन सं०	वाहन संख्या	जिसमें परमिट स्वीकृत किया गया	दिनांक
1.	श्री राजेन्द्र सिंह	ऑटो-5582 यूके08टीए-0503	ऑटो-7085 यूके08टीए-1129	12-11-09	1985, दि० 10-02-2011
2.	श्री अतीक	ऑटो-5644 यूके08टीए-1492	ऑटो-7088 यूके08टीए-1093	12-11-09	1984, दि० 10-02-2011
3.	श्रीमती उर्मिला	ऑटो-3485 यूके08टीए-0309	ऑटो-7463 यूके08टीए-1253	12-11-09	1986, दि० 10-02-2011
4.	श्री फरमान	टैम्पो-4630 यूके08एच-9312	ऑटो-7550 यूके08टीए-1585	26-06-10	1981, दि० 10-02-2011
5.	श्री सलीम	पीसीओपी-4789 यूके08टीए-1229	ऑटो-7577 यूके08टीए-1643	26-06-10	1977, दि० 10-02-2011
6.	श्री रियासत	ऑटो-7105 यूके08टीए-1089	ऑटो-7635 यूके08टीए-1721	26-06-10	1983, दि० 10-02-2011
7.	श्री देशराज	ऑटो-2342 यूए08एच-9314	ऑटो-7670 यूके08टीए-1754	26-06-10	1979, दि० 10-02-2011
8.	श्री शिवनाथ	ऑटो-1198 यूके08टीए-1170	ऑटो-7672 यूके08टीए-1749	26-06-10	1982, दि० 10-02-2011
9.	श्री काशीनाथ	ऑटो-7202 यूके08टीए-1171	ऑटो-7678 यूके08टीए-1723	26-06-10	1980, दि० 10-02-2011
10.	श्री रामकिषन	ऑटो-7093 यूके08टीए-0069	ऑटो-7715 यूके08टीए-1753	26-06-10	1985, दि० 10-02-2011
11.	श्री गणेश	ऑटो-5558 यूके08टीए-0771	ऑटो-7749 यूके08टीए-1815	26-06-10	1978, दि० 10-02-2011

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरांत आदेश पारित करने की कृपा करें।

- (प्र) मोटर गाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत एक ही अभियोग में एक वाहन के दो से अधिक चालान पाये जाने पर, परमिटों के विरुद्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही पर विचार व आदेश।

राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15.07.03 में यह निर्णय लिया गया था कि ठेका परमिटों मैक्सी कैब/टक्सी परमिटों से आच्छादित वाहनों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने अथवा ओवरलोडिंग का अपराध पाये जाने पर प्रथम अपराध प्रशमित किया जाए तथा द्वितीय अपराध में परमिट का निलम्बन एवं तृतीय अपराध में परमिट निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाए।

ओवरलोडिंग के अपराध में द्वितीय चालान पाये पर चालान का निस्तारण प्राधिकरण के सचिव द्वारा करने के सम्बन्ध में स्वामियों व यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.10.10 में प्राधिकरण के समक्ष निवेदन किया गया कि प्राधिकरण की बैठक काफी अन्तराल के बाद होती है जिससे चालान का निस्तारण नहीं हो पाता है। चालान के निस्तारण न होने के कारण वाहन के प्रपत्र कार्यालय में जमा रहते हैं। यदि वाहन निरुद्ध होती है तो उस स्थिति में आरटीए की बैठक होने तक मामले को लम्बित रखने से वाहन स्वामियों को अत्यधिक कठिनाईयां व हानि होती हैं।

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि "ओवर लोडिंग के अपराध में द्वितीय चालान होने पर प्रशमित करने के लिए सचिव को अधिकृत किया जाता है। सचिव ऐसे मामलों पर सामान्यतया देय प्रशमन शुल्क की दोगुनी धनराशि वसूल कर प्रशमित अथवा दो माह का निलम्बन करेंगे। वाहन के दो से अधिक चालान होने की दशा में प्रक्रिया यथावत रहेगी।"

निम्न प्रकरणों में ओवरलोडिंग के अपराध में दो से अधिक चालान हो गये हैं। अतः प्राधिकरण के समक्ष धारा 86 की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत:-

क्र०सं०	स्वामी का नाम	परमिट संख्या व वाहन संख्या	चालनिंग अधिकारी व चालान का	चालान की स्थिति	अभियोगों का पूर्ण विवरण
---------	---------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	-------------------------

			दिनांक		
1.	श्री जय सिंह गुंसाई	टैम्पो-3704 यूए07जे-9481	स0स0प0अ0 (प्रवर्तन) दिनांक-13.07.09 स0स0प0अ0 (प्रवर्तन) दिनांक-21.09.09 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-27.11.09 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-14.12.10	निस्तारित निस्तारित निस्तारित निस्तारित प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि तृतीय चालान का निस्तारण किया जाय तथा बैठक में जो भी जुर्माना होगा, वह प्रार्थी को मंजूर होगा।	3 सवारी ओवरलोड 1 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड
2	श्री दीपक	टैम्पो-4452 यूए07एन-7826	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-03.03.08 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-04.02.09 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-01.12.09 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-13.12.10 यातायात पुलिस दिनांक-18.06.11	निस्तारित निस्तारित निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
3	श्री राजकुमार	टैम्पो-2379 यूए07के-7620	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-07.02.06 स0स0प0अ0(प्रवर्तन)	निस्तारित निस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड

			दिनांक-17.07.09 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-14.11.09 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-02.02.10 यातायात पुलिस दिनांक-22.09.11	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	2 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
4	श्री राजेश कुमार	टैम्पो-2328 यूके07टीए-0231	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक 04.03.08 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-10.10.08 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-18.10.08 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-09.12.10	निस्तारित निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	2 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड
5	श्री बलबीर सिंह	टैम्पो-4538 यूए07के-7327	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-26.07.08 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-13.01.09 प0कर0अधि0 दिनांक-10.01.11	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
6	श्री सन्नी देयोल	टैम्पो-4229 यूए07-9993	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-04.02.08 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-11.06.10 स0स0प0अ0(प्रवर्तन)	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	1 सवारी ओवरलोड 5 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड

			दिनांक-24.09.10		
7	श्री दीवान सिंह	यूपीकोपी-138 यूपी07के-9945	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-21.04.04 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-13.08.08 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-02.02.09	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	8 सवारी ओवरलोड 7 सवारी ओवरलोड 6 सवारी ओवरलोड
8	श्री भूपेन्द्र सिंह राना	यूपीकोपी-1140 यूके07सीए-2674	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-03.06.10 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-15.07.10 यातायात पुलिस दिनांक-20.10.10	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	23 सवारी ओवरलोड 15 सवारी ओवरलोड 7 सवारी ओवरलोड
9	श्री हरीश चन्द्र	टैम्पो-4358 यूए07क्यू-9414	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-28.03.09 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-23.08.10 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-01.12.10	निस्तारित निस्तारित निस्तारित प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि तृतीय चालान का निस्तारण किया जाय तथा बैठक में जो भी जुर्माना होगा, वह प्रार्थी को मंजूर होगा।	3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड
10	श्री विनोद कुमार	टैम्पो-4274 यूके07टीए-0631	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-14.09.09 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-02.07.10	निस्तारित निस्तारित	2 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड

			स०स०प०अ०(प्रवर्तन) दिनांक-18.09.10	अनिस्तारित	2 सवारी ओवरलोड
11	श्री सुनील दत्त जोशी	यूपीकोपी-944 यूके०७सीए-1264	यातायात पुलिस दिनांक-27.09.10 यातायात पुलिस दिनांक-18.11.10 यातायात पुलिस दिनांक-03.01.11	निस्तारित अनिस्तारित अनिस्तारित	5 सवारी ओवरलोड 7 सवारी ओवरलोड 5 सवारी ओवरलोड
12	श्री संदीप कुमार	टैम्पो-3531 यूए०७पी-6943	स०स०प०अ०(प्रवर्तन) दिनांक-20.03.08 स०स०प०अ०(प्रवर्तन) दिनांक-20.03.09 परि०कर अधि० दिनांक-09.12.10	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
13	श्री राजेन्द्र सिंह	टैम्पो-4427 यूके०७टीए-1708	स०स०प०अ०(प्रवर्तन) दिनांक-22.02.10 स०स०प०अ०(प्रवर्तन) दिनांक-17.09.10 यातायात पुलिस दिनांक 22.03.11	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 7 सवारी ओवरलोड
14	श्रीमती लक्ष्मी चौहान	टैम्पो-3869 यूए०७टी-0905	स०स०प०अ०(प्रवर्तन) दिनांक-21.10.08 स०स०प०अ०(प्रवर्तन) दिनांक-22.02.10 स०स०प०अ०(प्रवर्तन) दिनांक-08.06.10	निस्तारित निस्तारित निस्तारित प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया	3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड

				कि तृतीय चालान का निस्तारण किया जाय तथा बैठक में जो भी जुर्माना होगा, वह प्रार्थी को मंजूर होगा।	
15	श्री जयप्रकाश	टैम्पो-4012 यूए07जे-9480	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-28.03.08 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-13.07.09 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-30.12.10	निस्तारित निस्तारित निस्तारित प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि तृतीय चालान का निस्तारण किया जाय तथा बैठक में जो भी जुर्माना होगा, वह प्रार्थी को मंजूर होगा।	1 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
16	श्री प्रेम प्रकाश	टैम्पो-4317 यूके07टीए-2283	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-19.09.09 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-30.07.10 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-28.11.10	निस्तारित निस्तारित निस्तारित प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि तृतीय चालान का निस्तारण किया जाय तथा बैठक में जो भी जुर्माना होगा, वह प्रार्थी को मंजूर होगा।	4 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड
17	श्री श्रवण कुमार शर्मा	मैक्सी-1477 यूके07टीए-0773	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-17.03.09 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-04.02.10 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक-10.09.10	निस्तारित निस्तारित निस्तारित	9 सवारी ओवरलोड 8 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड

			स०स०प०अ०(प्रवर्तन) दिनांक-21.09.10	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
18	श्री मनोज कुमार	आटो-3695 यूए०८डी-9501	स०स०प०अ०(प्रवर्तन) दिनांक-24.07.04 स०स०प०अ०(प्रवर्तन) दिनांक-05.07.07 स०स०प०अ०(प्रवर्तन) दिनांक-05.12.07	निस्तारित अनिस्तारित अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड 6 सवारी ओवरलोड 8 सवारी ओवरलोड
19	श्री नरेन्द्र सिंह चौहान	यूपीकोपी-127 यूए०७एफ-7284	स०स०प०अ०(प्रवर्तन) दिनांक-17.03.07 यातायात पुलिस दिनांक-05.06.10 स०स०प०अ०(प्रवर्तन) दिनांक-15.07.10 यातायात पुलिस दिनांक 21.05.11	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित अनिस्तारित	6 सवारी ओवरलोड 9 सवारी ओवरलोड 13 सवारी ओवरलोड 14 सवारी ओवरलोड
20	श्री नरेन्द्र सिंह	टैम्पो-3552 यूपी०७जी-3868	स०स०प०अ० दिनांक-17.11.06 स०स०प०अ० दिनांक-23.08.08 स०स०प०अ० दिनांक-09.07.09 स०स०प०अ० दिनांक-16.05.11	निस्तारित निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	5 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड 5 सवारी ओवरलोड 6 सवारी ओवरलोड
21	कंवल पती देवी	टैम्पो-2055	स०स०प०अ०	निस्तारित	6 सवारी ओवरलोड

			हरिद्वार दिनांक 08.03.08 स0स0प0अ0 हरिद्वार दिनांक 11.11.10 स0स0प0अ0 हरिद्वार दिनांक 06.01.11	निस्तारित अनिस्तारित	5 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
22	श्री चुन्नी लाल	टैम्पो-126 यूए07टी-2037	स0स0प0अ0 दिनांक 11.11.10 स0स0प0अ0 दिनांक 23.11.10 यातायात पुलिस दिनांक 22.09.11	निस्तारित अनिस्तारित अनिस्तारित	10 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 04 सवारी ओवरलोड
23	श्री नरेन्द्र सिंह	टैम्पो-3696 यूपी07जी-4692	स0स0प0अ0 दिनांक 23.12.08 स0स0प0अ0 दिनांक 13.07.11 स0स0प0अ0 दिनांक 17.09.11	निस्तारित निस्तारित निस्तारित प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि तृतीय चालान का निस्तारण किया जाय तथा बैठक में जो भी जुर्माना होगा, वह प्रार्थी को मंजूर होगा।	3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 03 सवारी ओवरलोड
24	मौ0 जावेद	टैम्पो-3649 यूए07एस-7924	स0स0प0अ0 दिनांक 17.02.09 स0स0प0अ0	निस्तारित निस्तारित	2 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड

			दिनांक 20.03.09 स0स0प0अ0 दिनांक 13.07.09 स0स0प0अ0 दिनांक 09.12.10	निस्तारित अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड
25	श्रीमती कलावती	टैम्पो-3706 यूए07टी-4091	स0स0प0अ0 दिनांक 26.10.09 स0स0प0अ0 दिनांक 17.02.09 यातायात पुलिस दिनांक 20.04.11	निस्तारित निस्तारित निस्तारित प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि तृतीय चालान का निस्तारण किया जाय तथा बैठक में जो भी जुर्माना होगा, वह प्रार्थी को मंजूर होगा।	3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड
26	श्री मदन लाल	टैम्पो-3767 यूए07डी-0212	स0स0प0अ0 दिनांक 15.07.08 स0स0प0अ0 दिनांक 18.12.08 स0स0प0अ0 दिनांक 23.12.10	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड
27	श्री जगन्नाथ सिंह	टैम्पो-4176 यूए07डी-3671	स0स0प0अ0 दिनांक 10.08.09 स0स0प0अ0 दिनांक 14.03.11 स0स0प0अ0 दिनांक 15.04.11	निस्तारित निस्तारित निस्तारित प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया	3 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड

				कि तृतीय चालान का निस्तारण किया जाय तथा बैठक में जो भी जुर्माना होगा, वह प्रार्थी को मंजूर होगा।	
28	श्री सुनील कुमार	टैम्पो-3739 यूए07टी-7359	स0स0प0अ0 दिनांक 13.01.09 स0स0प0अ0 दिनांक 19.05.10 यातायात पुलिस दिनांक 17.08.11	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड
29	श्री कमला देवी मठपाल	टैम्पो-3694 यूए07एन-8729	स0स0प0अ0 दिनांक 24.02.09 स0स0प0अ0 दिनांक 14.01.10 स0स0प0अ0 दिनांक 17.09.11	निस्तारित निस्तारित निस्तारित प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि तृतीय चालान का निस्तारण किया जाय तथा बैठक में जो भी जुर्माना होगा, वह प्रार्थी को मंजूर होगा।	4 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
30	श्री प्रमोद कुमार	टैम्पो-3909 यूके07टीए-	यातायात पुलिस दिनांक 17.03.10 स0स0प0अ0 दिनांक 22.05.11 स0स0प0अ0 दिनांक 05.09.11	निस्तारित निस्तारित निस्तारित प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि तृतीय चालान का निस्तारण किया जाय तथा बैठक में जो भी जुर्माना होगा, वह प्रार्थी को मंजूर होगा।	

31	श्री राजू जायसवाल	टैम्पो-1468 यूके07टीए-0818	स0स0प0अ0 दिनांक 06.06.09 स0स0प0अ0 दिनांक 28.08.09 स0स0प0अ0 दिनांक 04.02.10 स0स0प0अ0 दिनांक 17.05.11	निस्तारित निस्तारित निस्तारित निस्तारित प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि चतुर्थ चालान का निस्तारण किया जाय तथा बैठक में जो भी जुर्माना होगा, वह प्रार्थी को मंजूर होगा।	
32	श्री कृष्ण कन्हैया चौहान	टैम्पो-3710 यूके07टीए-0893	स0स0प0अ0 दिनांक 14.09.09 स0स0प0अ0 दिनांक 17.09.10 यातायात पुलिस दिनांक 04.07.11	निस्तारित निस्तारित निस्तारित प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि तृतीय चालान का निस्तारण किया जाय तथा बैठक में जो भी जुर्माना होगा, वह प्रार्थी को मंजूर होगा।	
33.	श्री चन्दर प्रकाश कुमार	टैम्पो 4166 यूके07टीए-2799	यातायात पुलिस दिनांक 09.04.2010 यातायात पुलिस दिनांक 18.04.2010 स0स0प0अ0 दिनांक 24.09.2011	निस्तारित निस्तारित प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि तृतीय चालान का निस्तारण किया जाय तथा बैठक में जो भी जुर्माना	03 सवारी ओवरलोड 04 सवारी ओवरलोड 03 सवारी ओवरलोड

				होगा, वह प्रार्थी को मंजूर होगा।	
34.	श्री राजेश सिंह	टैम्पो-1771 यूके07टीए-0230	यातायात पुलिस दिनांक 15.09.06 यातायात पुलिस दिनांक 03.04.10 यातायात पुलिस थदनांक 22.09.11	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	03 सवारी ओवरलोड 03 सवारी ओवरलोड 03 सवारी ओवरलोड चालक कक्ष में पार्टीशन नहीं है।
35.	श्री सुभाष चन्द्र सब्बरवाल	टैम्पो-3628 यूए07क्यू-1368	स0स0प0अ0 दिनांक 09.12.08 स0स0प0अ0 दिनांक 11.03.10 स0स0प0अ0 दिनांक 03.11.10	निस्तारित अनिस्तारित अनिस्तारित	03 सवारी ओवरलोड, डीएल नहीं है। 02 सवारी ओवरलोड, प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं है। 03 सवारी ओवरलोड, किराया सूची नहीं है।
36.	श्री ललित कुमार	टैम्पो 1727 यूपी07जी-7481	स0स0प0अ0 दिनांक 05.11.07 स0स0प0अ0 दिनांक 19.07.08 स0स0प0अ0 दिनांक 19.10.10 स0स0प0अ0 दिनांक 09.06.11	निस्तारित निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	05 सवारी ओवरलोड 04 सवारी ओवरलोड 03 सवारी ओवरलोड 03 सवारी ओवरलोड
37.	श्री प्रमोद कुमार	टैम्पो-3904 यूके07टीए-0149	यातायात पुलिस दिनांक 17.03.11	निस्तारित	04 सवारी ओवरलोड

			स0स0प0अ0 दिनांक 22.05.11 यातायात पुलिस दिनांक 05.09.11	निस्तारित निस्तारित प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि तृतीय चालान का निस्तारण किया जाय तथा बैठक में जो भी जुर्माना होगा, वह प्रार्थी को मंजूर होगा।	02 सवारी ओवरलोड 04 सवारी ओवरलोड
38.	श्री सुन्दर लाल	टैम्पो-188 यूए07क्यू-4919	स0स0प0अ0 दिनांक 19.03.09 स0स0प0अ0 दिनांक 04.07.09 स0स0प0अ0 दिनांक 23.03.10 यातायात पुलिस दिनांक 04.09.11	निस्तारित निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	03 सवारी ओवरलोड 03 सवारी ओवरलोड 02 सवारी ओवरलोड 03 सवारी ओवरलोड
39.	श्री मुन्नालाल	ऑटो-5362 यूए018बी-9659	स0स0प0अ0 दिनांक 04.06.08 स0स0प0अ0 दिनांक 08.01.10 स0स0प0अ0 दिनांक 06.04.10 स0स0प0अ0 दिनांक 08.01.10	निस्तारित अनिस्तारित अनिस्तारित अनिस्तारित	07 सवारी ओवरलोड 03 सवारी ओवरलोड 05 सवारी ओवरलोड 03 सवारी ओवरलोड, वाहन का कोई प्रपत्र नहीं दिखाया, रोशनाबाद के बस स्टैण्ड का किराया रु0 15 प्रति सवारी किया जा रहा है।

40.	श्री मनीष कुमार	टैम्पो-4186 यूए07टी-5052	स0स0प0अ0 दिनांक 22.02.08 स0स0प0अ0 दिनांक 09.02.10 यातायात पुलिस दिनांक 10.10.11	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	03 सवारी ओवरलोड 02 सवारी ओवरलोड 03 सवारी ओवरलोड
41.	श्री चन्दर प्रकार कुमार	टैम्पो-4166 यूके07टीए-2799	यातायात पुलिस दिनांक 09.04.10 यातायात पुलिस दिनांक 18.04.10 यातायात पुलिस दिनांक 24.09.11	निस्तारित निस्तारित निस्तारित प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि तृतीय चालान का निस्तारण किया जाय तथा बैठक में जो भी जुर्माना होगा, वह प्रार्थी को मंजूर होगा।	03 सवारी ओवरलोड 04 सवारी ओवरलोड 03 सवारी ओवरलोड
42.	श्रीमती उर्मिला	टैम्पो-2111 यूए07के-2734	स0स0प0अ0 दिनांक 07.03.08 स0स0प0अ0 दिनांक 18.08.08 स0स0प0अ0 दिनांक 22.10.08 स0स0प0अ0 दिनांक 18.09.11	निस्तारित निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	04 सवारी ओवरलोड 04 सवारी ओवरलोड 04 सवार ओवरलोड 02 सवारी ओवरलोड बीमा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया। डी0एल0 निजी वाहन चलाने हेतु है।

43.	श्रीमती राजरानी	टैम्पो-1716 यूए07एन-4934	स0स0प0अ0 दिनांक 12.08.08 स0स0प0अ0 दिनांक 18.05.11 स0स0प0अ0 दिनांक 21.10.11	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	03 सवारी ओवरलोड 02 सवारी ओवरलोड 03 सवारी ओवरलोड बीमा प्रमाण पत्र दिनांक 05.09.11 को समाप्त है। रिप्लेक्टर नहीं है।
44.	श्री मोहन लाल	टैम्पो-4579 यूपी07जे-2422	स0स0प0अ0 दिनांक 01.10.09 स0स0प0अ0 दिनांक 04.02.10 स0स0प0अ0 दिनांक 18.08.11	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	04 सवारी ओवरलोड 04 सवारी ओवरलोड 04 सवारी ओवरलोड चालक कक्ष में 03 सवारी बैठी हैं।
45.	श्रीमती दीपा भट्ट	टैम्पो-3902 यूए07क्यू-7230	स0स0प0अ0 दिनांक 19.03.07 स0स0प0अ0 दिनांक 02.08.08 स0स0प0अ0 दिनांक 22.10.11	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	01 सवारी ओवरलोड 03 सवारी ओवरलोड 02 सवारी ओवरलोड रिप्लेक्टर नहीं है। फर्स्टएड बॉक्स नहीं है।
46.	श्री मनोज शर्मा	टैम्पो-3805 यूए07टी-4805	स0स0प0अ0 दिनांक 16.03.09	निस्तारित	03 सवारी ओवरलोड

			स०स०प०अ० दिनांक 04.05.10 स०स०प०अ० दिनांक 10.01.11 स०स०प०अ० दिनांक 22.10.11	निस्तारित सी०जी०एम० प्रेषित किया गया दिनांक 27.01.11 को। अनिस्तारित	03 सवारी ओवरलोड 04 सवारी ओवरलोड 03 सवारी ओवरलोड
47.	श्री सोनू भटनागर	पीएसटीपी-3899 यूए०७एन-1179	स०स०प०अ० दिनांक 17.03.07 स०स०प०अ० दिनांक 24.02.10 स०स०प०अ० दिनांक 15.09.11	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	08 सवारी ओवरलोड 12 सवारी ओवरलोड 18 सवारी ओवरलोड आर०सी० व आर०पी० की मूल प्रति प्रस्तुत नहीं की ।
48.	श्री लाल सिंह	यूपीसीओपी-864 यूए०७एल-3858	यातायात पुलिस दिनांक 12.08.09 स०स०प०अ० दिनांक 07.12.10 एस०डी०एम० कालसी दिनांक शून्य	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	06 सवारी ओवरलोड 06 सवारी ओवरलोड 02 सवारी ओवरलोड

मद सं०-40

श्री गुरुबचन सिंह पुत्र श्री संत सिंह, 19, गोविन्दगढ़, देहरादून द्वारा ऑटो रिक्शा परमिट सं० 1933 के स्वीकृत नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

श्री गुरुबचन सिंह के नाम पर देहरादून केन्द्र का ऑटोरिक्शा परमिट सं०-1933 था, जो दिनांक 05-03-93 तक वैध था। परमिट पर वाहन सं० आर०जे०ए०-4254 संचालित थी। इस परमिट के विलम्ब से नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्र को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15.05.06 में अस्वीकृत किया गया था। प्राधिकरण के इन आदेशों के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा मा० राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील सं० 18/08 दायर की गयी थी। अपील का निस्तारण करते हुए मा० न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 26.04.08 को जो आदेश पारित किए गए थे, उसके मुख्य अंश निम्न प्रकार है:-

“अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को आदेशित किया जाता है कि देरी को क्षमा करते हुये प्रषमन शुल्क अदा करने पर अपीलार्थी के ऑटो परमिट सं०-1933 वाहन सं०-4254/1990 का नवीनीकरण करें। तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।”

मा० न्यायाधिकरण के आदेशों के अनुपालन में मामले को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27.12.08 में मद सं०-08 के अन्तर्गत विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित किए गए थे:-

“मामले पर विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि रू० 15000-00(पन्द्रह हजार) प्रषमन शुल्क जमा करने पर परमिट का नवीनीकरण कर दिया जाय। परमिट पर पूर्व में संचालित वाहन के स्थान पर नई पेट्रोल/एल०पी०जी० चालित वाहन लगाने के पश्चात ही परमिट का नवीनीकरण किया जायेगा। स्वीकृत नवीनीकरण वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31-03-2009 तक किया जायेगा।”

प्राधिकरण के आदेशों की सूचना प्रार्थी को कार्यालय के पत्र सं० 2689/आरटीए/ऑटो-1933/09 दिनांक 27-01-09 द्वारा प्रेषित की गयी थी, परन्तु प्रार्थी ने निर्धारित अवधि के अन्दर परमिट का नवीनीकरण नहीं कराया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 04.11.11 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनके परमिट के नवीनीकरण के लिए प्राधिकरण द्वारा संकल्प

सं0-08 के अन्तर्गत विलम्ब शुल्क निर्धारित किया गया था, परन्तु आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण प्रार्थी उस समय प्रष्मन शुल्क जमा नहीं करा सके। उन्होंने मामले को पुनः प्राधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत करने का निवेदन किया है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0-41

अन्य मद, अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से।

सचिव
सम्भागीय परिवहन
प्राधिकरण
देहरादून।